आवंटियों द्वारा देरी से किश्तों का भुगतान करने पर भी प्राधिकरण द्वारा आवंटन आकलन को रद्द न करने के बारे में :—

आवंटी रिकार्डों की जांच करने पर पाया गया कि ऐसे आवंटियों की बड़ी संख्या है जो अपनी किश्तों का भुगतान सुधार योजना के अन्तर्गत आवंटित (दि. मकान में अधिक समय से) भी नहीं कर सके हैं। आवंटन शर्तों में प्रावधान है कि यदि कोई आवंटी उपरोक्त में अधिक समय में किश्तों की राशि का भुगतान करने में असफल होता है तो उसका आवंटन प्राधिकरण द्वारा रद्द कर दिया जाएगा और जमा की गई राशि प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार जब्त कर ली जाएगी और बाकि तीन माह के आवंटी को वापिस कर दी जाएगी। उदाहरणार्थ ऐसे कुछ आवंटियों का विवरण नीचे दिया गया है। अतः प्राधिकरण इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित कार्यवाही करे तथा किश्तों की समयानुसार प्राप्ति सुनिश्चित करवाए और इस अनुपालना को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्ट्रेशन संख्या	आवंटी का नाम	स्कीम का नाम	किश्तों की अवधि जिससे आवंटी ने भुगतान नहीं किया
1.	3023	मिस सोरव सूद	एस.एफ.एस. स्कीम	1/94
2.	3026	श्री गुरबचन सिंह	—"—	10/91
3.	1050	श्रीमती राज रानी	—"—	3/94
4.	3042	श्री सुखदेव	—"—	5/97
5.	3498	श्रीमती आशा नागदेव	—"—	10/96
6.	3503	बृज बाला	—"—	1/96
7.	3511	कालु राम	—"—	10/96
8.	3523	श्रीमती मधु ज्योति	—"—	3/93
9.	3529	रजनीश कुमार	—"—	6/94
10.	3533	सुनीता कुमारी	—"—	10/96
11.	3539	डॉ. वि. नंदा	—"—	6/94
12.	1382.	आशा रानी अग्रवाल	—"—	10/96
13.	6183	श्री राजेन्द्र नाथ	5/सी-एम. आर. एस. सिरसी	6/96
14	6190	सन्तोष मेहता	—"—	1/97

[illegible] 10/-

क्रमांक	रजिस्ट्रेशन संख्या	अधिकारी का नाम	स्कीम का नाम	किसानों को आवंटित भूमि जो आबंटी ने अदायगी बन्द कर दी है।
15.	6205	श्रीमती कुसुम बिष्ट	5/पी. एस. एफ. एस.	8/96.
16.	6207	श्री प्रदीप नौडियाल	—॥—	8/96
17.	6226	श्री सुरेन्द्र बोसालटा	—॥—	12/96
18.	6586	श्री राम लाल ठाकुर	—॥—	8/96
19.	6109	मिस कृष्णा कश्यप	—॥—	3/96
20.	6042	श्री संजय कुमार	—॥—	3/96
21.	6045	श्री कृष्ण चन्द वर्मा	—॥—	6/96
22.	6050	श्री गुरुदेव राणा	—॥—	6/97
23.	6483	श्री रणजीत सिंह कमल	5/ —॥—	6/97
24.	9465	श्री सुरेन्द्र सिंह कालरा	7/ पी. एस. एफ. एस.	12/96.
25.	4502	मेजर पी. जे. सिंह	—॥—	12/92.
26.	4554	श्री एस. डी. भन्डारी	4/ पी. एस. एफ. एस.	8/97
27.	4765	डा. अशोक राजन वासु	—॥—	1/94.
28.	4831	श्री एल. सी. कपूर	—॥—	11/93.
29.	4825	श्री मोहिंदर राम शांडिल	—॥—	10/95
30.	4067	श्री आर. पी. कपूर	2/ पी. एस. एफ. एस.	4/97
31.	4072	श्री सन्दीप सभरवाल	—॥—	5/97
32.	[illegible]	श्री रविन्द्र कुमार शर्मा	—॥—	10/94
33.	4146	श्री आई. एस. काला	—॥—	12/95
34.	4234	श्री जितेन्द्र पाल	—॥—	4/96
35.	4235	श्री राजे कुमार शर्मा	—॥—	11/95
36.	4227	श्री हेमराज महाजन	—॥—	6/95
37.	4217	श्री विपन गुप्ता	—॥—	9/95

समायोजन लेखे :-

पैरा 17. वर्ष 1997-98 के जनरल वाउचर संख्या 6 द्वारा प्राधिकरण के विभिन्न कर्मचारियों एवं अधिकारियों के अग्रिम राशियों के समायोजन ,राशि रु0 3,10,111/=रुपये बिलों की जांच पर निम्नलिखित आपत्तियाँ दर्ज की गई है ।

§1§ सहायक अभियन्ता §निर्माण§ द्वारा राशि रु0 539/= की हैण्ड रसीद पारित की है जिसमें बिल सं. 117 दिनांक 25.4.97 द्वारा खरीदे गये सामान§ दिनांक 10.1.96 से 12.2.97 के बीच§ का भुगतान शामिल है जोकि सही प्रतीत नहीं होता क्योंकि न तो उपरोक्त सामान के क्रय से पहले या बाद में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की है न ही खरीद का कोई उद्देश्य या कारण स्पष्ट किया है अत: उपरोक्त बिल की जांच की जाए व जाली पाये जाने पर सम्बन्धित दोषी कर्मचारी की वसूली की जाये अन्यथा पूर्ण औचित्य आगामी अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाए ।

§2§ बिल सं. 39 दिनांक 20.5.97 राशि रु0 5000/=रुपये के उप बिल सं. शून्य दिनांक 21.8.97 की जांच पर पाया गया कि मै. डी.डी. सूद शिमला द्वारा 350/=रुपये का बिल दिया था व प्राधिकरण द्वारा भी विक्रेता को 350/=रुपये का भुगतान कर दिया गया जबकि बिल की मदों का योग राशि रु0 320/=रुपये ही बनता था । इस प्रकार मै. डी.डी. सूद शिमला-9 को 30/=रुपये का अधिक भुगतान किया गया जबकि दोषी व्यक्ति से वसूली करके प्राधिकरण के खाते में 30/=रुपये की राशि को जमा करवाना सुनिश्चित करें ।

§3§ प्राधिकरण द्वारा मै दीपक सेल्ज चण्डीगढ़ के कैश मैमो नं. 8149 दिनांक 7.12.96 द्वारा फोटोस्टेट मशीन के लिए एक एक्सपोजर लैम्प राशि रु0 3300/=रुपये का खरीदा और मै. हिमाचल जैगराफी सैन्टर शिमला के कैश मैमो नं. 10 दिनांक 31.12.96 द्वारा फोटोस्टेट मशीन के लिए हीटर लैम्प राशि रु0 2000/=रुपये का खरीदा । उपरोक्त खरीद में प्राधिकरण द्वारा खरीद सम्बन्धी कोई औपचारिकता नहीं निभाई क्योंकि अभिलेख में खरीद से सम्बन्धी

कोटेशन्ज,वाउचर इत्यादि संलग्न नहीं थी । खरीद से पहले स्वीकृति लेते वक्त यह बताया गया था कि फोटोस्टेट मशीन खराब पड़ी है । अतः उपरोक्त सामान की खरीद आवश्यक है । जोकि उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि फोटोस्टेट मशीन की लोगबुक के अवलोकन पर पाया गया कि माह दिसम्बर 1996 व माह जनवरी, 1997 में फोटोस्टेट मशीन कार्य ठीक रूप से कर रही थी । अतः फोटोस्टेट मशीन के लिए उपरोक्त सामान की खरीद का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए ।

§4§ प्राधिकरण द्वारा मै. दीपक सेल्ज चण्डीगढ़ के बिल संख्या: 7900,707। दिनांक 30.6.96 और 5.4.96 द्वारा 15 नं. व 10 नं. टोनर की खरीद की और राशि रु0 12375/=रुपये व 8250/=रुपये का भुगतान किया । उपरोक्त खरीद से सम्बन्धित कोई औपचारिकता इस वजह से पूरी नहीं की कि खरीद HCL कम्पनी के उत्पाद की रेट लिस्ट के आधार पर की गई है । जांच पर पाया गया कि चण्डीगढ़ में HCL कम्पनी का अपना विक्रय केन्द्र है जहां से पहले भी प्राधिकरण द्वारा सामान की खरीद की जाती थी अतः अब कम्पनी के विक्रय केन्द्र से सामान न खरीद कर मै. दीपक सेल्ज चण्डीगढ़ से सामान क्रय करने का पूर्ण औचित्य आगामी अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाये ।

पैरा 10. §क§ वाउचर संख्या 176 दिनांक 25.9.97 राशि रु0 86064/-रुपये

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद शिमला को खाता संख्या CC -1- C का माह 6/97 से 8/97 का बिजली का बिल राशि रु0 86064/=रुपये का भुगतान किया गया । बिल का ब्योरा निम्न प्रकार से है ।

इनर्जी/एसएम सी चार्जिज	15280/=रु.
मीटर किराया	40/=रु.
सन्ड्रीज 1113/90	70,300/=रु.
विद्युत कर	444/=रु.
योग	86,064/=रु.

राशि रु0 70,300/=रुपये सन्ड्रीज चार्जिज का कोई विवरण अंकेक्षण को नहीं दिया गया । विद्युत उपभोग रजिस्टर भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः सण्ड्रीज का पूर्ण विवरण आगामी अंकेक्षण में दिखाया जावे ।

पैरा नं. (ख) वाउचर सं. 71 दिनांक 12.3.98 राशि रु0 5063/=रुपये

उपरोक्त वाउचर द्वारा श्री जीत राम दैनिक भोगी ड्राईवर को माह 12/97, 1/98 व 2/98 की मासिक मजदूरी का भुगतान पारित किया गया था । जांच पर पाया गया कि बिल के ऊपर एक नोट इस प्रकार लिखा था " [illegible] " जिससे ज्ञात होता है कि ड्राईवर श्री जीत राम से प्राधिकरण द्वारा कुछ वसूली की जानी थी परन्तु उपरोक्त वाउचर द्वारा भुगतान करने से पहले इस प्रकार की कोई वसूली नहीं की गई थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जावे ।

पैरा नं. (ग) वाउचर सं. 72 दिनांक 12.3.98 राशि 11531/=रुपये

श्री यू.एस.गौतम, अतिरिक्त सहायक अभियन्ता के माह 9/97 के यात्रा किराया भत्ता बिल राशि 503/=रुपये की जांच पर पाया गया कि उपरोक्त अधिकारी द्वारा किराया व दैनिक भत्ते के अतिरिक्त 130/=रुपये की राशि होटल किराये के रूप में ली है जबकि यह अधिकारी होटल में न ठहरकर श्री सनातनधर्म महावीर मन्दिर चैरिटेबल ट्रस्ट मण्डी गोबिन्दगढ़ में ठहरा था । नियमानुसार व्यवसायिक रूप से चलाऐ गये होटलों में ठहराव करने पर ही कर्मचारियों को होटल ठहराव खर्चे का भुगतान देय है अतः अधिक भुगतान की गई राशि की सम्बन्धित अधिकारी से वसूली सुनिश्चित की जावे ।

पैरा नं. (घ) वाउचर सं. 153 दिनांक 27.3.98 राशि रु0 1696/=रुपये

माह 9/97 ~~(सितम्बर 97)~~ से 1/98 (5 माह) का पानी के खर्चे का भुगतान नगर निगम शिमला को राशि रु0 1696/=रुपये का किया गया । नगर निगम शिमला द्वारा 254000 लीटर पानी पूर्ति के लिए 6 रुपये प्रतिहजार लीटर के हिसाब से

1524/=रुपये व मीटर किराए के 4 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 20/= रुपये कुल राशि 1844/=रुपये का बिल जारी किया, इसके ऊपर सरचार्ज के 152/=रुपये की राशि जोड़ी गई थी जिसका भुगतान बिल की देरी से देने पर किया जाना था । अतः 152/=रुपये सरचार्ज की राशि प्राधिकरण द्वारा देय नहीं है जिसकी जिम्मेदारी तय की जाये व दोषी कर्मचारी से 152/=रुपये की वसूली करके प्राधिकरण के खाते में जमा करवाया जाये ।

10. (ङ) वाउचर नं. 95 दिनांक 11.9.97 राशि मु0 404/=रुपये

श्री नन्दलाल, दैनिक भोगी चालक को माह 5/97 और 6/97 के यात्रा भत्ता दावे (दैनिक भत्ता) के रूप में राशि मु0 404/=रुपये का भुगतान किया जोकि उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को दैनिक भत्ता देय नहीं है अतः गलत भुगतान की सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली की जाये ।

पैरा 10. (च) वाउचर संख्या 29 दिनांक 3.3.98 राशि मु0 298/=रुपये

(क) श्री जीत राम वर्मा, दैनिक वेतनभोगी चालक को माह 6/97 से व 8/97 के यात्रा भत्ता दावे के 134/=रुपये का भुगतान किया गया, जबकि नियमानुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को दैनिक भत्ता देय नहीं है अतः उक्त 134/=रुपये की राशि की सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली की जाये ।

(ख) श्री जीत राम, दैनिक वेतनभोगी चालक को दिनांक 4.5.97 से 11.5.97 में शिमला से चण्डीगढ़ की यात्रा के लिए 6 दिन का 25/=रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता देय किया जोकि नियमानुसार देय नहीं है अतः कुल भुगतान की गई 164/=रुपये की राशि की सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली की जाये ।

पैरा 10.(छ) वाउचर संख्या 173 दिनांक 24.9.97 राशि रु0 403/-रुपये

श्री रमेश कुमार, चालक द्वारा माह जुलाई, 97 में शिमला से चण्डीगढ़ और पटियाला का यात्रा भत्ता दावा राशि रु0 250/-रुपये का पारित किया । गाड़ी की लॉग बुक में यात्रा का कोई उल्लेख नहीं किया था न ही गाड़ी का नं. लिखा गया था । अतः गाड़ी को प्रदेश से बाहर ले जाने हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आदेश दिखाएँ जाऐ । वाउचर सं0 179 दिनांक 26.9.97 राशि रु0 1352/-रुपये की जाँच पर पाया गया कि श्री आई.सी. गोयल, मुख्य अभियन्ता दिनांक 10.7.97 को आकस्मिक अवकाश पर पटियाला गये थे । श्री आई.सी.गोयल की यात्रा उपरोक्त रमेश कुमार चालक की यात्रा भत्ता दावे से मेल खाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि श्री गोयल द्वारा निजि यात्रा का दावा प्राधिकरण से लिया है। क्योंकि मुख्य अभियन्ता द्वारा चण्डीगढ़ से अम्बाला का किराया हिमाचल टैक्सी यूनियन,शिमला की रसीद द्वारा प्राधिकरण से प्राप्त किया जोकि संदिग्ध प्रतीत होता है क्योंकि हिमाचल टैक्सी यूनियन शिमला द्वारा चण्डीगढ़ से अम्बाला के लिए टैक्सी कैसे उपलब्ध करवाई गई होगी । यह स्पष्ट नहीं होता । अतः उक्त प्रकरण की पूरी जाँच की जाऐ व भुगतान की गई 1352/-रुपये की राशि की सम्बन्धित अधिकारी से वसूली की जाऐ ।

पैरा 10.(ज) चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे :-

नगर विकास प्राधिकरण के चिकित्साप्रतिपूर्ति दावों का अंकेक्षण (केवल चयनित मास) करते समय पाया गया कि विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में Non-reimbursable दवाईयों का भी भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। अतः निम्नलिखित दवाईयों के अनुचित भुगतान की सम्बन्धित व्यक्तियों से वसूली की जाऐ :-

कर्मचारी का नाम	वा.सं./दिनांक	दवाई का नाम	मूल्य	कुल राशि(रु.)
1. [illegible] चन्द,वरि. सहायक	135/10.9.97	वीकासूल	36.00	1303[illegible]
2. श्री सुभाष चन्द कौशल	-"-	-"-	हेयरलीन आयल लोशन(आयुर्वेदिक)	53

			स्टेफो आयुर्वैदिक	23	
			क्रूरस -"-	26	
			ऐन्टीसैप्टिक लोशन	40 ग्रा 40 ग्रा	
			थ्रीवोन टैब	75	
3.	खेतराम भारद्वाज	147/ 19.9.97	डी कॉम्प्लेक्स फोरट	94	6005.
4.	योग राज	-"- -"-	जेस्टीनोल (आयुर्वैदिक)	40	
			थराईवोन टैब	75	
			अवाना	30 ग्रा 30 ग्रा	
5.	आई.सी. गोयल	180/ 26.9.97	आर. कम्पाउन्ड	62	1663.
6.	डी.के. अग्रवाल	181/26.9.97	सैपटीलिन	74	3612.
			योग	690	

पैरा नं. (ड) वाउचर संख्या 167 दिनांक 23.9.97 राशि मु0 4090/=रुपये.

मै. वाधवा कार्पोरेशन,7 दी माल शिमला-171001 से प्राधिकरण द्वारा एक गोदरेज प्रीमियम चैयर PCH 7022 राशि मु0 4090/=रुपये की खरीदी जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी नियमों/आदेशों के विपरीत है क्योंकि कुर्सियों की खरीद हि0प्र0 सरकार द्वारा जारी रेट लिस्ट के आधार पर की जानी चाहिए । उपरोक्त खरीद का सम्बन्धित भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज नहीं दिखाया गया न ही उपरोक्त विक्रेता की प्राप्ति रसीद दिखाई गई । अतः इस अनियमितता की जिम्मेवारी तय की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए ।

पैरा नं. (च) वाउचर सं. 23 दिनांक 2.3.98 राशि मु0 86341/=रुपये

प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त वाउचर के अन्तर्गत अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों की ई.पी.एफ. की राशि मु0 86341/=रुपये जमा करवाई गई परन्तु इसका पूर्ण विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जोकि आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाये ।

पैरा नं. (4) वाउचर संख्या 97 दिनांक 11.9.97 राशि मु0 31313/=रुपये

मै. ओम ब्रदर्स ट्रेडिंग, एस.सी.ओ.70-79 सेक्टर 17-सी चण्डीगढ़ को उनके बिल संख्या073 दिनांक 3.6.97 राशि मु0 31313/=रुपये का भुगतान उपरोक्त वाउचर द्वारा किया गया। प्राधिकरण द्वारा दुकानों की नीलामी का विज्ञापन समाचार पत्र दी ट्रिब्यून व पंजाब केसरी में उपरोक्त फर्म के माध्यम से जारी करवाया गया जोकि उचित प्रतीत नहीं होता। अंकेक्षण को यह स्पष्ट किया जाये कि प्राधिकरण द्वारा सीधे दी ट्रिब्यून व पंजाब केसरी समाचार पत्र को विज्ञापन जारी क्यों नहीं किया जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये। विज्ञापनों के वास्तविक रूप से उपरोक्त दैनिक पत्रों में प्रकाशित हो जाने के साक्ष्य में कोई भी दस्तावेज अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए।

पैरा नं. (5) वाउचर संख्या 26 दिनांक 3.3.98 राशि मु0 14060/=रुपये

प्राधिकरण द्वारा दैनिक भोगी चपड़ासी, क्लर्क, कनिष्ठ अभियन्ता इत्यादि के मस्ट्रोल बिलों की जांच करने पर देखा गया कि सभी कर्मचारियों को सरकारी छुट्टी वाले दिन जैसा कि दूसरा शनिवार रविवार, राजपत्रित अवकाश इत्यादि की मजदूरी दी जाती है। अगर दैनिक भोगी कर्मचारियों को छुट्टी वाले दिन काम पर बुलाया जाता है तो उसके विशेष आदेश अंकेक्षण को नहीं दिखाये गये जिससे किए गये भुगतान को ठीक नहीं ठहराया जा सकता है। छुट्टी वाले दिन जब प्राधिकरण के सभी कार्यालय बन्द होते है तो यह बिलकुल नहीं माना जा सकता कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा कार्यालय में काम किया गया होगा। इसके अतिरिक्त मस्ट्रोल बिल पर किसी भी अधिकारी द्वारा कोई प्रमाण पत्र दर्ज नहीं किया जाता कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी द्वारा छुट्टी वाले दिन कार्यालय में उपस्थिति दी व क्या काम किया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई प्रथा नियमों व हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशों के विरुद्ध है जिसे तुरन्त बन्द किया जाये व दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेवारी तय की जाए।

पैरा 10.(ग) दावा संख्या 72 दिनांक 12.3.98 राशि रु0 11531/=रुपये

श्री टी.के.गुप्ता, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अपनी माता श्रीमति गोमती देवी के लिए छुट्टी यात्रा सुविधा (LTC) के अन्तर्गत दिनांक 2.12.97 से 7.1.98 में अम्बाला केन्ट से कन्याकुमारी की यात्रा का दावा राशि 9200/=रुपये प्राप्त किया। उपरोक्त यात्रा रेलवे द्वारा की गई बताई गई है और इसके एवज में श्री शिवशंकर तीर्थ यात्रा कम्पनी (रजि0) 16 बंगाली मन्दिर मार्ग, ऋषिकेश की 12000/=रुपये की रसीद संख्या 154 दिनांक 2.12.97 दावे के साथ लगाई गई। रेलवे विभाग द्वारा इस सूची को सत्यापित किया है जिसमें यात्रियों का विवरण दिया गया था परन्तु रेलवे विभाग द्वारा जारी टिकट या टिकट की फोटोप्रति अभिलेख में उपलब्ध नहीं करवाई गई। वास्तव में अम्बाला केन्ट से कन्याकुमारी की दूरी लगभग 3343 किलोमीटर बनती है और दूसरी श्रेणी का किराया मात्रा 436/=रुपये एक ~~तरफ का~~ तरफ है। अतः श्री टी.के.गुप्ता को कुल 872/=रुपये की राशि देय थी, इस प्रकार अधिक दीगई राशि रु0 8328/=रुपये की वसूली तुरन्त की जाये व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

पैरा 10.(घ) प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा आवासीय दूरभाष सुविधा का पूर्ण भुगतान न करने बारे प्राधिकरण द्वारा 12315रुपये का ~~अनुचित~~ अनुचित भुगतान :-

हि0 प्र0 नगर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न अधिकारियों को उनके आवास पर रियायती दूरभाष सुविधा प्रदान कर रखी है जिसमें दूरभाष का मासिक किराया,प्राधिकरण से सम्बन्धित जरूरी कालज और 300 या 400 लोकल कालज तक के किराये का खर्चा प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाता है। दूरभाष किराये के बिलों की जाँच पर पाया गया कि आवासीय दूरभाष में सीमा से अधिक की स्थानीय कालों के खर्चे का भुगतान सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा है क्योंकि दूरसंचार विभाग द्वारा जो मुफ्त की स्थानीय कालों की जो सुविधा दी जाती है उसका लाभ प्राधिकरण के खाते में लिया जाना चाहिए

आदि किस अधिकारी को यह सुविधा प्रदान की गई हो । प्राधिकरण के समस्त अधिकारी आवासीय दूरभाष सुविधा पर मुफ्त कालों का लाभ व्यक्तिगत बातें में उठा रहे है जोकि गलत है और समस्त बिलों में अधिक किये गये भुगतान की राशि की वसूली सम्बन्धित अधिकारियों से की जावे व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे । उदाहरण के तौर पर आवासीय दूरभाष सुविधा पर प्राधिकरण द्वारा किये गये अधिक भुगतान के कुछ विवरण निम्न प्रकार से है :-

दूरभाष नं.	बिल नं. व दिनांक अवधि	राशि(रु.)	प्राधिकरण द्वारा पारित भुगतान ।	लगभग देय भुगतान	अधिक भुगतान की गई राशि
230676	133-20.6.97 (16.3.97से 15.5.97तक)	5387	5387	शून्य	5387
-"-	(16.5.97से 15.7.97)	2775	2775	800	1975
-"-	(16.7.97से 15.9.97)	2405	2405	800	1605
-"-	435दि. 12.12.97 (16.9.97से 15.11.97)	2779	2779	840	1939
-"-	500दि. 16.2.98 (16.11.97से 15.1.98)	2209	2209	800	1409
					12315

पेरा 19.(क) निम्नलिखित वाउचरों द्वारा किए गये भुगतान की सम्बन्धित व्यक्तियों/फर्मों से प्राप्ति रसीद अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई :-

(1) वा.सं. 33 माह 9/97 राशि रु0 338/=रुपये (श्री एस.सी. गुप्ता वरिष्ठ सहायक का माह 5/97 का यात्रा भत्ता दावा)

(2) वा.सं. 95 माह 9/97 राशि रु0 336/=रुपये (श्री नेह लाल, चालक का यात्रा भत्ता दावा)

(3) वा.सं. 97 माह 9/97 राशि रु0 3313/=रुपये (मै. ओम एन्टरप्राईजेज, फ्लेट 10 मेट्रोपोल शिमला)

(4) वा.सं. 112 माह 9/97 राशि 2330/=रुपये (श्री.वी.डी.)

(5) वा.सं. 113 माह 9/97 राशि मु0 9025/=रु.(श्री हरीश बहल)

(6) वा.सं. 114 माह 9/97 राशि मु0 11725/-रुपये (श्री ज्ञान चन्द गुप्ता)

(7) वा.सं. 114 दिनांक 24.3.98 राशि मु0 10300/=रुपये(श्री हर्ष पुरी-वकील)

(8) वा.सं. 29-ए माह 9/97 राशि मु0 17749/=रुपये(श्री कृष्ण लाल पठारी को राशि मु0 3995/=रु. की रसीद संलग्न नहीं है)

पैरा 19.(ख) निम्नलिखित वाउचर्स अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिन्हें आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाये :-

(1) वाउचर संख्या 27 दिनांक 1.9.97 राशि मु0 666/=रुपये(चिकित्सा प्रतिपूरक बावत श्री अजय गुप्ता, सहायक अभियन्ता का)

(2) वा.सं. 48 दिनांक 5.9.97 राशि मु0 457/=रुपये (श्री एम.एस. चौहान,सहायक अभियन्ता का चिकित्सा प्रतिपूरक बावत)

(3) वा.सं. 157 दिनांक 22.9.97 राशि मु0 2000/=रुपये(मुख्य सम्पादक मै. हिमाचल ईरा लोटा शिमला)

(4) वा.सं. 158 दिनांक 22.9.97 राशि मु0 5000/=रुपये (जिलाधीश शिमला)

(5) वा. सं. 167 दिनांक 23.9.97 राशि मु0 500/=रुपये। (श्री डी.के.अग्रवाल का इम्प्रेस्ट)

पैरा19.(ग) <u>वाउचर संख्या 177 दिनांक 31.3.98 राशि मु0 28052/=रुपये</u>

प्राधिकरण द्वारा मै. भुट्टी विवर्ज को.ओ.सोसाईटी लिमिटिड शमशी के जनरल मैनेजर को पंजाब नैशनल बैंक के चैक संख्या: 806581 दिनांक 31.3.98 द्वारा राशि मु0 28052/=रुपये का भुगतान किया। उक्त भुगतान उपरोक्त कम्पनी द्वारा अधिक जमा करवाई गई राशि का बताया गया जबकि उक्त भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाये।

पैरा 19.(घ) <u>वाउचर संख्या 180 दिनांक 31.3.98 राशि मु0(-)74070/=रु.:-</u>

रोकड़ बही (Cash Book) के पेज संख्या 82 में चैक संख्या 942239 दिनांक 11.12.97 राशि रु0 74070/=रुपये के रद्द (Cancel) करने के फलस्वरूप(-) घटा इन्द्राज किया गया है । उपरोक्त चैक श्री युगल किशोर कपूर सुपुत्र श्री धीरजीं लाल कपूर (अधिशाषी अभियन्ता एच.पी.एस.ई.बी. ठाठाबाड़ी) को पांथघाटी पी.एस.एफ.एस.बी.सी.एस. फेज-II, न्यू शिमला में आंवटित फ्लैट टाईप -बी के रद्द होने पर जारी किया गया था । बाद में आंबटी द्वारा उपरोक्त रद्द किए गये फ्लैट को न रद्द करने बारे प्रार्थनापत्र दिया जिसे प्राधिकरण द्वारा मान लिया गया । प्राधिकरण के पत्र संख्या: एच.पी.एच.बी.पी.-एडमिन(बी)5 बी-पी.एस.एफ.एस/पी.(बी)-6470-998-1000 दिनांक 6.2.98 द्वारा आंबटी को राशि रु0 11500/=रुपये जमा करवाने बारे लिखा गया। उक्त राशि आंबटी को 15 दिन के अन्दर जमा करवानी अनिवार्य थी अन्यथा आंवटन रद्द समझा जायेगा । उपरोक्त राशि के जमा करवाने बारे कोई अभिलेख अंकेक्षण में नहीं दिखाया गया न ही राशि जमा न करवाने पर आंवटन के रद्द ~~करने~~ सम्बन्धी अभिलेख दिखाया गया । अतः समस्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए ।

स्थापना व्यय :-

पैरा 20(क) वा.सं. 17 दिनांक 1.9.97 राशि 5930.00रुपये

(1) उपरोक्त वाउचर द्वारा श्री वरिन्द्र कुमार शर्मा, वरिष्ठ ड्राफ्टमैन (आर्टटिक) को मास 8/97 का वेतन बैच 9/97 द्वारा रु0 5930/=रुपये का भुगतान किया गया । कर्मचारी की सेवा पुस्तिका व अन्य अभिलेख की जांच में पाया गया कि कर्मचारी को अधीक्षक अभियन्ता के पत्र संख्या: हि.प्र.न.वि.प्रा.एडमिन-appointment/95-2294-96 दिनांक 26.4.97 द्वारा नियमित करने के आदेश जारी किए गए । उपरोक्त आदेश 26.4.97 को जारी किए गए परन्तु इन आदेशों को 1.9.96 से प्रभावी माना गया क्योंकि कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत कार्यग्रहण सूचना(नवित्त सं. एच.पी.

एन.वी.पी.-एर्हीगन (एस पी.एफ.(वी.के.)/97 खण्ड-1 पृष्ठ 12)
के अनुसार कार्यग्रहण 26.4.97 है । मूल नियम-17 के अधीन दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार" ... the date he actually assumes the duties of the post

(अतः कर्मचारी को 26.4.97 के स्थान 1.9.96 से नियमित किया गया । अतः कार्यग्रहण सूचना से पूर्व की अवधि ही नियुक्ति/नियमित करने का औचित्य अंकेक्षण में दिया जाए ।

(2) कर्मचारी के Salary रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि कि वाउचर सं. 8 दिनांक 27.12.97 द्वारा अवधि 1.9.96 से 31.3.97 तक की बकाया राशि का भुगतान कुल 19049.00रुपये श्री वरिन्द्र कुमार शर्मा को किया गया । उक्त कर्मचारी के अवधि 1.9.96 से 25.4.97 तक के उपस्थिति रजिस्टर बार-बार अनुरोध करने पर भी प्राधिकरण द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए और इस प्रकार कर्मचारी की कार्यालय में वास्तविक उपस्थिति की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए । विभिन्न मासों के पत्रावलियों के अनुसार कर्मचारी द्वारा 12/96 में 10 कार्य दिवस, 1/97 में 27 कार्य दिवस, 3/97 में $20\frac{1}{2}$ कार्य दिवस कार्यालय में कार्य किया है । अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए ।

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त कर्मचारी की सेवा पुस्तिका के अवलोकन से पाया गया कि कर्मचारी को दिनांक 1.9.97 और 1.9.98 को Provisional वेतन वृद्धि प्रदान की गई जबकि कर्मचारी के नियम अवधि तक अर्जित अवकाश/अर्द्धवेतन अवकाश/ई.ओ.एल.(अवैतनिक) अवकाश की स्वीकृति नहीं की गई है । और इस प्रकार वेतन वृद्धियों को regularise न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए ।

परिवर्तित अवकाश 12.6.97 से 30.6.97 = 19 दिन
(medical leave) 30.9.97 से 13.11.97=45 दिन
------
64 दिन

परिवर्तित अवकाश 10.6.97 से 30.6.97 }
(Comm. leave) 30.9.97से2.11.97 } 53 दिन

अवैतनिक अवकाश 3.11.97 से 13.11.97 = 11 दिन
E.O.L. on medical ground.

अर्जित अवकाश	ई.एल.	मेडीकल लीव
1.9.96 से 31.12.96	10दिन	6 दिन
1.1.97 से 30.6.97	15 दिन	10 दिन
1.7.97 से 31.12.97	15दिन	10दिन
29.6.97 से 26.8.97	59 दिन	---- -
14.9.98 से 15.3.99	182दिन	~~55~~
	241 दिन	
23.4.98 से 7.5.98	15 दिन	
ई.ओ.एल. 8.5.98	1 दिन	

पैरा 20.(ख) निम्नलिखित प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को मुख्य प्रशासक के कार्यालय आदेश सं. एच.डी.एच.(एडमिन)(ए) Non-Gazetted /97-7241-45 दिनांक 15.11.97 द्वारा वित्तायुक्त एवम् सचिव (कार्मिक) हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 के पत्र संख्या: पी.ई.आर. (ए.पी.)-सी-एफ(4)-3/95 खण्ड-II दिनांक 7.6.97 द्वारा वर्ष 1990-91 की हड़ताल की अवधि को नियमित करने हेतु अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई थी । इस अवधि का कर्मचारियों को लीव सैलरी भी दी गई थी । उक्त समस्त कर्मचारी प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर है और इनकी सेवा पुस्तिकाएं सम्बन्धित पैत्रिक विभाग में है जिस कारण कर्मचारियों के खाते में स्वीकृत किए गए अवकाश की प्रविष्टि की जांच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी । अतः अवकाश की प्रविष्टि की जांच ... स्वीकृत अवकाश को सेवा पुस्तिका में दर्ज किए जाने की पुष्टि

सम्बन्धित कर्मचारी के पैतृक विभाग से इस आशय का प्रमाण-पत्र लिया जाये व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये :-

कर्मचारी का नाम	पद	अर्जित अवकाश	कुल दिन
सर्वश्री बी.सी.रंगरा,	क.अभियन्ता	1n. 12.90 से 31. 1.91	45 दिन
-"- एल.एन.शर्मा,	-"-	1n. 12.90से31. 1.91	45दिन
-"- के.एम.खन्ना	-"-	1n. 12.90से25. 12.90	8दिन
-"- एन.के.मल्होतरा	-"-	1n. 12.90से31. 12.90	14दिन
-"- नन्द लाल धीमान	-"-	1n. 12.90से8. 1.91	17दिन
-"- आई.एन.भारद्वाज	-"-	1n. 12.90से31. 1.91	45 दिन
-"- बी.एस.वर्मा	-"-	1n. 12.90से 31. 1.91	45दिन
एस.पी.गुप्ता,	-"-	1n. 12.90से31. 1.91	45दिन

पैरा 20(ग) हि.प्र.नगर विकास प्राधिकरण, शिमला-9 में लोक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के वेतन व भत्तों की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए कर्मचारी लोक निर्माण विभाग में निम्न पदों पर कार्यरत थे इन कर्मचारियों को पदोन्नत करने के तुरन्त बाद नगर विकास प्राधिकरण में उच्च पदों पर तैनात किया गया। प्रतिनियुक्ति पद का कार्यग्रहण करने के बाद इन कर्मचारियों का वेतन लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में निर्धारित किया गया। इन कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में 22-1(ए)(1) के लाभ के साथ-2 प्रतिनियुक्ति भत्ते का भी भुगतान किया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी अन्तिम वेतन प्रमाण पत्रों का अवलोकन करने पर स्वतः ही पता चलता था कि इन कर्मचारियों द्वारा लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद के वेतनमान में वेतन आहरण किया गया था।

इस प्रकार के मामलों में कर्मचारियों को दोहरे लाभ अर्थात उच्च वेतनमान व प्रतिनियुक्ति भत्ते के कारण 12403/=रुपये का अनियमित भुगतान किया गया। जिसकी शीघ्र वसूली की जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं से परिहार किया जाए।

§1§ श्रीमति विमला कौशल को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत करने के बाद अधिशाषी अभियन्ता आयुर्विज्ञान मण्डल शिमला के कार्यालय पत्र पी. डब्लू. ई- एम.सी.डी.ई.-4/96-14-19 दिनांक 3.4.96 द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण शिमला-9 में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया । इस कर्मचारी को कनिष्ठ सहायक के पद से दिनांक 3.4.96 को भारमुक्त किया गया तथा दिनांक 4.4.96 को हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्य ग्रहण । करने के फलस्वरुप इस कर्मचारी का वेतन अधिशासी अभियन्ता आयुर्विज्ञान महाविधालय मण्डल के पत्र ए.पी. डब्लू.ई/एम.सी.डी.ई/3-196,-1331-35, दिनांक 1.6.96 द्वारा निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया ।

3.4.96 को निम्न पद के वेतनमान 1500-2600 में वेतन ।	1750+ 40 एपी
4.4.96 को वरिष्ठ पदपर वेतन नियम 22§1§§ए§	1800+40ए.पी.
1.10.96 को निम्न पद परअर्जित वेतन वृद्धि के बाद वेतन	1850+40ए.पी.
1.10.96 को वरिष्ठ सहायक के वेतनमान में वेतन निर्धारण	1900+ 40ए.पी.

1.4.97 से 31.3.98 तक इस कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति के 22§1§§ए§§1§ के लाभ के साथ 2.5% की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता भी दिया गया, जबकि कर्मचारी द्वारा पैतृक विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर ही वेतन आहरण किया जा रहा था नियमानुसार कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर दोनों लाभ उपलब्ध नहीं होते नियमानुसार कर्मचारी को या तो प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में वेतन निर्धारण करवाना होता है या फिर पैतृक विभाग के पद पर आहरित वेतन+ प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होता है । अतः इस कर्मचारी द्वारा दिनांक 1.4.97 से 31.3.98 तक दोनों लाभों को प्राप्त किया गया जो कि अनियमित था । इस प्रकार 1.4.97 से 31.3.98 तक भुगतान किए गए प्रतिनियुक्ति भत्ते की राशि 3780/-रूपये की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए । विवरण निम्न प्रकार से था । 114

अवधि	मूल वेतन	प्रतिनियुक्ति भत्ता	मास	राशि (रु.)
1.4.97 से 30.9.97	6200	310	6	1860
1.10.97 से 31.3.98	6400	320	6	1920
			जोड़	3780

(2) श्री सतीश चन्द्र नेगी को प्रारूपकार के पद पर पदोन्नति करने के बाद अधिशासी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के कहसम मण्डल के पत्र संख्या के.सी.एम/डी एण्ड आर.ई.ए.-ई-4/94-95-9493-99 दिनांक 20.1.96 द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण, शिमला-9 में प्रारूपकार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया। इस कर्मचारी का वेतन प्रतिनियुक्ति पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि 23.1.96 से उपरोक्त मण्डल द्वारा उनके उपरोक्त संख्यक पत्र, दिनांक 30.3.96 द्वारा निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया।

22.1.96 को कनिष्ठ प्रारूपकार के वेतनमान में 1200-2130 रु. में वेतन — 1600 रु.
23.1.96 को प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान 1800-3200 में वेतन निर्धारण नियम 22(1)(ए)(1) — 1800रु.

इस कर्मचारी को दिनांक 1.4.97 से 31.3.98 तक प्रतिनियुक्ति पद के वेतन मान में नियम 22(1)(ए)(1) के अन्तर्गत निर्धारित वेतन के साथ-2 10% प्रतिनियुक्ति भत्ते की राशि का ~~अधिक~~ भी भुगतान किया गया जो कि अनियमित था क्योंकि प्रतिनियुक्ति पर दोनों लाभ नियमानुसार देय नहीं। अतः प्रतिनियुक्ति भत्ते की अधिक अदा की गई राशि रु. 7260 जिसका विवरण निम्न प्रकार से था की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

अवधि	मूल वेतन	प्रतिनियुक्ति भत्ता	मास	राशि (रु.)
1.4.97 से 31.12.97	6000	600	9	5400
1.1.98 से 31.3.98	6200	620	3	1860
			जोड़	7260

§3§ श्री हरी राम को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत करने के बाद अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग शिमला मण्डल नं. 11 के कार्यालय आदेश संख्या: एस डी-11 ई.एम.टी.-5/96-9657-63 दिनांक 29.10.96 द्वारा नगर विकास प्राधिकरण शिमला-9 में वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया इस कर्मचारी का वेतन प्रतिनियुक्ति पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि 29.10.96 §एफ.एन§ से उपरोक्त मण्डल के पत्र संख्या एस.डी.-11/ ई.एस.टी.-वेतन निर्धारण/96-13971-75, दिनांक 9.1.97 द्वारा निम्न प्रकार से किया गया :-

दिनांक 29.10.96 को कनिष्ठ सहायक 1950+ 40 ए.पी. के पद के वेतनमान 1500-2700 में वेतन ।

29.10.96 को प्रतिनियुक्ति पद के 1950+ 40ए.पी. §वरिष्ठ सहायक§ के पद के वेतनमान में नियम 22§ 1§§ए§§ 1§ के अनुसार वेतन का निर्धारण ।

इस कर्मचारी को 1.4.97 से 15.6.97 तक प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में नियम 22§ 1§ §ए§§ 1§ के अनुसार निर्धारित वेतन के साथ-2 5% प्रतिनियुक्ति भत्ते की राशि का भी भुगतान किया गया जोकि अनियमित था । क्योंकि प्रतिनियुक्ति पर दोनों लाभ एक साथ देय नहीं है । अतः प्रतिनियुक्ति भत्ते के कारण अधिक भुगतान की राशि 250/-रुपये जिसका विवरण निम्न प्रकार से था की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए :

अवधि	मूल वेतन	प्रतिनियुक्ति भत्ता	माह	राशि§रु.§
4/97से 15.6.97	1950+40	100	$2\frac{1}{2}$	250
			जोड़	250

§4§ श्री सुनील कुमार को प्रारूपकार के पद पर पदोन्नत करने के बाद रजिस्ट्रार मुख्य अभियन्ता §उत्तर§ हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग धर्मशाला के कार्यालय पत्र संख्या: पी-डब्लू.ई-ई-एस-1/ई-2 पी-एफ़री/96-2991-97 दिनांक 19.3.96 द्वारा हि0प्र0 नगर विकास प्राधिकरण शिमला-9 में प्रारूपकार के पद पर तैनात

किया गया था । इस कर्मचारी का वेतन प्रतिनियुक्ति पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि 20.3.96 को रजिस्ट्रार, मुख्य अभियन्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (उत्तर) धर्मशाला के कार्यालय पत्र संख्या: पी.डब्लू.ई./सी.ई.(एन) पी.एफ-97-3042-45, दिनांक 10.5.96 द्वारा निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया ।

19.3.96 को कनिष्ठ प्रारूपकार के वेतनमान 1200-2130 में वेतन ।	1600.00
30.3.96 को प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान 1800-3200 में वेतन का निर्धारण नियम 22(1)(ए)(1) ।	1800.00

इस कर्मचारी को 1.4.97 से 31.3.98 तक प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में नियम 22(1)(ए)(1) के अन्तर्गत निर्धारित वेतन के साथ-2 5% की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता का भी भुगतान किया गया जो कि अनियमित था क्योंकि प्रतिनियुक्ति पद दोनों लाभ नियमानुसार देय नहीं है अत: प्रतिनियुक्ति भत्ते की भुगतान की गई राशि 1113/-रुपये जिसका विवरण निम्न प्रकार से था की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए ।

अवधि	मूल वेतन	प्रतिनियुक्ति भत्ता	माह	राशि(रु.)
1.4.97 से 30.4.97	1800	90	1	90
1.5.97 से 31.3.98	1850	93	11	1023
			जोड़ :	1113

पैरा20(घ) (1) श्री पी.डी.कश्यप, हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण शिमला-9 में प्रतिनियुक्ति पर थे इस कर्मचारी द्वारा दिनांक4/97 से 12/97 तक 2825+140रुपये ए.पी. की दर से मूल वेतन व तदानुसार अन्य भत्तों को प्राप्त किया गया जब कि श्री पी.डी.कश्यप को 4/97 से 12/97 तक कु0 2625/-रुपये की दर से वेतन व अन्य भत्ते देय थे इस प्रकार उपरोक्त अवधि के दौरान श्री पी.डी.कश्यप को वेतन

व अन्य भत्तों की कुल राशि मु0 952/=रुपये का अधिक भुगतान किया गया । इस राशि को वसूल तुरन्त करना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए ।

§2§ श्री हरी राम, हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण शिमला-9 में प्रतिनियुक्ति पर है । इस कर्मचारी को माह 4/97 से 15.6.97 तक के वेतन व अन्य भत्तों का भुगतान मूल वेतन 1950+40 ए.पी. की दर से किया गया जबकि उपरोक्त अवधि के लिए इन्हें 1950/=रुपये मूल वेतन की दर से वेतन व अन्य भत्ते देय है । इस कर्मचारी को दिनांक 4/97 से 16.6.97 तक वेतन व अन्य भत्तों की कुल राशि 305/=रुपये का अधिक भुगतान किया गया । इस राशि को वसूल तुरन्त करना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए ।

पैरा 20.§ड.§ छाया प्रति लिपि यन्त्र चालक को राशि मु0 700/=रुपये का अनियमित भुगतान करना :-

श्री मनोहर लाल सेवादार को माह 9/97 से 3/98 तक की छाया प्रति यन्त्र को चलाने के रूप में 100/=रुपये प्रति माह की दर से अदायगी की गई । अतः इस भुगतान का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा 700/=रुपये की वसूली शीघ्र करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए ।

पैरा 20.§च§ दूरभाष भत्ते की राशि मु0 1200/=रुपये का अनियमित भुगतान करना ।

श्री एस.एम. चौहान§ विधि अधिकारी§ जो कि हि0 प्र0 नगर विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे के वेतन व अन्य भत्तों की अदायगी का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इस अधिकारी को अंकेक्षण अवधि के दौरान 1200रुपये दूरभाष भत्ते के कारण अदा किए गए । हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी विभाग में दूरभाष भत्ते का भुगतान नहीं किया जाता न ही वेतन मानों में इस प्रकार के किसी भत्ते के भुगतान की स्वीकृति हि0प्र0 सरकार द्वारा जारी की गई थी । अतः इस भत्ते के भुगतान का

....121.

पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा 1200/=रुपये की वसूली करने के बाद इस अधिकारी को सरकार द्वारा प्राधिकृत भत्तों का ही भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए अगर किसी प्रकार प्राधिकरण इस भत्ते की अदायगी जरुरी समझता है तो भुगतान से पूर्व सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए अन्यथा इस भत्ते का भुगतान तुरन्त बन्द कर दिया जाए ।

पैरा 20.(ख) प्रतिनियुक्ति भत्ते के भुगतान के साथ-2 विशेष वेतन की राशि रु0 7303/=रुपये का अनुचित भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण, शिमला-9 में प्रतिनियुक्ति पर तैनात निम्न कर्मचारियों /अधिकारियों को अंकेक्षण के दौरान प्रतिनियुक्ति भत्ते की अदायगी के साथ-2 विशेष वेतन का भुगतान भी किया गया । मूल नियमों में प्रतिनियुक्ति भत्ते को विशेष वेतन माना गया है तथा हि0 प्र0 सरकार के कार्मिक विभाग के पत्र संख्या: पर (ए.पी.-II)बी(8)-1/83, दिनांक 2 के अनुसार किसी भी कर्मचारी /अधिकारी को एक पद पर दो विशेष वेतनों की अदायगी नहीं की जा सकती । अत: निम्न कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ते के साथ-2 विशेष वेतन का भुगतान उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुसार अदेय था । अत: कुल अदेय राशि 7303.00 रुपये की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों से तुरन्त करना सुनिश्चित किया जाए ।

कर्मचारी का नाम/पद	मूल वेतन	प्रतिनियुक्ति भत्ता	विशेष वेतन	अवधि	विशेष वेतन की अदेय राशि
श्री आर.के.नैयर, अधीक्षण अभियन्ता ।	5450	400	250	3/97 से 4/97	800
	5600	400	250	5/97 से 1/98	3600
	15100	400	250	2/98	400
श्री योग राज शर्मा, स्टेनोटाइपिस्ट	2460	123	40	3/97से 12/97	400
	2530	127	40	1/98	40
	7880	123	40	2/98	40
श्री मनमोहन शर्मा, -"-	2450	123	150	3/97 से 6/98	800
श्री प्रेम राज चौहान	1700	85	45	3/97 से 5/97	135
	283	14	8	1.6.97से5.6.98	8

सी.आर.तनेटा, कानूनगो	1765 1615	177 162	50 50	3/97 से 4/97 5/97 से 6/97	100 100
तारा चन्द टान्टा, पटवारी	1410	141	50	3/97 से 6/97	200
रूप लाल पटवारी	1320	132	50	3/97 से 6/97	200
वीरेन्द्र सिंह, पटवारी	1455	73	50	3/97 से 6/97	200
कन्हैया राम, चपरासी	1105	119	40	3/96 से 1/98	440
	1200	120	40	2/98	40

जोड़ :- 7303/=रु.

पैरा सं. 20. (ज) श्री पी.एन.नेहरु सहायक अभियन्ता हि0 प्र0 नगर विकास प्राधिकरण शिमला-9 में प्रतिनियुक्ति पर थे इन्हें 1/98 से 2/98 तक मु0 220/=रुपये का अधिक भुगतान किया गया इस राशि को वसूल तुरन्त करना सुनिश्चित किया जाए ।

माह	प्रतिनियुक्ति पर का वेतनमान	मूल वेतन	प्रतिनियुक्ति भत्ता देय	भत्ता दिया गया	अन्तर
1/98	10025-15100	11660	390	500	110
2/98	10025-15100	11660	390	500	110
					220

21. निर्माण मण्डल -I

21. (1) निर्माण कार्य का नाम :- डी.सी.एस. फेस-2 के आवासीय परिसर शिमला-9 (उपशीर्ष सेक्टर-3 के प्लाट नं. 99, 100, व 101 (ए टाईप) के पीछे रोड़ में आर. सी.सी. रिटेनिंग वाल को गिराना व पुनः निर्माण ।

मैसर्ज विनेश कुमार, नवीन कुमार इन्जीनियर एवम् संविदाकार, एस.सी.ओ. 46 सैकण्ड फ्लोर सैक्टर 20 सी चण्डीगढ़ -160020 को डी.सी.एस. के नाथे फेस-II (उप शीर्ष लेन रोड़ आर.डी. 0/00 से 0/635 आर.सी.सी. 7 मीटर वाल फिल साईड व वैली साईड हि.प्र.न.वि.प्राधिकरण के पत्र संख्या एस.सी.ए.- (डी-II) -अधारेखा-7/90 -1052-59 दिनांक 27.9.90 द्वारा

21,96,037.00रुपये के लिए आंबटित किया गया। अनुबन्ध के अनुसार यह कार्य 6 माह के भीतर पूर्ण किया जाना था, इसे 11.4.91 तक कियाजाना था। प्राधिकरण समय में बढ़ोतरी करता रहा और अन्तिम बार समय बढ़ोतरी सी.ई.ओ.-कम चीफ इन्जीनियर एस.डी. ए. कसुम्पटी शिमला-171009 के पत्र संख्या: ए.बी.§6§ §53§ क्षेन्डर/91 -10464 दिनांक 31.10.93 द्वारा प्रदान की गई, जिस द्वारा यह कार्य 31.12.93 तक पूर्ण करने को संविदाकार से कहा गया। इस अवधि से आगे समय में बढ़ोतरी नहीं की गई परन्तु अभिलेख के अनुसार संविदाकार ने 6/94 से भी आगे तक भी कार्य को जारी रखा। चलत विपत्र " के अनुसार संविदाकार ने रु0 30,05,506/=रुपये का कार्य किया जिसका उन्हें भुगतान किया गया। और इसके पश्चात संविदाकार ने कार्य को पूर्ण करने से पूर्व ही इसे छोड़ दिया। प्राधिकरण के अधिकारियों ने इस कार्य को पूर्ण करने में कोई रुचि नहीं दिखाई जबकि इस कार्य में अत्यधिक पूंजी व्यय की जा चुकी थी और इस प्रकार यह कार्य अधूरा ही रहा। प्राधिकरण द्वारा मदों की निर्धारित जांच नहीं की गई जैसे कि आर.सी.एस.आर डी.0/00 से 0/19.00 सेक्टर 3 *budget out* §अस्तित्व§ हुआ इसे गिराने व पुनः निर्माण का निर्णय लिया गया और अनुमान संख्या 175रजिस्टर ए/ए एण्ड ई/एस द्वारा इसे रु0 2,01,950/=रु. में लगाने का अनुमान तैयार किया गया। जिसकी प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति एच.पी.एन.वी.पी. कसुम्पटी शिमला-9 कार्यालय के आदेश संख्या एच.पी.एन.वी.पी.§डब्लयू§-डी.बी.बी.सी.एस.क फेस-II/96 -7576 -77 दिनांक 21.12.96 प्राधिकरण द्वारा दी गई अब यह कार्य प्राधिकरण के पत्र संख्या: एन.वी.पी.-§डी-1§ अकाउंटस -7/96 -4023-29 दिनांक 22.3.97 द्वारा श्री अभय नेगर संविदा-कार को कुल लागत 3,40,143.00रुपये के लिए आंबटित किया गया।

उपरोक्त कार्य के दूसरे चलत विपत्र वाउचर संख्या 24 माह 3/90 राशि 10,319.00रुपये का भुगतान किया। अभिलेख की जांच से मालूम हुआ कि *demolition and* पुर्न निर्माण वास्तविक प्लान के अनुसार नहीं किया गया क्योंकि यह कार्य

.....12|...

आर.डी. 0/00 से 0/9.90 और औफिस पोर्शन आर.डी. 0/9.90 से 0/11.90 किया गया । सम्भवतः यह विचलन प्राधिकरण द्वारा ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया और पुर्न निर्माण आर.डी. 0/11.90 से 0/19.00 जो कि वास्तविक प्लान के अनुसार अनुबन्धित था का निष्पादन ही नहीं किया गया । वास्तव में पहले वाला संविदाकार जो पूर्व में कार्य को छोड़ चुका था, ने कार्य को ए.डी.ए. के अधिकारियों को हैण्ड ओवर भी नहीं किया गया । कार्य पर व्यय की पूर्व के ठेकेदार मैसर्ज रितेश कुमार, प्रवीन कुमार से प्रतिपूर्ति की जानी अपेक्षित थी । प्राधिकरण द्वारा वसूली न करके विभाग को 1,34,031.00रुपये का और खर्च डाला गया जिस की वसूली दोषी से करने के साथ-2 कार्यवाही भी तथा प्राधिकरण को अनावश्यक रुपेण क्षति पंहुचाने व दोषपूर्ण कार्य करने हेतु दोषी ठेकेदार व कर्मचारियों के विरुद्ध specific Corrupt Practices Act ,1983 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए ।

पैरा 21.(2)(क) हि0 प्र0 नगर विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल-1 के लेखाओं मास 9/97 व 3/98 के भिन्न-2 निर्माण कार्यों के बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इन कार्यों के लिए भण्डार से जारी सीमेन्ट बैगों की खपत प्राप्त होने वाले खाली सीमेन्ट बैगों की कार्य अनुबन्ध की जनरल सपेसीफिकेशन एण्ड कन्डीशनस नं. 4.8 के अनुसार नगर विकास प्राधिकरण वापिस करना था लेकिन भिन्न-2 कार्यों जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है पर कुल 9005 बोरियों की खपत की गई शर्त नं. 48 के अनुसार खपत किए गए सीमेन्ट बोरों का 90% भाग को संविदाकारों द्वारा प्राधिकरण को वापिस लौटाना था । अंकेक्षण के दौरान कोई भी ऐसा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे खपत किए गए सीमेन्ट बैगों के 90% भाग के बराबर खाली सीमेन्ट बोरों की प्राप्ति के सत्यापन किया जा सके । विभाग में प्रचलित प्रथा के अनुसार यदि कोई संविदाकार उपरोक्त शर्त के अनुसार कुल खपत किए गए सीमेन्ट बोरों के 90% भाग के बराबर खाली सीमेन्ट बोरियों को विभाग को वापिस नहीं लौटाता तो उस संविदाकार के कार्य बिल की देय राशि में से खपत किए गए सीमेन्ट बोरों के

90% भाग के बराबर वाली सीमेन्ट बोरियों की कीमत एक रुपया प्रति खाली बोरी की दर से वसूली की जाती है, परन्तु दिए गए विवरण में कार्य के लिए जारी/खपत की गई 16361 सीमेन्ट की बोरियों से, विभाग को प्राप्त होने वाली खाली बोरियों का 90% के भाग की कीमत उपरोक्त प्रचलित प्रथा के अनुसार एक रुपया प्रति बोरी की दर से वसूल नहीं की गई थी और न ही विभाग द्वारा खाली बोरियों की प्राप्ति की गई थी । अतः कुल राशि 14724.50 रुपये की वसूली सम्बन्धित संविदाकारों से करना सुनिश्चित किया जाए । भविष्य में कार्य अनुबन्ध की समस्त शर्तों का पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए । इसके अतिरिक्त अन्य इसी प्रकार के समस्त प्रकरणों की जाँच प्राधिकरण अपने स्तर पर करने के उपरान्त वसूली योग्य राशि यदि कोई हो तो वसूल करने हेतु कार्यवाही की जाए तथा यह भी प्रमाणित करें कि उक्त प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया है।

क्र.सं.	माह	अनुबन्ध सं.	वर्ष	सीमेन्ट जो उपयोग किया गया	वसूली योग्य राशि(रु.)
34	9/97	17	96-97	91	82.00
2.	3/98	20	97-98	722	649.80
15.	9/97	1	96-97	4595	4135.50
21	9/97	14	96-97	47	42.30
32.	9/97	18	96-97	205	184.50
58	9/97	58	96-97	34	30.60
49	9/97	34	96-97	250	225.00
25	9/97	28	96-97	2349	2114.10
7	3/98	17	96-97	180	162.00
10	3/98	10	96-97	~~882~~ 201	~~400.90~~ 180.90
27	3/98	31	96-97	452	406.80
53	3/98	27	96-97	445	400.[illegible]
वर्क आर्डर					
1	9/97	6	97-98	50	45.00
51	3/98	16	97-98	6740	6066
			योग	16,361	14,724.50

पैरा 21§2§ क§ सिक्यूरिटी राशि का रिफण्ड:-

हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण, निर्माण मण्डल-1 के मास 3/98 के लेखाओं में निम्नलिखित विवरण के अनुसार संविदाकारों को ~~नक~~ security fund के रूप में भुगतान किया गया परन्तु इस भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख सिक्यूरिटी रजिस्टर, व माप पुस्तिका इत्यादि को अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं किया गया । अतः सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए :-

क्र.सं.	मास	अनुबन्ध सं.	वर्ष	संविदाकार का नाम	राशि	चैक सं.	दिनांक
37	3/98	16	96=97	श्री रविन्द्र जरटा	8000/=	806040	12.3.98
56	3/98	3	95-96	श्री तरलोक चन्द	45000/=	806055	30.3.98
12	3/98	10	96-97	श्री मुनीश मल्होत्रा	24710/-	-.	-
23	3/98	32	96-97	श्री भगत राम	9509/-	-	-

पैरा 21.§3§ वाउचर सं. 34 मास 12.3.98

निर्माण कार्य का नाम :- बी.सी.एस. से नीचे आवासीय परिसर रिटेनिंग वाल का निर्माण §उप शीर्ष- Re-Construction of retaining wall by DISMENTLING damaged R.C.C. retaining wall on lane IV Sector III R.D 0/51 to 0/67.40.

अनुबन्ध संख्या:- 16 वर्ष 1996-97

संविदाकार का नाम :- श्री रविन्द्र जरटा ।

सेक्टर III लेन 4 आर.डी.0/51 से 0/67.40 की रिटेनिंग वाल का पुनः निर्माण रजिस्टर रजिस्ट्रेशन नं. 146 ए/ए एण्ड ई/एस की लागत 2,64,110/=रुपये के लिए तैयार किया गया ,जिसे एस.पी.एन.डी.पी. §क्लयू§ -सी.डी.-पैकII /96 -5999 -6000 दिनांक 5.10.96 द्वारा अनुमोदित किया गया । estimate में यह स्पष्ट तौर पर अंकित किया गया था कि this work was to be get executed at the risk and cost of the contractor who has constructed the [illegible] ... wall.

यह कार्य एच.पी.एस.डी.पी.-[डी-T]-एकाउन्ट्स-7/96-1305-9। दिनांक 7.11.96 द्वारा श्री रविन्द्र जस्टा संविदाकार कॉलेजी व्यू, कोटा शिमला-171002 को कुल लागत, 4,51,291.00रुपये के लिए आंबटित किया गया । ~~इस कार्य के पांचवें एवं~~

इस कार्य के पांचवें एवम अन्तिम बिल के अनुसार इस कार्य पर 5,00,527.00रुपये की राशि व्यय की गई जबकि अनुबन्ध में इस कार्य के लिए 2,64,110.00रुपये ही स्वीकृत किए गए थे । सम्बन्धित अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में कोई संशोधित estimate /प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की जब कि एम.बी.नं. 561 पृष्ठ 74 से 81 दिनांक 12.3.98 के अनुसार इस कार्य पर estimate से 89.51% राशि अधिक व्यय की गई है । 5,00,527.00रुपये की वसूली बारे न तो नगर विकास प्राधिकरण ने कोई कार्यवाही की और न तो इस राशि को पूर्व के संविदाकार ~~जिसे यह~~ जिसने defective कार्य किया था से राशि की वसूली की गई और न ही कोई कार्यवाही engineer incharge के विरुद्ध की गई जिससे नगर विकास प्राधिकरण को बिना कारण उपरोक्त हानि उठानी पड़ी ।

पैरा 21.[4] व.सं. 10 मास 3/98

निर्माण कार्य का नाम :- डी.सी.एस.पेस-II से नीचे सैक्टर नं. 4 ब्लाक नं. 43 टाईप-सी फ्लैटों के पास दुकानों का निर्माण ।

अनुबन्ध संख्या :- 10 वर्ष 1996-97

संविदाकार का नाम :- मुनीश मल्होत्रा ।

[क] उपरोक्त कार्य का ~~बैंक~~ नगर विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या एच.पी.एस.डी.पी. -[डी-T] एकाउन्ट्स-7/96-944-50 दिनांक 8.8.96 द्वारा कुल लागत 2,67,050.00रुपये के लिए श्री मुनीश मल्होत्रा संविदाकार को आंबटित किया गया परन्तु पांचवे एवं अन्तिम बिल तक इस कार्य पर 3,44,199.0 रुपये व्यय किए गए । यद्यपि डिज़ाइन सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है परन्तु अधिक व्यय की गई राशि संशोधित वित्तीय स्वीकृति सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई है । अतः ~~वित्त~~ संशोधित वित्तीय

स्वीकृति न लेने का औचित्य स्पष्ट किया जाए ।

§3§ एम.बी.559 के पृष्ठ 76 के अनुसार संविदाकार से बिक्री कर के रूप में 6884.00रूपये के स्थान पर 5392.00रूपये ही काटे गए ! अतः बिक्री कर के रूप में कुल 1492रूपये की कम वसूली की गई है । अतः उक्त वसूली शीघ्रता से की जाए ।

इस कार्य में अतिरिक्त मद द्वारा स्टोन फिलिंग सोलिंग हार्ड हैड पैकड 13.90 एम^3 @ 259.15रूपये प्रति एम^3 की दर से 3602.00रूपये का निष्पादन किया गया । अनुबन्ध के अनुसार यह मद फिलिंग इन पलिन्थ रेट के साथ की जानी थी । अतः ठेकेदार को 3602.00रूपये का लाभ पंहुचाने हेतु इस मद का निष्पादन किया गया । अतः इसकी वसूली ठेकेदार से की जाए । अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए ।

21.§5§ वाउचर संख्या :25 मास 9/97

निर्माण कार्य का नाम : बी.सी.एस.के नीचे आवासीय परिसर फेस-2 शिमला-9 §उप शीर्ष : 6 अदद §टाईप-ए सेक्टर 4§ फ्लैटों में रहे हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्माण ।

अनुबन्ध संख्या: 20 वर्ष 1996-97

संविदाकार का नाम : श्री अजय कुमार अग्रवाल

§1§ उपरोक्त कार्य का आंबटन सं.नगर विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक एच.पी.नं.वि.प्रा.§री-1§ अकाउंटेंस -7/96 -1937-30 दिनांक 22.2.97 द्वारा श्री अजय अग्रवाल संविदाकार को कुल लागत 12,21,327/-रूपये के लिए किया गया था । इस पहले चलत बिपत्र तक कुल 1,42,550/-रूपये का भुगतान संविदाकार को चैक संख्या 940380 दिनांक 12.9.97 द्वारा किया गया । जांच में पाया गया कि इस कार्य में अत्याधिक विचलन बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से किया गया है । जिससे प्रतीत होता है कि कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन त्रुटिपूर्ण थी या संविदाकार को लाभ पंहुचाने के लिए विचलन किया गया । अतः इस विचलन बारे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए व विचलन करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए ।

मद का नाम	अनुबन्ध के अनुसार मात्रा	वास्तविक निष्पादित मात्रा	अधिक निष्पादित की गई मात्रा	दर	राशि(रु.)
...टींग इन अर्थवर्क	700.02मी^{3}	1000.69मी^{3}	291.07मी^{3}	75/=	21090.25
...सेवेशन इन फाउंडेशन	372.93मी^{3}	466.22मी^{3}	93.29मी^{3}	70/=	6530.30
...र्म वर्क-स्टील प्लेट (3.15 थिक ऐंगल आयरन) वर्टीकल वाल-पारटीशन	1185.07मी^{3}	1235.10मी^{3}	49.23मी^{3}	30/-	1476.90
...सीमेन्ट मिक्सर ...वर्कफार रिइन्फोर्समेन्ट					
(i) ~~...~~ फाउंडेशन फुटिंग	118.00मी^{3}	175.67मी^{3}	57.67मी^{3}	1700/=	98039.00
(ii) ~~...~~ वाल 0.10मी.	163.89मी^{3}	175.64मी^{3}	11.75मी^{3}	1725/=	20269.00
...ड पैकड स्टोन फिलिंग	125.91मी^{3}	154.07मी^{3}	28.16मी^{3}	80/=	2253.00
					150450.45

(2) प्राधिकरण द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: ई. एच.एन.-एफ(11)-1/92, दिनांक 31.7.93 द्वारा जारी निर्देशों के इस कार्य को 6 मास के भीतर पूर्ण किया जाना अपेक्षित था परन्तु इस कार्य को अंकेक्षण अवधि तक लगभग तीन वर्ष तक भी समाप्त नहीं किया गया और न ही समय की बढ़ोतरी बारे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली गई थी। अतः समय की सीमा के पश्चात कार्य को जारी रखने का औचित्य अंकेक्षण को स्पष्ट किया जाए। नगर विकास प्राधिकरण अपया सुनिश्चित करें कि समस्त निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर लिया जाए क्योंकि शायद ही कोई कार्य ऐसा हो जो समय पर पूर्ण किया गया हो।

2(6) वाउचर ...या 15 मास 9/97

निर्माण कार्य का नाम : डी.सी.एस. के नीचे फेस-II (जय शीर्ष 16 नं. टाईप -डी कोरस के साईट्स की

डवलौपमेन्ट और पानी की सप्लाई
व सिनेटरी इन्टालेशन इत्यादि ।

अनुबन्ध संख्या: 1 वर्ष 1996-97

संविदाकार का नाम :- मैसर्ज विकास इन्टरप्राईजिज ।

(क) उपरोक्त कार्य के आबंटन की शर्तानुसार संविदाकार द्वारा मद संख्या 9, 12, 13 और 14 के निष्पादन में अत्याधिक बढ़ोतरी कर दी गई । पाचवें विपत्र तक निष्पादित की गई इन मात्राओं का विवरण निम्न प्रका से है (एम. बी. नं. 593, 545, 567 व 458)

मद सं.	मद का नाम	डी. एन. आई. टी. के अनुसार मात्रा	वास्तव में दर निष्पादित मात्रा	अन्तर का प्रतिशत	दर अन्तर	की राशि
9	प्रोवाईडिंग टोर स्टील	37472.50 कि. ग्रा.	55360.00	148 प्रतिशत	10/-	322119/
13.	ब्रिक वर्क	2.55	8.47	254%	1600/-	6272/=
14	हाल्फ ब्रिक वर्क	1213.40	1533.17	126%	225/-	71930/-

उक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि उपरोक्त मदों की दरें अधिक होने के कारण इनका निष्पादन अत्याधिक मात्रा में निष्पादित किया गया है । अतः इन मात्राओं में इतने अधिक अन्तर बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए ।

(ख) अतिरिक्त मदों का अत्याधिक मात्रा में उपयोग :

	मद का नाम	मद की मात्रा	दर	राशि
26	रन्डम रूब्बल मसानरी स्टोन वर्क	155.70 Mt	790.35 (643=P.R)	-100115.00
27	Synod... Rubble Masonry Covered with hard stone in foundation	33.90 M3	1046.05 (785/=P.R)	- 26112.00
28	Providing Chase 75 MM Wide, 50 MM deep	200.56 RMT	11.05 P/R (8.00/-P.R)	=1604.00

29. Demolishing Below ground level 1.5 Meter Depth 23.75 M³ 797.75 (750/= PR) =17813

30. Providing and fixing M.S. Sheet Storage Tank. 1 नं. 4147.20 F.R (2000/- PR) =3600.00

31. P/F Single equal Band of required degree with oval access door insertion Rubber washer 3 MM Thick Bolts.

75 MM Dayg	36 नं.	103.70 F/A PR (100/- PR)	=3800.00
100 MM Dayg	18 नं.	137.50/= PR (125/- PR)	=2250.00

पैरा 2(87) वा.सं. 12 दिनांक 4.9.97

निर्माण कार्य का नाम : ढलुम्पटी जोन सैन्टर, वाटर सप्लाई स्कीम, प्लानिंग ऐरिया व आफ शिमला वाटर सप्लाई स्कीम डिस्ट्रीब्यूशन लाईनस ढलुम्पटी से वी.सी.एस. फेस-1 (उप शीर्ष स्टोरेज टैंक-2, प्लाट-सी-02 सैक्टर 1 के पास, वर्तमान मेन पाईप लाईन डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच, स्कोर पाईप लाईन और ओवर फ्लो पाईप को शिफ्ट कर नई लाईन लगाना ।

अनुबन्ध सं0 15 वर्ष 1997-98

संविदाकार का नाम :- श्री ओंकार नाथ ।

उपरोक्त निर्माण कार्य का आबंटन नगर विकास प्राधिकरण के पत्र सं0 एन.टी.पी. (टी-1) एकाउन्टस -7/97-796 -802 दिनांक 17.7.97 श्री ओंकार नाथ को किया गया। इस कार्य के प्रथम चलत बिल तक चैक संख्या: 940297 दिनांक 4.9.97 रु0 37929.00रुपये का भुगतान संविदाकार को किया गया है ।

अनुबन्ध की मद संख्या: 3 जिसके द्वारा प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग इन ट्रेंचेस गलवानाईज्ड माईल्ड स्टील ट्यूब (earth work 65एम.एम. का निष्पादन किया गया परन्तु जांच से पाया गया कि इस मद का दर विश्लेषित करते समय मानक दर अनुसूची 1987 में जोड़ में गलती के कारण 426/=रुपये के स्थान पर 430.00रुपये लिया गया । इस मद का कुल निष्पादन 25.30 आर.एम.टी., माप पुस्तिका 592 पृष्ठ 1 से 10 में दर्ज किया गया है और इस प्रकार 25.30 Rmt ×430.00= 10879 रु. किया गया जबकि यह मद 25.30×426.00 = 10777.00रुपये की राशि का भुगतान किया जाना अपेक्षित था । अतः 101.00रुपये का भुगतान अधिक किया गया जिसकी वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को बतलाया जाए ।

पेरा 21.(ग) वा. सं. 32 माह 3/98

निर्माण कार्य का नाम :- बी.सी.एस. फेस-II टाईप ए फ्लेट के नीचे ब्लाक-14 नाले के समीप 4.20मीटर ऊंची आर.सी.सी. रिटेनिंग वाल का निर्माण

अनुबन्ध संख्या:5 व वर्ष 1996-97

संविदाकार का नाम : श्री धर्मेन्द्र जस्टा ।

उपरोक्त निर्माण कार्य का निर्माण प्राधिकरण के पत्र संख्या एच.पी.एन.वी.पी.(सी-1)- एकाउन्टस-7/96-701-707 दिनांक 2.7.96 द्वारा श्री धर्मेन्द्र जस्टा संविदाकार को कुल लागत 1,20,507.00रुपये के लिए आंवटित किया गया । तीसरे व अन्तिम बिल एम.बी.नं. 581 के पृष्ठसं0 86 से 91 के अनुसार यह कार्य 1,17,004.00रुपये के लिए सीमित किया गया अतः यह स्पष्ट किया जाए कि क्या ड्राईंग के अनुरूप उक्त कार्य सम्पन्न नहीं किया गया । क्योंकि इस कार्य पर स्वीकृत राशि से कम व्यय किया गया है ।

इस कार्य के अन्तिम बिल का भुगतान संविदाकार को किया गया परन्तु अनबन्ध पर न तो संविदाकार के हस्ताक्षर है और न ही अधिशाषी अभियन्ता द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए

है । आबंटन पत्र के जारी होने के पश्चात संविदाकार द्वारा हलफिया ब्यान (एफिडेविट) किया जाना अनिवार्य होता है, परन्तु इस पर न तो संविदाकार ने हस्ताक्षर किए और न ही ई.ई. ने ऐसा किया था । अतः औपचारिकताओं को पूर्ण न करने बारे स्थिति को स्पष्ट किया जाए । इससे प्रतीत होता है कि कार्य आबंटन पहले कर दिया जाता है तथा अन्य औपचारिकताएँ बाद में पूर्ण की जाती है ।

पेरा 2(9)(क) <u>वाहन संख्या एच.पी-03-1623</u>

उपरोक्त वाहन की लाग बुक की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गई । मास 4/97 से 7/97 तक की अवधि के दौरान चालक से निम्न विवरण के अनुसार 913 ली. पेट्रोल की वसूली की जानी अपेक्षित है । वसूली शीघ्रता से कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए :-

मास	गत मास का बकाया पेट्रोल	मास में डलवाया पेट्रोल	पेट्रोल की कुल मात्रा	वाहन द्वारा मास में तय की गई दूरी	वाहन की औसत	पेट्रोल की खपत	बकाया पेट्रोल
4/97	710ली.	366 ली.	1076ली.	1713कि.मी.	5.5 प्रतिली.	311.5 ली.	764.5 ली.
5/97	764.5ली.	304ली.	1068.5ली.	1209कि.मी.	5.5 कि.मी.	220 ली.	848.5
6/97	848.5ली.	75ली.	923.5ली	128कि.मी.	5.5 कि.मी.	23.50	900ली.
7/97	900ली.	15ली.	915ली.	9कि.मी.	5.5ली.	2ली.	913ली.

उक्त गाड़ी में 913 लीटर पेट्रोल की वसूली 913×22.27 = 20332.50रुपये की शीघ्रता से की जाए ।

2(9)(ख) गाड़ी नं. एच.पी.03-1623 की लाग बुक की जांच करने पर पाया गया कि उक्त वाहन के मास 6/97 में चालक द्वारा 128कि.मी. के उपयोगकर्ता के हस्ताक्षर नहीं करवाए गए हैं । अतः उपयोगकर्ता के हस्ताक्षर न करवाने बारे स्पष्टीकरण किया जाए । अन्यथा

86कि.मी.÷ वाहन की औसत 5.5 प्रति लीटर= 15.60 लीटर पेट्रोल की 22.27 रुपये की दर से कुल 347.00रुपये की वसूली कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

2।(9)(ग) वाहन नं. एच.पी.-51-0958 की मास 9/97 की लाग बुक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसके फलस्वरूप निम्न वाउचरों द्वारा क्रय किए पैट्रोल की प्रविष्टियों की जांच नहीं की जा सकी ।

वा.सं.	दिनांक	राशि(रुपये)
15	10.9.97	465.92
16	-"-	396.00
17	-"-	90.00
20	-"-	368.92
21	-"-	368.92
22	-"-	368.92

पैरा 21.(9)(घ) गाड़ी नं. एच.आई.एस. 2453

उक्त गाड़ी की लाग बुक की जांच पर पाया गया कि इस गाड़ी को लगातार विंटर फील्ड में पार्क किया गया जबकि अधिकारी जिनके साथ इस गाड़ी को attach किया गया था, का आवास स्थल संजौली में था । क्योंकि चालक का आवास विंटर फील्ड में था और इस प्रकार गाड़ी का दुरुपयोग किया गया । अतः इस तथ्य की जांच की जाए व दोषी से इस सम्बन्ध में वसूली की जाए ।

पैरा 21(9)(ङ)(i) वाउचर सं. 44 दिनांक 25.3.98 राशि 1891.00रु.

उपरोक्त वाउचर द्वारा कुल 1891.00रुपये का भुगतान मैसर्ज नरेटा ब्रदर्ज, दली शिमला-12 को चैक सं0 806047 दिनांक 25.3.98 द्वारा एक 12 वोल्ट इक्साईड व ओटो बैट्री ,को क्रय करने पर किया गया जिसे माप पुस्तिका 587 के पृष्ठ 99 पर दर्ज किया गया है । बैट्री जीप एच.आई.एस. 1623 के लिए क्रय की गई परन्तु बैट्री को क्रय करने के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अंकेक्षण में नहीं दर्शाई गई । अतः अपेक्षित स्वीकृति को आगामी स्वीकृति में दर्शाया जाए ।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त पुरानी बैट्री को पुराने कल पुर्जे रजिस्टर में दर्ज किया जाना अपेक्षित था परन्तु उक्त बैट्री को वाउचर में किए गए टिप्पण के अनुसार चालक के पास ही रहने दिया गया । अतः उक्त बैट्री को चालक से वापिस लिया जाए और पुराने कल पुर्जे रजिस्टर में दर्ज किया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए ।

2(9) (च) गाड़ी नं. एच.आई.एस.-2453

गाड़ी नं. एच.आई.एस.-2453 की लाग बुक के अवलोकन पर पाया गया कि ये गाड़ी दिनांक 26.7.97 तक ही चलाई गई । इसके पश्चात की लॉग बुक के बारे में यह बताया गया कि उक्त गाड़ी अनकन्डम की जानी है, परन्तु इस गाड़ी को अंकेक्षण अवधि तक नीलाम नहीं किया गया । अतः प्राधिकरण की उक्त गाड़ी को विधिवत निलाम करने पर विचार करें क्योंकि अधिक समय तक गाड़ी को यथावत रखे जाने के कारण इसके मूल्य का ही ह्रास होगा ।

2(9)(छ) वाहनों के इस्तेमाल के उद्देश्य का पूरा विवरण न लिखना :

हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण के विभिन्न वाहनों की लॉग बुकों की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित वाहनों के इस्तेमाल के उद्देश्यों का पूर्ण विवरण न देकर इन यात्राओं का उद्देश्य केवल सरकारी (official) ही दर्शाया गया था । जबकि यात्रा के उद्देश्य का पूर्ण विवरण देना अपेक्षित था :-

वा.सं.	दिनांक	जितने कि.मी. वाहन चलाया गया
एच.आईएस. 2453 जीप	16.5.97	137 कि.मी.
	17.5.97	96 -"-
	18.5.97	47 -"-
	31.5.97	57 -"-
	6/97	153 -"-
	7/97	139 -"-
	8/97	425 -"-
	9/97	300 -"-

2(9)(ख) **बा०सं० 10 दिनांक 5.3.98**

मस्ट्रोल सं. 255 मास 2/98 से 3/98 द्वारा मु० 1235/=रुपये का भुगतान श्री सेवा नन्द बेलदार सपुत्र श्री जोगू राम को किया गया माप पुस्तिका 610 के पृष्ठ 54-55 पर इसकी प्रोग्रेस को दर्ज किया गया है और कटिंग कुरास कार्य को चार्ज कियागया था । जबकि यह इस दैनिक भोगी कर्मचारी को प्राधिकरण के कार्यालय में सर्वेयर (H.D.M.) के साथ कार्यरत किया गया है । अतः बेलदार के कार्यालय में कार्यरत करने का औचित्य शीघ्रता से दिया जाए

2(10)(क) मस्ट्रोल सं. 9 मास 8/97 से 9/97 द्वारा मु० 16664.00रुपये का भुगतान निम्नलिखित विवरणानुसार के अनुसार किया गया परन्तु इन मिस्त्रियों व मजदूरों द्वारा किये गए कार्य का विवरण अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं किया गया । अतः मिस्त्रियों व मजदूरों द्वारा किए गए कार्य की प्रोग्रेस का विवरण आगामी अंकेक्षण में दर्शाया जाए ।

1.	मिस्त्री	31 दिन	1796.00
2.	बेलदार	24×2दिन	2496.00
1	बेलदार	25 दिन	1144.00
1	बेलदार	27 दिन	1235.00
1	बेलदार	29 दिन	1327.00
1	बेलदार	21 दिन	961.00
1	बेलदार	20 दिन	915.00
5	बेलदार	31×5दिन	7090.00
		योग	16664.00

(10)(ख) हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण शिमला के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित दैनिक भोगी कर्मचारियों को मस्ट्रोल पर रखा गया है परन्तु यह कर्मचारी कार्यालय में ही कार्यरत है प्राधिकरण द्वारा इन कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य को अन्यत्र दर्शाया जाता है जो कि अनुचित है । कार्यालय में तैनात करने पर न ही सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की गई है तथा न ही कार्

कोई पद उपलब्ध है । वास्तव में इन कर्मचारियों के कार्यालय में कार्यरत होते हुए इनका अन्यत्र कार्य पर दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

मास	वा.सं.	मस्ट्रोल सं.	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का नाम	पद	तैनाती का स्थान
3/98	8	239	निशा शर्मा	बेलदार	कार्यालय में कार्यरत
-"-	6	240	अमर दास	-"-	-"-
-"-	2	234	राजेश कुमार	वर्क इन्सपेक्टर	-"-
-"-	9	244	मान बहादुर	बेलदार	-"-
-"-	9	244	यादव चन्द	-"-	-"-

§10§ग§ वा० सं. 8 दिनांक 5.3.98 राशि 6405.00रुपये

मस्टोल सं. 242 माह 2/98, हे. 3/98 के अनुसार 6405.00 रुपये का भुगतान निम्नलिखित दैनिक भोगी कर्मचारियों को किया गया अंकेक्षण में इस मस्ट्रोल की जांच में पाया गया कि माप पुस्तिका 510 पृष्ठ 55-56 के अनुसार कर्मचारियों की प्रोग्रेस झुग्गा कटिंग, सर्वे कार्य, बुर्जियों को लगाना इत्यादि के रूप में दर्ज की गई है । एम.ए.एस. रजिस्टर के अनुसार इस कार्य में उक्त कर्मचारियों द्वारा चूना 15 कि.ग्रा. सफेद पेन्ट 0.500 कि.ग्रा. दर्शाया गया है । वास्तव में ये दैनिक भोगी कर्मचारी प्राधिकरण के कार्यालय में ही कार्यरत हैं , जिससे प्रतीत होता है कि इन कर्मचारियों की झूठी प्रोग्रेस गलत दर्शाई गई है और जो सामान एम.ए.एस. रजिस्टर के अनुसार उपयोग किया गया है का दुरुपयोग किया गया है । अतः यह मामला प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है ।

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद	जिस अधिकारी के साथ तैनात किया गया था	कुल	ई.पी.एफ. कटौती	भुगतान की गई राशि (रु.)
1.	श्री हेतु राम	बेलदार	वित्त अधिकारी	1281/-	128/=	1153/=
2.	श्रीमति कमला	बेलदार	ई.ई. आई	1281/-	128/-	1153/=
3.	श्री भूपिन्द्र कुमार	-"-	-"-	1281/-	128/=	1153/=
4.	श्रीमति शान्ति	-"-	-"-	1281/-	128/=	1153/-
5.	श्री कुलदीप चन्द	-"-	विधि अधि.	1281/=	128/-	1153/-
				6405.00		5765.00

पैरा 20 (घ) 21.10 — वाउचर संख्या 56 दिनांक 30.9.97

हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण (मण्डल-1) शिमला-9 की मास 9/97 की रोकड़ वही की जांच में पाया गया कि मस्ट्रोलों में से ई.पी.एफ./एफ.पी.एफ. के रूप में मु0 2257.00 रुपये की वसूली 10% की दर से कटौती की गई। परन्तु कितनी राशि ई.पी.एफ. व कितनी राशि एफ.पी.एफ. से सम्बन्धित है का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही न करने का स्पष्टीकरण अंकेक्षण को दिया जाए।

21 (10)(ड.) मास 9/97 में भुगतान किए गए मस्ट्रोलों की जांच में पाया गया कि नीचे दिए गए मस्ट्रोलों पर ई.पी.एफ. तथा एफ.पी.एफ. की कटौती नहीं की गई है जोकि नियमानुसार उचित नहीं है। अतः ई.पी.एफ. एफ.पी.एफ. की कटौती न करने का औचित्य अंकेक्षण को दिया जाए।

क्र.सं.	मस्ट्रोल सं.	मजदूरों की सं.	अवधि	भुगतान की गई राशि (रु.)
	104	8	1.8.97 से 10.8.97	2655.00
	106	1	11.8.97 से 31.8.97	1217.00
	240	1	1.2.98 से 7.2.98	406.00
	256	1	12.2.98 से 28.2.98	927.0
	236	1	1.2.98 से 28.2.98	1750.00

पैरा 2(1) वा.सं. 53 मास 9/97

निर्माण कार्य का नाम :- बी.सी.एस. से नीचे फेस-II में आवासीय परिसर का निर्माण (उप शीर्ष सेक्टर-4, मेन रोड आर.डी. 0/250 में आर.सी.सी. Hume पाईप कलवर्ट का निर्माण

अनुबन्ध सं0 :- 27 वर्ष 1996-97

संविदाकार का नाम :- विपन कुमार संविदाकार

उपरोक्त निर्माण कार्य श्री विपनकुमार संविदाकार को कुल लागत 169114.00रुपये के लिए आवंटित किया गया । तीसरे चल बिल द्वारा 53277.00रुपये का भुगतान संविदाकार को चैक सं. 491112. दिनांक 29.9.97 द्वारा किया गया और इस बिल तक ~~2461~~ 210653.00रुपये का कार्य निष्पादन कियागया है जो कि टैन्डर ~~राशि~~ राशि से 41539.00रुपये अधिक व्यय किया गया परन्तु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं ली गई थी अतः उक्त अधिक व्यय किए जाने की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से शीघ्र ली जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए ।

इस विपत्र तक निष्पादित की गई इन मात्राओं का विवरण निम्न प्रकार से है :-

मद सं.	मद का नाम	डी.एम.आई.टी के अनुसार मात्रा	वास्तव में निष्पादित मात्रा	दर	मात्रा में अन्तर	राशि
	कीटग इन अर्थ वर्क	191-66 एम^3	198.09 एम^3	55/=	6.43 =	354.00
	इस्कावेशन इन फाउंडेशन ट्रेन्च ।	63.01एम^3	318.75	55/-	255.75	14066/-
	सी.सी. 1:6/12 (ओहड स्टोन) (40एम.एम.साईज)	6.31एम^3	19.23एम^3	600/=	12.92	7752/-
	सी.सी. 1:4:8 (ओहड स्टोन (40एम.एम.साईज)	0.33एम^3	2.85एम^3	930/-	2.52	2344/-
	सी.सी. 1:3:6पलास्टर	30.39वर्गमी.	46.49वर्गमी.	1150/-	16.1	18515/-
						43031.0

अतिरिक्त मदें :-

	मद की मात्रा	दर	राशि
फार्म वर्क	101.76एम^2	79.15	8054.60
रंडम रूबल मेसनरी इन 1:6 रेशो	763.20एम^3	19.56एम^3	14928.00
			22983.00

इस विपत्र में की गई *elevation* को सक्षम अधिकारी से अनुमोदित नहीं करवाया गया है अतः अपेक्षित कार्यवाई अब की जाए । अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए ।

पैरा 21(12) एच.आर.सं. 40 दिनांक 15.9.97 राशि 225.00
एच.आर.सं. 41 दिनांक 4.9.97 राशि 225.00

उपरोक्त एच.आर. द्वारा क्रमशः 25 घन फुट 9.00रुपया प्रति घन फुट की दर से रेत ( ) क्रय किया गया । परन्तु इस ~~सम्बन्ध~~ सम्बन्ध में एम.ए.एस. रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गई थी । अतः उक्त सामग्री को दर्ज न करने के कारण इसके मूल्य की दोषी से वसूली की जाए । व अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दिखाई जाए ।

पैरा 21(13)(क) मस्ट्रोल नं. 103

मस्ट्रोल संख्या 103 मास 8/97 से 9/97 द्वारा श्री मनोहर सिंह स्टोर सुपरवाईजर, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को अवधि 1.8.97 से 31.8.97 के लिए 57.95 प्रतिदिन की दर से 1796.00रुपये का भुगतान किया जाना था जिसे माप पुस्तिका 590 के पृष्ठ 21-22 पर दर्ज किया गया है । परन्तु उक्त कर्मचारी को निलम्बन किए जाने के फलस्वरूप केवल 808.00रुपये का भुगतान किया गया और 898.00रुपये की राशि को विविध जमा खाते में जमा रखा गया और 90.00रुपये को ई.पी.एफ. खाते में रखा गया । अतः दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को निलम्बित करके इन्हें ... वेतन देना नियमानुसार उचित नहीं है अतः अनुचित रूप से ...

की जा रही अदायगी की तुरन्त वसूली की जाए व आगामी लेखा परीक्षा पर अनुपालना दर्शाई जाए ।

पैरा 2(14) वाoसंo 21 दिनांक 11.9.97

निर्माण कार्य का नाम : वी.सी.एस. के नीचे फेस-II (उप शीर्ष ब्लाक नं. 1,50,57 के सामने की सड़क पर स्ट स्टील की railing लगाना ।

अनुबन्ध संख्या: 14 वर्ष 96-97

संविदाकार का नाम : श्री मोहन सिंह

(क) उपरोक्त निर्माण कार्य का आबंटन श्री मोहन सिंह को हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या: HPNVP/डी-1 -अकाउटंस -7/96 -1270-04 दिनांक 10.10.96 द्वारा किया गया था । इस कार्य का टैन्डर लागत 63903.00रूपये के लिए किया गया था परन्तु इसे तीसरे व अन्तिम चलत बिल के अनुसार 121063.00रूपये में ~~लिए किया गया था परन्तु इसे तीसरे व अन्तिम बिल~~ पूर्ण किया गया । माप पुस्तिका 570 पृष्ठ 25.33 के अनुसार मद सं0 1,2,3,4 व 5 का निष्पादन में अत्याधिक विचलन हुआ है । इस विचलन का ब्योरा निम्न प्रकार से है :-

मद सं.	मद का विवरण	डी.एन.आई.टी. के अनुसार मात्रा	निष्पादित की गई मात्रा	दर	राशि
1.	इक्सकावेशन इन फोउंडेशन	0.24 Cub mt.	3.05 Cub mt.	40/=	112.40
2.	डिमोलोशन below ground level.	0.24 Cub mt.	2.04 Cub mt.	260/-	460/-
3.	सी.सी. 1:2:4	0.47	6.72 m3	1550/=	9607.50
4.	स्टील वर्क इन बिल्ट अप सैरिया	22.34 क्विंटल	3752.19 किलो ग्राम.	2600/=	39472.94
5.	स्टील वर्क वैल्डड इन बिल्ट अप सैक्शन	1.93 क्विंटल	470.39 कि.ग्रा.	2600/-	7420.40
					57160.24

रु0 57160रूपये का विचलन इस निर्माण कार्य में किया गया। अत: विचलन वाली मदों को अनुबन्ध में ही सम्मिलित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए । ......139.

22§1§ §क§ वाउचर संख्या 55 दिनांक 18.9.97 राशि 63007.00 रुपये

कार्य का नाम :- वी.सी.एल.फेस-II में सड़क का निर्माण

संविदाकार का नाम:- मै. अग्रवाल एण्ड को

माप पुस्तिका सं0 :- 582 व 584

बिल संख्या:- 27वां चलंत बिल

अनुबन्ध संख्या:- 2 वर्ष 1992-93

विभिन्न निर्माण कार्यों में बजरी की ढुलाई हेतु मु0 27,59,823.61 रुपये का अनियमित भुगतान :-

---

उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा अनुबन्ध की अतिरिक्त कार्य मद सं0 8 एक्स्ट्रा कैरीयेज आफ ग्रीट के करवाए गए 3419.91घन मी. कार्य हेतु 314.10घन मी. की दर से 10,74,194.00रुपये का भुगतान किया गया । उक्त भुगतान की जांच करने पर पाया गया कि नगर विकास प्राधिकरण के पत्र सं0 एल.डी.ए. -ए.वी-टेण्डर वी.सी.एल.-फेस-2 जाव नं. 1-92-5060 दिनांक 27.5.93 द्वारा संविदाकार को यह भुगतान भट्टाकुआर में क्रशर बन्द हो जाने के कारण बजरी की सप्लाई पंचकुला क्रशर से लाए जाने के बदले में 115 कि.मी. की अतिरिक्त मैकेनिकल लीड 314.10रुपये प्रति घन मी. की दर अनुबन्ध की क्लाज 12§111§ के अन्तर्गत तय की गई थी । परन्तु उपरोक्त अनुबन्ध के साथ संलग्न कार्य मदों की सूची की मद सं0 5 प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग मैकेनिकल मीक्स्ड एण्ड वाईब्रेटिड सिमेन्ट कंक्रीट वर्क 1:2:4 एण्ड क्योरिंग कम्पलीट एक्सक्लूडिंग कास्ट आफ द फार्म वर्क एण्ड रीईनफोर्समेन्ट फार रीइनफोर्स्ड कंक्रीट वर्क इन्क्लूडिंग आल लीड्स एण्ड लीफ्टस से यह स्पष्ट था कि उक्त मद में प्रयुक्त सामग्री सभी दूरियों से लाए जाने को ध्यान में रखते हुए संविदाकार द्वारा अपनी दरें उक्त मद हेतु दी गई थी । इसके अतिरिक्त अनुबन्ध की शर्त सं0 48 के अनुसार सम्पूर्ण अनुबन्ध को अनावश्यक लोप का प्रकार संदिग्ध बनाया गया ताकि बाद में ठेकेदार को पंचकुला से बजरी आदि की ढुलाई पर अधिक अदायगी की जा सके । इस शर्त में एक ओर संविदाकार से अपेक्षा की गई है कि वह निर्माण सामग्री को किसी अन्य स्थान से लाने सम्बन्धी

स्थिति का भी पूर्ण रूपेण आंकलन कर ले तथा तदानुसार ही अपनी दरें लिखें। किन्तु अनावश्यक रूपेण साथ में यह शर्त भी जोड़ दी गई कि ऐसी परिस्थिति में ठेकेदार द्वारा दी गई दरों को भट्टाकुफर से बजरी की ढुलाई पर आधारित माना जाएगा तथा अधिक दूरी हेतु तदानुसार दरों की अदायगी की जाएगी। इस स्तर पर भी अधिक दूरी Extra load के सम्बन्ध में सम्पूर्ण विषय को संदिग्ध रखा गया तथा विकल्प स्वरूप न ही बजरी के अन्य स्त्रोत के सम्बन्ध में कोई खोज की गई तथा न ही यह प्रयास किया गया कि पंचकुला के स्थान पर हिमाचल के किस क्षेत्र/स्त्रोत से लाई बजरी आर्थिक रूप से उचित रहती। उक्त भुगतान के सन्दर्भ में अभिलेख से यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि संविदाकार द्वारा वास्तव में ही बजरी पंचकुला के क्षेत्र से ही लाई गई थी। अथवा हिमाचल प्रदेश के अन्य निकटस्थ स्थानों से।

इसी प्रकार नगर विकास प्राधिकरण के मण्डल-2 में अन्य अनुबन्धों के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार बजरी की अतिरिक्त ढुलाई पंचकुला से बी.सी.एस. तक करने के लिए संविदाकारों को 27,59,823.61 रुपये का अनियमित भुगतान किया गया है। मामला उचित छानबीन व आवश्यक कार्यवाही हेतु वित्तायुक्त एवं सचिव (शहरी एवं ग्राम नियोजन) हिमाचल प्रदेश सरकार के ध्यान में लाया जाता है।

संविदाकार का नाम	अनुबन्ध सं.	दिनांक 31.3.98 तक बजरी की अतिरिक्त ढुलाई की मात्रा	दर रु.	भुगतान की गई राशि (रुपये)
श्री एम.एल.गुप्ता	1 (वर्ष 1993-94)	2890-91 घनमी.	356.00	1029163.96
श्री आर.एल.राना	6 (वर्ष 1992-93)	951.37 घनमी.	345.00	328222.65
श्री आर.एल.राना	7 (वर्ष 1992-93)	914.70 घनमी.	347.00	317401.00
मै. अग्रवाल एण्ड क.	2 (वर्ष 1992-93)	3454.43 घनमी.	314.00	1085036.00
			योग:	27,59,823.61

लगातार पृ.... 3.

(ख) उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा अनुबन्ध की कार्यमद सं० । कटिंग इन अधिक के 12120.62घनमी. के करवाए गए कार्य हेतु 22.00रूपये प्रतिघन मी. की दर से 2,66,654.00रूपये का भुगतान किया गया । उक्त मात्रा में माप पुस्तिका सं० 582पृष्ठ 53 पर दर्ज की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की मात्रा 51.16घनमी. की मात्रा भी सम्मिलित थी जिसकी जांच करने पर पाया गया कि सही गणनानुसार कार्य मात्रा 45.12घन मी. ही बनती थी । आर.डी.1/016 पर क्रास सैक्शन का एरिया 5.64 वर्ग मी. लेकर गणना की गई जबकि यह एरिया 4.14वर्ग मी. लेकर गणना की जानी अपेक्षित थी । अतः 6.04घन मी. की अधिक की गई गणना हेतु 22.00रूपये प्रति घन मी. की दर से 132.88रूपये का अधिक भुगतान संविदाकार को किया गया है । जिसकी वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

की गई गणना	गणना जो बनती थी	अधिक ली गई मात्रा
$\frac{7.15+5.64\times8}{2}$ = 51.16घनमी.	$\frac{7.15+4.14\times8}{2}$ =45.12घनमी.	51.16-45.15=6.04घनमी.

(ग) उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य का लेखा संविदाकार लेखा वही पृष्ठ 57 से 59 पर दर्ज किया गया था परन्तु मण्डल द्वारा समय-2 पर संविदाकारों को किए गए चलत बिलों के भुगतानों की प्रविष्ठियां दर्ज नहीं की गई थी तथा न ही संविदाकार को जारी सामान का पूर्ण विवरण ही दर्ज था जिस कारण संविदाकार ~~बे=खुद~~ को जारी सामान तथा की गई वसूली व संविदाकार से हुए लेन देन की जांच की जा सकी । संविदाकार ~~बे=खुद=बेल~~ का लेखा दिनांक-वार सही प्रकार से तैयार किया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए । भविष्य में प्रविष्टियां समय-2 पर की जानी सुनिश्चित की जाए ।

(घ) अनुबन्ध नस्ति के अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य 18 माह में दिनांक 27.4.94 तक पूर्ण किया जाना था । प्राधिकरण के पत्र सं० एच.पी.एन.टी.पी.(डी.II) मै० अग्रवाल एण्ड कं०-193-1299-1303 दिनांक 7.5.96 द्वारा

30.6.96 तक समयावधि बढ़ाई गई थी । तत्पश्चात संविदाकार के विरुद्ध क्लाज-2 के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी परन्तु अनुबन्ध की क्लाज 2 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही न करके तथा न ही समयावधि में बढ़ोत्तरी किए संविदाकार को माह 9/97 में 27वाँ चलत बिल का भुगतान किया गया । 18 माह के स्थान पर पाँच साल व्यतीत हो जाने पर भी उक्त निर्माण कार्य का आधा से भी कम कार्य ही पूर्ण किया गया था । निर्माण कार्य को अत्यधिक विलम्ब के पश्चात भी आधा से भी कम कार्य पूर्ण किये जाने तथा संविदाकार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नियमानुसार नहीं किये जाने से सम्बन्धित प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु सरकार के ध्यान में लाया जाता है ।

22{2} वाउचर सं० 61 दिनांक 23.3.98 राशि 32,593.00 रुपये

संविदाकार का नाम :- श्री विपिन कुमार

अनुबन्ध सं० :- 25 वर्ष 1997-98

माप पुस्तिका सं० :- 446 पृष्ठ 83 व 84

चलत बिल सं० :- द्वितीय चलत बिल

कार्य का नाम :- पाँचवी आंशिक स्ववित्त योजना फेस-2 जाब नं. 5 लेवलिंग आफ प्लाट

रु० 62603.00 रुपये का अनियमित/संदिग्ध भुगतान :-

उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा द्वितीय चलत बिल तक अनुबन्ध की कार्य मद सं० 2 रिमूवल आफ एक्सकावेटिड अर्थ एण्ड डिस्पोजल आफ आल लीड्स एण्ड लीफ्ट यार्ड मैकेनिकल लीड्स के करवाए गए 626.03 घन मीटर के करवाए गए कार्य हेतु 100.00 रु० प्रति घन मीटर की दर से 62603.00 रुपये का भुगतान किया गया । अनुबन्ध की स्केड्यूल आफ क्वान्टिटी की कार्य मद सं० 2 अनुसार यह कार्य 373.95 घन मीटर का ही करवाया जाना अपेक्षित था । उक्त मद की जाँच करने पर पाया गया कि कार्य मद सं० 1 कटिंग एन्ड फिलिंग इन आल ग्रेड्स आफ स्वायल का केवल 49.50 घन मी० का ही कार्य किया जाना अपेक्षित था तथा द्वितीय चलत बिल के भुगतान तक कार्य मद सं० 1 कटिंग एन्ड फिलिंग इन आल ग्रेड्स आफ स्वायल का कोई भी कार्य नहीं करवाया गया था । ऐसी स्थिति में

यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उक्त मिट्टी जब खोदी ही नहीं गई तो यह कार्य स्थल पर कहां से प्राप्त हुई तथा अनुबन्ध में कार्य मद सं० 2 को किस आधार पर जोड़ा गया था जबकि प्राधिकरण के सभी निर्माण कार्यों की फालतु मिट्टी को अन्यन्त्र स्थान सभी दूरियों पर उठाए व ले जाने हेतु संविदाकारों को भुगतान किया जा रहा था तो यह इतनी अधिक मिट्टी किस निर्माण कार्य/ अनुबन्ध सं० की किस प्रकार से कार्य स्थल पर पड़ी रह गई थी। यदि यह किसी अन्य निर्माण कार्य से ही सम्बन्धित थी तो वसूली सम्बन्धित संविदाकार से करने हेतु क्या पग उठाए गए। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकार को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस प्रकार की कार्यमदों को अनुबन्ध में जोड़ा गया है। द्वितीय चलत बिल तक उक्त कार्य मद सं० 2 पर किया गया मु० 62603.00 रुपये का व्यय अनियमित/संदिग्ध प्रतीत होता है। इस विषय में पूर्ण जांच की जाए व वस्तुस्थिति से अवगत कराने के साथ साथ अनावश्यक रूपेण 62,603 रुपये की अधिक अदायगी की दोषी व्यक्ति से वसूली की जाए।

23(3) वाउचर सं० 59 दिनांक 18.9.97 राशि 62204.00 रु०

कार्य का नाम :- जी0 सी0एल0फेस-II में 8 नं० "बी" टाईप 6 नं० टाईप "डी" फ्लैट का निर्माण।

संविदाकार का नाम :- मै० हिम इंजीनियरिंग कन्सलटैंट।

माप पुस्तिका सं०:- 651 पृष्ठ 1 से 26

बिल सं० :- 15वां चलत बिल

अनुबन्ध सं० :- 38 वर्ष 1995-96

(क) मु0 46,460.81 रु० का अधिक भुगतान :-

उपरोक्त वाउचर द्वारा अनुबन्ध की अतिरिक्त मद सं० 7 स्टोन फिलिंग बिहाइंड द रिटेनिंग वाल के करवाए गए 226.36 घन मी० कार्य हेतु 271.35 रुपये प्रति घन मी० की दर से 61417.00 रुपये का भुगतान किया गया उक्त भुगतान की जांच करने पर पाया गया कि उक्त कार्य मद का सही दर निर्धारण अनुबन्ध की क्लाज 12(2) के अनुसार समान श्रेणी के कार्य की दर प्रतिशतता के आधार पर 66.08 रुपये प्रति घन मी० की दर निर्धारित की जानी अपेक्षित थी जबकि मण्डल द्वारा उक्त

12§1119§ के अनुसार दर निर्धारण 271.35 रुपये प्रतिघन मी. निर्धारित की गई । अतः 205.27 रुपये प्रति घन मी. के अधिक निर्धारित किए गए दर से 226.34 घन मी. के करवाए गए कार्य हेतु 46,460.81 रुपये का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची 1987
की मद सं0 21.10 की दर — 82.05
संविदाकार की उक्त मद हेतु दी गई दर — 50.00

हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची 1987 की
मद संख्या 11.33 की दर — 108.45

:. समान मद के आधार पर जो दर निर्धारित की जानी आपेक्षित थी ।

$$\frac{50.00 \times 108-45}{82.05}$$

= 66.08 प्रति घन मी.

अधिक निर्धारित दर ÷ 271.35§-§66.08=205.27 रुपये प्रति घन मी.

§ख§ मु0 12,734.32 रुपये का अधिक भुगतान :-

उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा अनुबन्ध की अतिरिक्त मद सं0 25 प्रोवाईडिंग स्टील फेसिया के करवाए गए 86.13 वर्ग मीटर कार्य हेतु 661.50 रुपये प्रति वर्ग मी. की दर से 56975.00 रुपये का भुगतान किया गया । उपरोक्त भुगतान की जांच करने पर पाया गया कि मुख्य प्रशासक एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा उक्त मद के भुगतान हेतु 513.65 रुपये प्रतिवर्ग मी. की दर निर्धारित की गई थी अंकेक्षण में बताया गया कि उक्त निर्माण कार्य के आगामी बिलों में भुगतान 513.65 रुपये प्रतिवर्ग मी. की दर से ही किया जा रहा है परन्तु इस सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख अंकेक्षण में नहीं दिखाया गया । उक्त मद का भुगतान मण्डल द्वारा 513.65 रुपये प्रति वर्ग मीटर के स्थान पर 661.50 रुपये प्रति वर्ग मी. की दर से किये जाने जिसके परिणामस्वरूप 12734.32 रु. का अधिक भुगतान हुआ है, बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में उक्त मद का भुगतान सही दर 513.65 रु. रुपये प्रति वर्ग मी. की दर से किया जाना सुनिश्चित किया

जाए तथा अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण पर करवाया जाए ।

22{4} वाउचर सं0 74 दिनांक 24.9.97 राशि 1,90,595.00 रुपये
वाउचर सं0 75 दिनांक 27.3.98 राशि 80545.00 रु0

कार्य का नाम :- आवासीय बस्ती बी.सी.एल.फेज-2
कन्स्ट्रक्शन आफ ए टाईप 48 नं. फ्लेटस
ब्लाक नं. 41 व 42 जाव नं.2

अनुबन्ध सं0 :- 37 वर्ष 1995-96

संविदाकार का नाम :- श्री एन.के. मिगलानी

माप पुस्तिका सं0 :- 635,,631 व 628

बिल सं. :- 18वां व 21 वां चलत बिल

{क} उपरोक्त वर्णित वाउचर सं0 75 दिनांक 27.3.98 द्वारा अनुबन्ध की मद सं0 13 प्रतिस्थापित वाफ ब्रीक मेसनरी यूजिंग कामन बर्क को 1:4 इन्क्लूडिंग आयरन हूपस के करवाए गए 4118.91 वर्ग मी. कार्य हेतु 252.30 रुपये प्रति वर्ग मी. की दर से 1039,201.00 रुपये का भुगतान किया गया । उक्त मद हेतु मण्डल द्वारा निर्धारित किए गए दर की जांच करने पर पाया गया कि सही गणनानुसार उक्त मद का भुगतान 241.20 रुप प्रतिवर्ग मी. की दर से किया जाना अपेक्षित था अतः 11.10 रु. प्रतिवर्ग मी. की अधिक निर्धारित दर से 4118.91 वर्ग मी. की मात्रा हेतु 45719.90 रुपये का भुगतान संविदाकार को अधिक किया गया है जिसकी वसूली संविदाकार से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

सी0पू0 मानक दर 1987 के अनुसार हाल्फ ब्रीक वर्क 62.55 प्रति वर्गमी.
1:4 वीद हूप आयरन का दर

सी0पू0 मानक दर 1987 के अनुसार हाफ ब्रीक वर्क
1:4 वीदाउट हूप आयरन का दर — 55.90 -"-

हूप आयरन का मानक दर — 6.65 प्रतिवर्ग मी.

+ 143·65% संविदाकार का प्रिमीयम 9·55प्रति वर्ग मी·

16·20रु·प्रतिवर्गमी·

:· हाफ ब्रीक वर्क वीद ब्रुप आवरन के करवाए गए कार्य हेतु सही दर जो बनती है। 225+16·20=241·20 प्रतिवर्ग मी·

(ख) उपरोक्त वर्णित वाउचर सं0 74 द्वारा अनुबन्ध की कार्य मद सं0 18/31 स्टील वर्क वैल्डिड इन बिल्ट अप सैक्शन (ए) इन ग्रेटिंग, फ्रेम, गार्डर्स के करवाए गए कार्य हेतु 24000·00रु· प्रति टन की दर से 4,81,080·00 रुपये का भुगतान किया गया। उक्त कार्य मात्रा में माप पुस्तिका सं0 631 पृष्ठ 71 पर दर्ज की गई 0·120टन की मात्रा भी सम्मिलित थी जिसकी जांच करने पर पाया गया कि सही गणनानुसार मात्रा 0·106टन ही बनती थी। फ्लैट स्टील 65x6 एम·एम· को प्रयोग हुई 34·38 मी· की मात्रा को किलो ग्राम में परिवर्तित करते समय 3·50 का फैक्टर लगा कर गणना की गई जबकि यह 3·10 के फैक्टर लगाकर गणना की जानी आपेक्षित थी। अतः गलत गणना किए जाने के परिणामस्वरूप 0·014टन की अधिक की गई मात्रा हेतु 24000· रुपये प्रति टन की दर से 336·00 रुपये का अधिक भुगतान संविदाकार को किया गया है जिसकी वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

अनुबन्ध की कार्य मद सं0 27 (अतिरिक्त) डिस्मैंटलिंग आफ बीक्र वर्क एवं जी·एल·अप टू फ्लोर टू लेवल के 207·30 वर्ग मी· के करवाए गए कार्य हेतु 20·15 रुपये प्रतिवर्ग मी· की दर से 4177·00 रुपये का भुगतान किया गया। उक्त मद की जांच करने पर पाया गया कि उक्त करवाए गए कार्य से 11712 ईंटे (207·30x565) प्राप्त होनी आपेक्षित थी परन्तु अभिलेख में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उक्त मात्रा को एम·ए·एस· रजिस्टर में लेखाबद्ध किया गया या नहीं। एम·ए·एस·रजिस्टर में 11712ईंटों की प्राप्ति की प्रविष्टी दिखाई जाए अन्यथा वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके जमा करवाई जाए।

...9·

22(5) वाउचर सं. 93 दिनांक 29.9.97 राशि 1,32,355.00 रुपये
वाउचर संख्या 2 दिनांक 2.3.98 राशि 89,917.00 रुपये
बिल सं0 :- चतुर्थ व सातवां चलत बिल
संविदाकार का नाम :- श्री गिरीश गुप्ता
अनुबन्ध सं0 :- 26 वर्ष 1996-97
कार्य का नाम :- बी.सी.एस.फेस-2 में 9 नं. डी टाईप प्लाट व लेवलिंग आफ साईट ।

(क) रु0 26,670.00 रुपये का संदिग्ध भुगतान :-

वाउचर सं0 93 दिनांक 29.9.97 द्वारा अनुबन्ध की कार्य मद सं0 5 प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सी.सी.1:2:4 फाउंडेशन एण्ड प्लीन्थ के करवाए गए 118.395 घन मीटर कार्य हेतु 1500.00 रुपये प्रति घन मी. की दर से 1,77,592.50 रुपये का भुगतान किया गया । उक्त करवाए गए कार्य की मात्रा में माप पुस्तिका सं0 512 के पृष्ठ 100 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की मात्रा 17.78 घन मी. भी सम्मिलित थी । जिसकी जांच करने पर पाया गया कि आर.डी.3730 से 40.00 मी. में, 2.85x3.00x2.60=22.23 घन मी. बोल्डर की खुदाई करवाई गई थी । उक्त मात्रा में से 4.45 घन मी. की मात्रा के बोल्डर की घटा कर शेष 17.78 घन मी. में बिना 1:6:12 का कार्य करवाए ही पूर्ण खोदी गई ट्रेंच में 1:2:4 सी.सी. का करवाया गया दर्शाया गया । मण्डल द्वारा पूरी खोदी गई इतनी अधिक ट्रेंच में बिना 1:6:12 सी.सी. का कार्य करवाए सी.सी. 1:2:4 का कार्य करवाया जाना उचित व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता । इस सम्बन्ध में अंकेक्षण में पूर्व अनुमान व ड्राईंग इत्यादि से भी करवाए गए कार्य के बारे में स्थिति स्पष्ट की गई । इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित आर.डी.में कुल लम्बाई 2.70 मी. ही थी जबकि यह कार्य 2.85 मी. की लम्बाई में करवाया गया दर्शाया गया जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक है । अतः सी.सी 1:2:4 के फाउंडेशन व प्लीन्थ के करवाए गए 17.78 घन मी. के कार्य हेतु किए गए 26,670.00 रुपये के संदिग्ध भुगतान के

सम्बन्धित प्रकरण उचित छानबीन एवं आवश्यक आगामी कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

(ख) रु0 3829.45 रुपये का अधिक भुगतान :-

उपरोक्त वर्णित वाउचरों द्वारा संविदाकार को चतुर्थ व सातवें चलत बिल के अन्तर्गत क्रमशः 1,32,335.00 रुपये व 89,917.00 रुपये का भुगतान किया गया। उक्त भुगतान की जाँच करने पर निम्न विवरणानुसार रु0 3829.45 रु० का अधिक भुगतान गलत गणना किए जाने के फलस्वरूप किया गया है। रिकार्ड प्रविष्टियों की गणना अधिक किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए संविदाकार से रु0 3829.45 रुपये की वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

मद विवरण	करवाए गए कार्य की मात्रा	सही गणनानुसार कार्य मात्रा	अधिक कार्य मात्रा	मद भुगतान दर	अधिक भुगतान	विवरण
प्रोवाईडिंग एण्ड सी.सी. 1:6:12	1.80 घनमी.	0.81 घनमी.	0.99 घनमी.	675.00	668.25	माप पुस्तिका नं0512 के पृष्ठ 97 पर करवाई गई 0.90 मी. चौड़ी खुदाई के स्थान पर 2.00 मी. चौड़ाई में 1:6:12 सी.सी. का कार्य करवाया गया दर्शाया गया था।
एकावेशन इन फाउण्डेशन एण्ड ट्रेंचिज	22.23 घनमी.	16.61 घनमी.	5.62 घ.मी.	55.00	309.10	माप पुस्तिका नं0512 के पृष्ठ 100 पर मद सं0 5 में 1:2:4 सी.सी. में आर.डी. 37.30 मी. व 40.00 मी. तक में 3 मी. चौड़ी टैंक में 4.45 घनमी. के पास गए खुदाई हेतु कटौती की गई परन्तु यह कटौती एकावेशन में नहीं की गई तथा लम्बाई भी 2.70 मी. के स्थान पर 2.85 मी. लेकर गणना की गई थी।

वाईडिंग एण्ड सी.सी.1:2:4	17.78 घनमी.	16.61 घ.मी.	1.17 घनमी.	1500.00	1755.00	माप पुस्तिका सं0 512 पृष्ठ 100 पर उपरोक्त विवरणानुसार लम्बाई 2.70मी.के स्थान पर 2.85मी. लेकर गणना की गई थी
सी.सी.1:2:4 इन वाल्स	237.76 घनमी.	237.07 घनमी.	0.69 घनमी.	1590/-	1097.10	माप पुस्तिका सं0542 के पृष्ठ 98 पर मात्रा 7.49 घनमी. ली गई जबकि किए गए वास्तविक वर्क के आधार पर मात्रा 6.80घनमी. ही बनती थी । 0.35+0.25 / 2 की चौड़ाई के स्थान पर 0.35+0.15 / 2 मी.की. चौड़ाई में करवाए गए कार्य के आधार पर गणना की जानी अपेक्षित थी तथा एक अन्य प्रविष्टि में लम्बाई 4.85मी.के स्थान पर 4.80मी. ही लेकर गणना की जानी थी।
					3829.45	

22(6) वाउचर सं0 84 दिनांक 26.9.97 राशि 15,692.00रू.
माप पुस्तिका सं0 :- 548 पृष्ठ 56 से 61
वर्क आर्डर सं0 :- 7 वर्ष 1997-98
संविदाकार का नाम :- श्री ज्ञान चन्द
कार्य का नाम :- फेस -1 में ब्लाक नं. 18,15 व 11 के त्रुटिपूर्ण कार्यों का सुधार व शेष कार्य ।
बिल सं :- प्रथम व अन्तिम ।

उपरोक्त वर्क आर्डर के अन्तर्गत ब्लाक नं. 11,15 व 18 के दोषपूर्ण कार्यों का सुधार कार्य करवाया गया जिस पर प्रथम व अन्तिम बिल के भुगतान अनुसार 18352.00रुपये का व्यय किया गया । किए गए भुगतान की जांच करने पर पाया गया कि पूर्व में इन ब्लाकों का शेष कार्य अनुबन्ध सं0 23 वर्ष 1996-97 के अन्तर्गत भी यह कार्य श्री ज्ञान चन्द संविदाकार से करवाया गया था ।

परन्तु मण्डल द्वारा दोषपूर्ण पाए गए व शेष कार्यों का वर्क आर्डर 7 वर्ष 1997-98 जारी करके उसी संविदाकार से आवश्यक सुधार कार्य करवा या गया । जबकि करवाए गए सुधार कार्यों हेतु व्यय राशि की वसूली संविदाकार से की जानी अपेक्षित थी। अभिलेख में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कितना कार्य त्रुटिपूर्ण पाया गया था तथा पूर्व में उक्त निर्माण कार्य के करवाए गए शेष कार्य में से कौन से शेष कार्य किस प्रकार से शेष रह गए थे जो कि इस वर्क आर्डर द्वारा करवाने पड़े । वर्क आर्डर सं0 7 वर्ष 1997-98 के अन्तर्गत श्री ज्ञान चन्द, संविदाकार को उन्हीं के द्वारा किए गए कार्य में पाए गए त्रुटिपूर्ण कार्यों शेष कार्यों के सुधार हेतु किए गए 18352.00 रुपये के भुगतान का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाए अन्यथा मु0 18352.00 रुपये की वसूली संविदाकार से करके जमा करवाई जाए ।

22(7) वाउचर संख्या 39 दिनांक 11.9.97 राशि 4,19,515.00 रु0
वाउचर सं0 53 दिनांक 19.3.98 राशि 2,27,767.00 रुपये

अनुबन्ध सं0 :- 21 वर्ष 1996-97
संविदाकार का नाम :- मै. कपिल कन्सट्रक्शन
कार्य का नाम :- रेजीडेंशियल कम्पलैक्स फिर्ों सी.सी.एस. फेस-2, 23 नं. "बी" फ्लैट 24 नं. सी फ्लैट 8 नं. डी फ्लैट्स आदि का निर्माण कार्य रिमेनिंग वर्क आफ जाब नं. 5 .

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्यों के प्रथम चलत बिल से लेकर 13वें चलत बिल तक विस्तृत जांच की गई अभिलेख की टिप्पणियां निम्न वर्णित है ।

(क) मु0 71,780.00 रुपये का अनियमित भुगतान :-

वाउचर सं0 53 दिनांक 19.3.98 द्वारा तेहरवें चलत बिल के अन्तर्गत अनुबन्ध की अतिरिक्त कार्य मद सं0 65, एक्स्ट्रा कैरीयेज आफ मकैनिकल लीड पार्ट 2 कि.मी. के करवाए गए 1071.34 घन मी. के करवाए गए कार्य हेतु 67.00 रुपये प्रति घन मी. की दर से 71780.00 रुपये का भुगतान किया गया । उक्त भुगतान की जांच करने पर पाया गया कि मण्डल द्वारा उक्त

कार्य मद हेतु संविदाकार को भुगतान अनियमित/अनुचित रूप से किया गया है। अनुबन्ध की कार्य मद सं0 "कटिंग इन अर्थ वर्क इन आल काईंड आफ स्वायल........ इन आल लीड्स एण्ड लीफ्ट इन्क्लूडिंग मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट what so ever purpose or what so ever purpose required as per direction of engineer incharge." के अनुसार कार्य स्थल से 2 कि॰मी॰ की अतिरिक्त लीड मिट्टी की ढुलाई हेतु कोई भी अतिरिक्त भुगतान संविदाकार को नहीं किया जाना था। ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकार को अतिरिक्त लाभ पहुंचाने हेतु यह कार्य मद अनियमितता से तैयार करके रु0 71780.00 रुपये का भुगतान किया गया है। अतः रु0 71780.00 रुपये के अनियमित/अनुचित भुगतान से सम्बन्धित प्रकरण उचित छानबीन व संविदाकार या सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारियों से वसूली किए जाने हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

(ख) रु0 23060.49 रुपये का अधिक भुगतान :-

उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा 13 वें चलत बिल में अनुबन्ध की अतिरिक्त कार्य मद सं0 57 प्रोवाईडिंग एण्ड फिक्सिंग वायर मैश एल॰एम॰(14गेज) के करवाए गए 70.36 वर्ग मी॰ कार्य हेतु 400.00 रुपये पार्ट दर से 28,144.00 रुपये का भुगतान किया गया। मण्डल द्वारा उक्त कार्य मद हेतु निर्धारित किए गए दर जो कि वाउचर सं0 39 दिनांक 11.9.97 के साथ संलग्न है, कि जांच करने पर पाया गया कि मण्डल द्वारा उक्त कार्य मद हेतु 199.95 रुपये प्रति वर्ग मी॰ की दर निर्धारित की गई थी। मण्डल मण्डल द्वारा ग्यारहवें चलत बिल तक इसी निर्धारित दर अनुसार भुगतान भी किया गया जबकि आगामी चलत बिलों में पूर्ण दर 527.70 रुपये प्रति घन मी॰ दर्शाकर 400.00 रुपये पार्ट दर प्रति वर्ग मी॰ की दर से भुगतान किया गया था जो कि पार्ट दर के आधार पर 200.05 रुपये प्रति वर्ग मी॰ तथा पूर्ण दर के आधार पर ~~3277.75~~ 327.75 रुपये प्रति वर्ग मी॰ से अधिक था। मण्डल के अन्य निर्माण कार्यों में उक्त अतिरिक्त कार्य मद हेतु 199.95 रु॰

की दर से ही भुगतान किया जा रहा था । अतः 70.36 वर्ग मी. के करवाए गए कार्य हेतु मु0 327.75 रुपये प्रति वर्ग मी. के अधिक निर्धारित किए गए दर से 23060.49 रुपये का अधिक भुगतान किया गया/जाना सम्भावित है । ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकार को अनुचित लाभ पहुँचाने हेतु अधिक दर निर्धारित की गई है । मु0 23060.49 रुपये की वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए व भविष्य में उक्त अतिरिक्त कार्यमद का भुगतान संविदाकार को सही दर से किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

मण्डल द्वारा निर्धारित दर का विवरण :-

जो कि वाउचर सं0 39 दिनांक 11.9.97 के साथ संलग्न है

विवरण	यूनिट	मात्रा	दर	राशि (रु.)
वाटरमैक	वर्गमी.	1.24	139.81	173.35
प्राईमरी कोट	वर्ग मी.	1.24	12.80	15.87
मजदूरी	वर्ग मी.	1.24	9.75	12.09
+ 12.09 रु. पर संविदाकार का प्रीमियम			145.72%	17.62
+ 1½% वाटर चार्जिज, 173.35 रु. पर				2.60
+ मु0 175.95 रु. पर संविदाकार का लाभ व ओवरहैड चार्जिज				26.39
1.24 वर्ग मी. के लिए मूल्य =				247.52

:. 1 मी. हेतु मूल्य $\frac{247.52 \times 1}{1.24}$ = 199.95 रु. प्रति वर्गमी.

(ग) मु0 48,964.00 रुपये का संदिग्ध भुगतान :-

वाहरवें चलत बिल की जांच करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की कार्य मद सं0 6(सी) प्रोवाईडिंग एण्ड लैईंग सी.सी. 1:2:4 इन वर्टीकल वाल्स के करवाए गए 147.66 घन मी. कार्य हेतु 1950.00 रुपये प्रति घन मी. की दर से 2,87,937.00 रुपये का भुगतान किया गया । उक्त मात्रा में माप पुस्तिका सं0 668 के पृष्ठ 10 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टी की मात्रा 25.11 घनमी. भी सम्मिलित थी जिसकी जांच करने पर पाया गया कि पृष्ठ 10 पर की गई फर्म वर्क की रिकार्ड प्रविष्टी अनुसार सी.सी.

1:2:4 का कार्य "बी" टाईप प्लाट के डुग्गों में फेयर फिनिश से सम्बन्धित था। फार्म वर्क की गणना 15.00x1.00=15 वर्गमी. व 1.00x1.00=1.00 वर्ग मी. कुल गणना 16 वर्ग मी. ली गई थी तथा सी.सी. 1:2:4 के कार्य की गणना 15.50x1.35x1.20 =25.11 घन मी. ली गई थी। सी.सी. 1:2:4 के करवाए गए कार्य की गणना फार्म वर्क से बिलकुल भी मेल नहीं करता तथा डुग्गों में करवाए गए फेयर फिनिश में इतनी अधिक मात्रा 25.11 घन मी. जिसके लिए 1950.00 प्रति घन मी. की दर से 48964.00 रुपये का भुगतान संविदाकार को किया गया है, अव्यावहारिक/संदिग्ध प्रतीत होता है। उक्त कार्य मात्रा की गणना के सम्बन्ध में पूर्व अनुमान व ड्राईंग इत्यादि से स्थिति स्पष्ट नहीं करवाई गई। अतः प्लाट "बी" टाईप के डुग्गों में फेयर फिनिश के करवाए गए कार्य में 25.11 घनमी. की सी.सी. 1:2:4 की डाली गई दर्शाई गई मात्रा जिस पर 48964.00 रु. का व्यय मण्डल द्वारा किया गया है, से सम्बन्धित मामला उचित छानबीन व आवश्यक आगामी कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

(घ) मु0 23,614.25 रुपये का अधिक भुगतान :-

संविदाकार को निम्न विवरणानुसार विभिन्न चलत बिलों में मु0 23614.25 रुपये का अधिक भुगतान किया गया है पूर्ण विवरण स्थिति स्पष्ट करते हुए मु0 23614.00 रुपये की वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

मद सं.	मद विवरण	चलत बिल सं.	दत्त कार्य मात्रा	देय कार्य मात्रा	अधिक ली गई मात्रा	दर	अधिक भुगतान	विवरण
26	स्टील वर्क वेल्डिड इन बिल्ट अप सेक्शन	द्वितीय	235.20 कि.ग्रा.	279.60 कि.ग्रा.	44.40 कि.ग्रा.	25.00	1110.00	माप पुस्तिका सं० 575 के पृष्ठ 10 पर 2 नं. स्टेयर केस के करवाए गए कार्य की मात्रा 88.20 कि.ग्रा. के स्थान पर 133.00 कि.ग्रा. दिखाई गई। माप पुस्तिका में गणना 2 नं. स्टेयर के लिए ही की गई थी जबकि यह 3 नं. स्टेयर के लिए जोड़ दी गई थी ।
22	प्रोवाईडिंग 063 एम.एम. शीट सी.जी.आई.शीट	तृतीय	251.58 वर्ग.मी.	238.97 वर्गमी.	12.61 वर्गमी.	300.00	3783.00	माप पुस्तिका सं0587 पृष्ठ 22 पर छत की साईड में की गई गणना 27.48 वर्गमी. के स्थान पर 40.09 वर्गमी. दिखाई गई। कोई अतिरिक्त अधिकप्रयोग दर्शाई गई सी.जी.आई.शीट्स की अमत की वसूली भी की जाए ।
[illegible]	प्रोवाईडिंग स्टील डोर विंडो (i) पार्टड डोर विंडो	तृतीय	121.60 वर्गमी.	97.06 वर्गमी.	24.57 वर्गमी.	675.00	16584.75	माप पुस्तिका सं0 587 के पृष्ठ 25 पर साईड डोर विंडो डब्ल्यू-3 की गणना 24.57 वर्गमी. के स्थान पर 49.14 वर्गमी. की गई जबकि 24.57 वर्गमी. की मात्रा फिक्सड स्टील विंडो से सम्बन्धित थी । अतः कुल 1842.75 रु. का अधिक भुगतान किया गया ।
	(ii) फिक्सड स्टील विंडो		54.19 वर्गमी.	78.76 वर्गमी.	(-) 24.57 वर्गमी.	600/=	(-) 14742/-	

2·	3·	4·	5·	6·	7·	8·	9·
ग्राउंडिंग फर्श वर्क(डी)	पांचवा	44·50 वर्गमी·	21·43 वर्गमी·	23·07 वर्गमी·	06·00	1384·20	माप पुस्तिका सं0 587 पृष्ठ 83 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की सही मात्रा की गणना 19·45 वर्गमी· के स्थान पर 42,52 वर्गमी· की गई। 1:2:4 सी· सी· करवाए गए कार्य अनुसार फर्श वर्क चौड़ाई में 0·83 मी· किया गया था जबकि यह 0·38 मी· लेकर गणना की जानी अपेक्षित थी।
व्हाईट वाशिंग विद वाईम वान सीलिंग	पांचवा	525·35 वर्गमी·	450·30 वर्गमी·	75·05 वर्गमी·	4·00	300·20	माप पुस्तिका सं0 575 के पृष्ठ 58 पर वाल नं· सेटों की सीलिंग हेतु सफेदी की गणना की गई जबकि यह 6 सेटों की ही गणना की जानी थी क्योंकि उपरी फ फ्लोर पर स्लेब नहीं थी।
सी·सी·1:2:4 वाल्स एनी थिकनेस	पांचवा	0·64 घनमी·	0·32 घनमी·	0·32 घनमी·	1950·00	624·00	माप पुस्तिका सं0 587 के पृष्ठ 91 पर स्टेयर केस वाल की कार्यमात्रा गणना फर्श वर्क के आधार पर 0·32 घनमी· ही बनती थी जबकि यह 0·64 घनमी· दर्शाई गई।
सी·सी·1:2:4 फाउंडेशन एण्ड फुटिंग	नया	21·12 घनमी·	20·92 घनमी·	0·20 घनमी·	1950·00	390·00	माप पुस्तिका सं0 641 के पृ0 67 पर प्लाट नं· 468 के डीपी की फुटिंग कुल चौड़ाई 3·15 मी· ही थी जबकि यह कार्य 3·25 मी· में करवाया गया था।
ग्राउंडिंग फर्श वर्क डीप नरेला	9वां	208·07 वर्गमी·	186·68 वर्गमी·	21·39 वर्गमी·	60·00	1283·40	माप पुस्तिका सं0 641 के पृ0 68 पर प्लाट नं· 471 के डीपी की कार्य मात्रा फुटिंग व खुदाई के आधार पर नहीं करवाया गया था। फुटिंग का कार्य 1·30 मी· की लम्बाई में ही करवाया गया था।
ग्राउंडिंग लेवल सी· सी·1:2:4 नालाएनी [illegible]	9वां	32·79	30·11	2·68	1950·00	5226·00	——यथोपरि——

2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
ग्रे-नईटिंग लेई सी. सी. 1:2:4 वालाएनी पीकोश	1[illegible]वां	38.86 घनमी.	36.65 घनमी.	2.21 घनमी.	1950.00 रु	4309.50	माप पुस्तिका सं० 641 के पृ० 95 पर "बी" टाईप प्लाट नं. 467 में ठों की लम्बाई 7.75मी. दर्शाकर गणना कीगई जबकि करवाई गई खुदाई, सी.सी.1:6:12 व फूटिंग सी.सी. 1:2:4 का कार्य 6.80 मी. की लम्बाई में ही करवाया गया था इसी प्रकार फार्मवर्क की भी गणना की गई थी।
ग्रेवाईटिंग फार्म वर्क वर्टीकल वाल	11वां	209.41 वर्गमी.	198.39 वर्गमी.	11.02 वर्गमी.	60.00 ~~रु~~	661.20	
...ल वर्क फेब्रिकेटेड ...बिल्ट अप सेक्शन ...ग्रिल गेटिंग फ्रेम	13वां	294.00 कि.ग्रा.	186.00 कि.ग्रा.	108.00 कि.ग्रा.	25.00	2700.00	माप पुस्तिका सं० 633 के पृष्ठ 97 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टियों में 198 मी. लम्बी 40x6 एम.एम. साईज की लोहे की पती को कि.ग्रा. में परिवर्तित करते समय 3.00 कि.ग्रा.प्रति मी. का फैक्टर लगाकर गणना की गई जबकि सही गणना ~~की गई~~ 1.90 कि.ग्रा. प्रति मी. से की जानी अपेक्षित थी।

.... 19.

(उ•)(क) 8,40,101•25 रुपये का संदिग्ध भुगतान :-

उपरोक्त निर्माण कार्य के 13 वें चलत बिल तक अनुबन्ध की कार्य मद सं० 2(i) व (ii) स्टील वर्क वेल्डेड इन बिल्ट अप सेक्शन इन ग्रेटिंग, फ्रेम गार्डस व इन ट्रसेज, ट्रेसड पार्टीज के करवाए गए कुल कार्य 41,575•17 कि•ग्रा• हेतु 25•00 रुपये प्रति कि•ग्रा• की दर से 10;39,379•25 रुपये का भुगतान किया गया। उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य, जाब नं• 5, जो कि पूर्व अनुबन्ध सं० 6 वर्ष 1992-93 द्वारा श्री आर•एस•राना, द्वारा किया गया था, का बकाया कार्य था। अनुबन्ध सं० 6 वर्ष 1992-93 अनुसार उपरोक्त कार्य मद का कार्य 35 वें व अन्तिम बिल तक के अनुसार 20676•88 कि•ग्रा• का कार्य किया जा चुका था जबकि अनुबन्ध संख्या 6 वर्ष 1992-93 की मद सं० 33 अनुसार यह कार्य 28648 कि•ग्रा• का किया जाना अपेक्षित था जिससे यह स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्य मद का कार्य पूर्व अनुमान अनुसार 7971•12 कि•ग्रा• का ही शेष था।

उपरोक्त निर्माण कार्य का शेष कार्य अनुबन्ध सं० 21 वर्ष 96-97 द्वारा आबंटित करते हुए इस कार्य मद के शेष कार्य का आंकलन 7971•12 कि•ग्रा• के स्थान पर 23,427•00 कि•ग्रा• किया गया तथा 13 वें चलत बिल तक (दिनांक 31•3•98 तक) कार्य 41575•17 कि•ग्रा• का कार्य उक्त कार्य मद का संविदाकार से करवाया जा चुका था।

नगर विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य के मूल अनुमानों के अनुसार यह कार्य 28648•00 कि•ग्रा• का किया जाना था। संविदाकार श्री आर•एस•राना से 20676•88 कि•ग्रा• तथा मै• कपिल कन्स्ट्रक्शन से 41575•17 कि•ग्रा• करवाया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य मद का दिनांक 31•3•98 तक पारित 13 वें चलत बिल तक 62252•05 कि•ग्रा• का कार्य करवाया गया दर्शाया जा चुका है जो कि मूल अनुमानों से 33604•05 कि•ग्रा• (117•29%) अधिक था। मूल

अनुमानों से इतनी अधिक मात्रा में कार्य किया गया कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है या तो दो-2 बार तैयार किए गए पूर्व अनुमान ही गलत है या मात्रा का प्रयोग बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया प्रतीत होता है। दो-2 संविदाकारों द्वारा यह कार्य किए जाने से दोहरे भुगतान की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त कार्य मद के दोनों अनुबन्धों में अंकित किए गए कार्य की ओवर आल पैमाईश करवाई जाए तथा पूर्व अनुमानों से इतनी अधिक मात्रा में प्रयोग स्टील की मद, जिस पर 8,40,101.25 रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया है, को पूर्ण तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाए। यह मामला उचित छानबीन हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

अनुबन्ध की कार्यमद 6। कटिंग इन आल कार्ड आफ स्वायल....इन आल लीड्स एण्ड लीफ्ट का कार्य रेकरों गलत जिल का 1841.76 घनमीटर करवाने हेतु 65.00 रुपये प्रति घनमी. की दर से संविदाकार को 1,19,714.40 रुपये का भुगतान किया गया था। अनुबन्ध में उक्त कार्य मद का कार्य 424.34 घनमीटर ही तैयार किए गए अनुमान के आधार पर किया जाना अपेक्षित था। उक्त मण्डल द्वारा 1417.42 घनमीटर, जो कि 334.02% अधिक था, का कार्य संविदाकार से अतिरिक्त रूप से करवाया गया। इतनी अधिक अतिरिक्त कार्य मात्रा के करवाए गए कार्य हेतु कोई ठोस कारण अभिलेख में नहीं पाए गए तथा न ही उक्त कार्य कर लिए जाने से पूर्व मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाकर आवश्यक स्वीकृति ही प्राप्त की गई थी। उक्त करवाए गए कार्य के आधार पर एक स्वतः पूर्ण ड्राईंग तैयार करके इसका मिलान पूर्व में ड्राईंग शाखा द्वारा तैयार अनुमानों के साथ करते हुए पूर्ण तथा अन्तर बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

रेकरों गलत किए गए 1417.42 घनमी. के अधिक करवाए गए कार्य (334.02% अधिक) जिस पर 92132.30 रुपये

का व्यय अधिक किया गया है, से सम्बन्धित उपरोक्त प्रकरण आवश्यक जांच एवं उचित आगामी कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

(घ) मु0 3415•70 रूपये का अधिक भुगतान :

नगर विकास प्राधिकरण, शिमला-9 के पत्र सं० एच•पी•एन•वी•पी• डब्ल्यू-डी बी-फेस-II/96-6050 दिनांक 8•10•96 के अनुसार मुख्य अभियन्ता नगर विकास प्राधिकरण द्वारा, कार्य अनुमान 2034134•00 के अनुमोदित किए गए थे परन्तु उक्त कार्य की डी•एन•आई•टी•पत्र सं० एच•पी•एन•वी•पी•/ए•बी• टैण्डर-वी•सी•एल•-II रिमैनिंग वर्क/96-5610- दिनांक 12•9•96 द्वारा मुख्य अभियन्ता द्वारा 20,05,667•00 रूपये की गलत गणना किए जाने के कारण अनुमोदित कर दी गई जो कि 28467•00 रूपये से कम की गई थी। मद सं० 13 की राशि 3163•00 रूपये डी•एन•आई•टी• में डाली गई जबकि यह 31630•00 रूपये ली जानी अपेक्षित थी। गलत गणना किए जाने के परिणाम स्वरूप यह निर्माण कार्य मै0 कपिल कन्सट्रक्शन द्वारा दी गई दरों के आधार पर 145•72% अधिकतर आबंटित किया गया जबकि यह निर्माण कार्य अनुमानों।डी•एन•आई•टी• की राशि 20,34,134•00 रूपये के आधार पर यह 142•09% अधिक पर आबंटित किया जाना अपेक्षित था। अतः उक्त निर्माण कार्य 142•09% अधिक के स्थान पर 145•72% अधिक पर आबंटित किए जाने से सम्बन्धित प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आवश्यक आगामी कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त डी•एन•आई•टी• की मद सं० 1 से 42 हि०प्र० मानक दर अनुसूची 1987 में वर्णित मूलदरों पर आधारित थी तथा मद सं० 43 से 66 हि० प्र० परीक्षण एवं पब्लिक हैल्थ मानक दर अनुसूची 1993 पर आधारित थी परन्तु ... दरों पर पूर्ण रूप से नहीं निकाला गया था। निम्न वर्णित ... मदों, ... मानक

टंक=...

दर अनुसूची 1993 से सम्बन्धित थी का दर निर्धारण भी मद सं0 43 से 66 पर संविदाकार के प्रिमीयम 99.32% अधिक (862395.00x100 / 432654 = 199.32%) के आधार पर तय करके भुगतान भी तदानुसार ही किया जाना अपेक्षित था परन्तु मण्डल द्वारा इन वर्णित अतिरिक्त कार्य मदों का दर निर्धारण ओवर आल प्रिमीयम जोड़ कर निर्धारित किया गया था जो कि अनियमित ही नहीं अत्यन्त आपत्तिजनक था । अतः निम्न विवरणानुसार 3415.70 रुपये का भुगतान संविदाकार को अधिक किया गया है जिसकी वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

मद विवरण	करवाए गए कार्य की मात्रा	निर्धारित दर	सही दर	अन्तर दर	अधिक/अधिक सम्भावित भुगतान
अतिरिक्त प्रोवाईडिंग एण्ड फिक्सिंग ब्रास पुल वे वाल्व विद व्हील 15 एम.एम.	92 नं.	163.40 प्रत्येक	132.55 प्रत्येक	30.85	2838.20
अतिरिक्त प्रोवाईडिंग जी.आई. यूनियन 15एमएमडाया	165नं.	18.55 प्रत्येक	15.05	3.50	577.50
				योग	3415.70 रुपये

भविष्य में डी.एन.आई.टी. की दरों पर संविदाकार द्वारा दिए गए दरों पर प्रतिशतता मान दर अनुसूची 1987 व 1993 पर पृथक-2 निकाली जानी सुनिश्चित करके निर्माण कार्य के एवार्ड लेटर में वर्णन किया जाया करें ।

(ख) रु0 4575.00 रुपये का अधिक भुगतान :-

1. मैं चलत बिल की जाँच करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की [illegible] मद सं0 6(ग)(i) प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सी.सी. 1:2:4 [illegible] से करवाए गए 122.55घनमी. कार्य हेतु 1950.00 रुपये प्रतिघनमी. की दर से 2,38,972.00 रुपये का भुगतान किया गया । उक्त मात्रा में माप पुस्तिका सं0 641 पृष्ठ 91 पर [illegible] प्रीकास्ट प्रोविजनों की मात्रा 10.35घनमी. की मात्रा भी सम्मिलित [illegible] जाँच करने पर पाया गया कि [illegible] कलाम नं. 44 में [illegible] करवाए गए

कार्य की गणना 2.50 घन मी. {10-40×0.30×0.80} की गई दर्शाई गई माप पुस्तिका में दिवार का कार्य करवाए जाने हेतु कोई भी खुदाई कार्य व सी.सी. 1:6:12 इत्यादि का कार्य नहीं करवाया गया था । माप पुस्तिका के पृष्ठ 91 पर फार्मवर्क भी {2×10.40×0.80}= 16.64 वर्ग मी. बाद में लिखा गया प्रतीत होता है क्योंकि यह 16.64 वर्ग मी. की मात्रा योग में सम्मिलित न करके 19.59 वर्ग मी. ही लिया गया था तथा भुगतान भी तदानुसार 19.59 वर्ग मी. हेतु ही किया गया था । इसके अतिरिक्त माप पुस्तिका के पृष्ठ 94 पर ही ब्लाक नं. 44 में लगाई गई उक्त दिवार हेतु सी.सी. 1:2:4 की मात्रा 2.50 घन मी. भी बाद में जोड़ी गई प्रतीत होती है । क्योंकि रिकार्ड प्रविष्टियों की मात्रा का योग पहले 7.84 घन मी. दर्शा-कर ही गणना करके भुगतान राशि भी तदानुसार ही दर्शाई गई थी तथा बाद में काट-छांट करके मात्रा में 2.50 घन मी. की बढ़ोतरी रिकार्ड प्रविष्टियों के योग में तथा बिल में की गई जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक ही नहीं संदिग्ध भी है । रिकार्ड प्रविष्टियों की मात्रा सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित/टैस्ट चैक भी नहीं की गई थी । ब्लाक नं. 44 में लगाई गई दीवार हेतु कोई भी खुदाई सी.सी. 1:6:12 तथा फार्म वर्क भी न किए जाने {क्योंकि फार्म वर्क की मात्रा बाद में रिकार्ड प्रविष्टी में लिखी व भुगतान भी नहीं किया गया था} से सी.सी. 1:2:4 की कार्य मात्रा 2.50 घन मी. का 1950.00 रूपये प्रति घन मी. की दर से 4875.00 रूपये का भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है । मामला उचित छानबीन व आवश्यक आगामी कार्य वाही तदानुसार किए जाने हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अनुबन्ध के अनुसार निष्पादित की जाने वाली मदों की मात्रा तथा वास्तव में 13वें चलत बिल तक निष्पादित किए गए कार्य की मात्रा में बहुत अन्तर था जिनमें कुछ मुख्य मदों का विवरण निम्न से है :-

क्र.सं.	अनुबन्ध की मद सं.	अनुमानित मात्रा	13वें चलत बिल तक निष्पादित मात्रा	विचलन मात्रा	प्रतिशतता
1.	1	424.34घनमी.	1841.76घनमी.	1417.42 घनमी.	334.02%
2.	3	25.50वर्गमी.	45.90वर्गमी.	20.40वर्गमी.	80%
3.	2	221.00घनमी.	503.89घनमी.	282.89घनमी.	128.52%
4.	6(बी)	4.14घनमी.	10.26घनमी.	6.12घनमी.	147.82%
5.	47	146नं.	660नं.	514नं.	352.05%
6.	26(I)	189.10किग्रा.	308.29किग्रा.	119.19किग्रा.	63.03%
7.	26(II)	45.17किग्रा.	107.45किग्रा.	62.28किग्रा.	137.87%
8.	4	33.15घनमी.	62.078घनमी.	28.92घनमी.	87.23%
9.	9	617.24वर्गमी.	1067.80वर्गमी.	450.56वर्गमी.	72.99%
10.	65(I)	12नं.	25 नं.	13नं.	108.33%

उपरोक्त मदों में निर्धारित सीमा से अत्यधिक मात्रा में विचलन के सन्दर्भ में आगामी अंकेक्षण के दौरान वस्तुस्थिति अवगत करवाया जाए और इस बारे में कारणों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

तृतीय चलत बिल की जांच करने पर पाया गया कि उक्त बिल में सुरक्षित अग्रिम की राशि 2,42,285.00 रुपये का भुगतान किया गया था तथा पूर्व में दी गई सुरक्षित अग्रिम की राशि में 1,07,465.00 रुपये की राशि की वसूली की गई थी परन्तु उक्त बिल के भुगतान की संविदाकार के खाते में सुरक्षित अग्रिम की राशि 2,42,285.00 रुपये की प्रविष्टी दर्ज ही नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त क्रेडिट पक्ष में कोई भी राशि दर्ज नहीं की गई थी जबकि 9,65,731.00 रुपये की राशि दर्ज की जानी आपेक्षित थी [illegible] कॉलम 10 में 7,00,331.00 रुपये अंकित किया गया था जबकि यह राशि 7,59,474.00 रुपये अंकित की जानी आपेक्षित थी। अतः उपरोक्त बिल की प्रविष्टी संविदाकार के खाता पृष्ठ 40 पर गलत दर्ज की गई थी।

इसी प्रकार अन्य बिलों की प्रविष्टियां भी डैबिट व क्रेडिट पक्ष में गलत दर्ज की गई पाई गई । मु0 2,42,285.00रूपये की राशि संविदाकार के लेखा में दर्ज न किए जाने से यह वसूली छूट जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता तथा सही प्रविष्टियां डैबिट व क्रेडिट पक्ष में न किए जाने से संविदाकार के साथ हुए लेन देन की स्थिति स्पष्ट नहीं होती । उक्त की गई गम्भीर अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व संविदाकार के लेखा में प्रविष्टियां सही प्रकार से की जानी सुनिश्चित की जाए ।

निर्माण कार्य से सम्बन्धित सम्पूर्ण टैंडर केस अंकेक्षण द्वारा बार-2 अनुरोध करने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण टैंडर केस की आवश्यक जांच नहीं की जा सकी । पूर्ण टैंडर केस आवश्यक जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए ।

22(8) वाउचर संख्या 43 दिनांक 12.9.97 राशि 1,38,777.00रूपये

कार्य का नाम :- रेजीडैंसियल काम्पलैक्स विलो वी.सी.एस-फेस-1, कन्सट्रक्शन आफ ब्लाक नं. 14 टाईप "ए" के 18 नं. के त्रुटि पूर्ण व अतिरिक्त कार्य ।

बिल संख्या:- द्वितीय व अन्तिम ।

संविदाकार का नाम :- श्री अब्दुल अजीज ।

अनुबन्ध सं0 :- 19 वर्ष 1995-96

माप पुस्तिका सं0 :- 551 पृष्ठ 88 से 100

(क) उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा श्री अब्दुल अजीज संविदाकार को अनुबन्ध सं0 19 वर्ष 1995-96 के अन्तर्गत द्वितीय व अन्तिम बिल के रूप में 1,38,777.00रूपये का भुगतान किया गया । यह भुगतान ब्लाक नं. 14 के 18 नं. टाईप "ए" फ्लैट के बकाया कार्य व पूर्व में त्रुटिपूर्ण कार्य से सम्बन्धित था । पूर्व में यह कार्य अनुबन्ध सं0 11 वर्ष 1989-90 के अन्तर्गत श्री आर. एल.राना, संविदाकार से करवाया गया था । अंकेक्षण में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि अनुबन्ध सं0 19 वर्ष 1995-96 के अन्तर्गत कि कौन-2 सी मद का कितना कार्य त्रुटिपूर्ण पाया गया

था तथा क्या इसकी वसूली श्री आर•एस•राना संविदाकार से भी कर ली गई है। यद्यपि अक्षेपण में यह बताया गया कि त्रुटिपूर्ण पाए गए समस्त कार्य की वसूली संविदाकार से कर ली गई है परन्तु अभिलेख से आवश्यक पुष्टि नहीं करवाई गई। त्रुटिपूर्ण पाए गए कार्यों पर किए गए व्यय का विवरण तैयार करके वसूली सम्बन्धित संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर करवाई जाए।

(ख) उपरोक्त वाउचर द्वारा द्वितीय एवं अन्तिम चलत बिल द्वारा संविदाकार को 1,38,777•00 रुपये का भुगतान किया गया। उक्त भुगतान की जांच करने पर पाया गया कि यह निर्माण कार्य अनुबन्ध अनुसार 1,41,984•00 रुपये में पूर्ण किया जाना अपेक्षित था परन्तु अन्तिम बिल के रूप में संविदाकार को किए गए भुगतान अनुसार यह कार्य 2,57,841•00 रुपये में पूर्ण किया गया जो 1,15,857•00 रुपये से अधिक था। टैंडर राशि पर 1,15,857•00 रुपये के अधिक किए गए व्यय को अधिशाषी अभियन्ता द्वारा ही पारित किया गया था जबकि नियमानुसार कार्य, निर्माण व्यय 2 लाख से अधिक हो जाने की स्थिति में अधिशाषी अभियन्ता स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम नहीं है। अतः उक्त प्रकरण में संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति, तकनिकी स्वीकृति पूर्ण तथ्यों को स्पष्ट करते हुए सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

(ग) माप पुस्तिका सं० 551 के पृष्ठ 99 पर टी•ई•सं• 36 माह 3/96 के द्वारा सिमैंट की 9 बोरियां स्टोर को वापिस की गई परन्तु वापसी से सम्बन्धित प्रविष्टियां अभिलेख में यथा स्थान नहीं। एम•ए•एस• में नहीं दर्शाई गई। सिमैन्ट की वापिस की गई 9 बोरियों का भण्डार एम•ए•एस• में आवश्यक प्रविष्टियां दिखाई जाए अन्यथा वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

22(9) वाउचर सं0 77 दिनांक 27.3.98 राशि 3,21,142.00 रुपये

अनुबन्ध सं0 :- 12 वर्ष 1996-97

बिल सं0 :- 12वां चलत बिल

कार्य का नाम :- शापिंग कम्पलैक्स कुल्लू

माप पुस्तिका सं0 :- ए 655 पृष्ठ 1 से 14

संविदाकार का नाम :- श्री अनिल गुप्ता

उपरोक्त वाउचर द्वारा अनुबन्ध की कार्य मद सं0 5 प्रोवाईडिंग टोर स्टील रेईनफोरसमेंट फार आर.सी.सी. वर्क के करवाए गए 121360.76 कि.ग्रा. के करवाए गए कार्य हेतु 18.25 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से 22,14,834.00 रुपये का भुगतान किया गया । उक्त मात्रा में माप पुस्तिका सं0 615 के पृष्ठ 15 पर दर्ज की गई 2765.49 कि.ग्रा. की मात्रा भी सम्मिलित थी जिसकी जांच करने पर पाया गया कि सही गणना अनुसार मात्रा का योग 2675.49 कि.ग्रा. बनता था जो कि 90 कि.ग्रा. से कम था । अतः 90 कि.ग्रा. की अधिक की गई मात्रा की गणना हेतु 18.25 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से 1642.50 रुपये का भुगतान संविदाकार को अधिक किया गया है । जिसकी वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

22(10) कार्य का नाम :- बी.सी.एस. के नीचे आवासीय कालोनी फेस-2 का निर्माण कार्य एस एच बी श्रेणी के 24 नं. फ्लैट व ए श्रेणी के 8 नं. फ्लैटस का निर्माण कार्य, जिसमें आन्तरिक जल आपूर्ति व सैनीटेशन से सम्बन्धित कार्य भी सम्मिलित था ।

अनुबन्ध संख्या : 9 वर्ष 1996-97

संविदाकार का नाम : मै. एन.एल.गुप्ता ।

उपरोक्त कार्य के पृथक चालित बिल से कार्य चालित बिल के दौरान किये गये भुगतान की विस्तृत जांच की गई । पृथक चालित बिल से कार्य चालित के अंकेक्षण के दौरान निम्न लिखित अनियमिततायें पाई गई ।

(ड) दूसरे चलित बिल की मद संख्या 5/5(ए) हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या: 9•31(ए) द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 75•45 घन मीटर का भुगतान 2120•00 रूपये प्रति घन मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 567 पृष्ठ 16 पर किया गया । उपरोक्त कार्य मात्रा में शामिल 20•81 घन मी• कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका सं० 583 पृष्ठ 7 पर दर्ज थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि आर•सी•सी• 1:2:4 की फाउंडेशन व फुटिंग में किये गये कार्य की मात्रा कालम ए 4 व ए 5 के फाउंडेशन फुटिंग में बीम की कार्य मात्रा की गणना निम्न प्रकार की गई थी ।

ए$_4$ ए$_5$ बीम 1×4•10×0•48×0•60 = 1•18 घन मीटर

इस कार्य से सम्बन्धित फोर्म वर्क की कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 583 पृष्ठ 3 पर निम्न प्रकार मापी व भुगतान की गई थी

ए$_4$ए$_5$ बीम 1×2×4•10×0•40 = 3•28 वर्ग मीटर

उपरोक्त फोर्म वर्क के अनुसार कालम ए$_4$ ए$_5$ के फाउंडेशन व फुटिंग में बीम की कार्य मात्रा निम्न प्रकार मापी व भुगतान की जानी थी ।

ए$_4$ए$_5$ बीम 1×4•10×0•48×0•40 = 0•78 घन मी•

अतः उपरोक्त विवरणानुसार संविदाकार को 0•40 घन मी• (1•18 घन•मी — 0•78 घन मीटर) कार्य मात्रा का 2120 रूपये प्रति घन मी• की दर से राशि 848•00 रूपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाये ।

(ज) पांचवें चलित बिल की मद संख्या 3/3(डी) द्वारा वर्णित कार्य कालम व पिल्लर पोस्ट में फोर्म वर्क से सम्बन्धित कार्य की कुल कार्य मात्रा 619•12 वर्ग मीटर का भुगतान 90 रू• प्रति वर्ग मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 567 पृष्ठ 63 पर किया गया था । इस कार्य मात्रा में शामिल 45•69 वर्ग मीटर कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या:

583 पृष्ठ 90 पर निम्न प्रकार दर्ज थी ।

कालम तीसरे फ्लोर से रूफ बीम तक

ए$_5$ से ए$_8$	
बी$_5$ से बी$_8$	1x12x0•30x2•80 = 20•16वर्ग मी•
सी$_5$से सी$_8$	1x12x2x0•30x2•80 = 25.53 व मी

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित आर•सी•सी• 1:2:4 की कार्य मात्रा की गणना मापन पुस्तिका संख्या: 583 पृष्ठ 92 पर निम्न प्रकार की गई थी ।

कालम तीसरे फ्लोर के रूप में बीम तक

ए$_1$से ए$_8$	
बी$_1$ से बी$_8$	3x8x0•30x0•38x2•42 = 6•62घनमी•
सी$_1$से सी$_8$	

उपरोक्त कार्य आर•सी•सी• 1:2:4 की कार्य मात्रा की गणना के अनुसार तीसरे फ्लोर से रूफ बीम तक फोर्म वर्क से का कार्य 2•42 मीटर ऊँचाई तक किया जाना था तथा फोर्म वर्क से कार्य मात्रा की गणना निम्न प्रकार की जानी थी ।

1x12x2x0•30x2•42 = 17•42 वर्ग मीटर

1x12x2 x0•38x2•42= 22•07 वर्ग मीटर

39•49 वर्ग मीटर

उपरोक्त विवरणानुसार संविदाकार को 6•20वर्ग मीटर (45•69 वर्ग मीटर-39•49 वर्ग मीटर) कार्य मात्रा का 90रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि 558•00रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाये ।

(ग) ...ये पारित बिल की मद संख्या 4/4 (पी०यू०) मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 9•16(ए) द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 102•26 घन मी• कार्य मात्रा का भुगतान 1000 रुपये प्रति घन मीटर की दर से माप पुस्तिका संख्या 567 पृष्ठ

45 पर किया गया । इस कार्य मात्रा में शामिल 26.86 घनमी. कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 404 पृष्ठ 70 पर दर्ज थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि आर.डी.संख्या 30.80से 35 तक 24 नं. टाईप की फॉटों के सामने लगाई गई रिटेनिंग वाल के पीछे सी.सी.1:6:12 से सम्बन्धित कार्य निम्न प्रकार मापा व भुगतान किया गया था ।

1. $1 \times 4.20 \times \frac{1.20 + 0.95}{2} \times 3.20$ = 14.45घनमीटर

2. $1 \times 4.20 \times \frac{0.90 + 0.65}{2} \times 3.20$ = 10.41 घनमीटर

24.86 घनमीटर

24 नं. टाईप की फॉटों के सामने आर.डी.30.80से आर डी 35 तक लगाई गई रिटेनिंग वाल से सम्बन्धित आर.सी.सी. 1:2:4 से सम्बन्धित कार्य मात्रा की गणना निम्न प्रकार गणी व भुगतान की गई थी ।

$1 \times 4.20 \times \frac{0.45 + 0.15}{2} \times 3.90$ = 4.91घनमीटर

उपरोक्त मामले में आर.सी.सी. रिटेनिंग वाल 3.90मीटर उंचाई तक लगाई गई थी जबकि आर.सी.सी. रिटेनिंग वाल के पीछे सी.सी.1:6:12 से सम्बन्धित कार्य 6.40मीटर (3.20मीटर+3.20मी) उंचाई तक किया गया दर्शाया गया था । सी.सी. 1:6:12 से सम्बन्धित 24.86 घनमीटर कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा टैस्ट चैक नहीं किया गया था जबकि डिजन आर्डटम से सम्बन्धित कार्य की प्रविष्टियों को सहायक अभियन्ता द्वारा शतप्रतिशत टैस्ट चैक किये जाने के पश्चात भुगतान किया जाना था । इसके अतिरिक्त आर.सी.सी. दिवार के पीछे सी.सी. 1:6:12 का कार्य दिवार की उंचाई से भी अधिक व 1.20मीटर चौड़ाई में किया जाना व्यवहारिक व मितव्ययी प्रतीत नहीं होता है । इसके अतिरिक्त इस कार्य से सम्बन्धित फॉर्म वर्क का भुगतान भी नहीं किया गया था । उपरोक्त मामले में 24,860.00रुपये

.....31.

{24.86घन मीटर x1000रु.} का भुगतान संदिग्ध मालूम होता है। अतः इस कार्य से सम्बन्धित डिजाईन इत्यादि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उपरोक्त मामले में किये गये कार्य की पूर्ण छानबीन करके आर.सी.सी. दीवार के पीछे सी.सी 1:6:12 से सम्बन्धित 6.40मीटर उंचाई तक किये गये कार्य का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा छुपे दबे कार्य {हिडन आईटम} से सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियों को सहायक अभियन्ता द्वारा टैस्ट चैक किये बिना संविदाकार को भुगतान किये जाने बारे स्पष्टीकरण दिया जाये अन्यथा उपरोक्त कार्य मात्रा से सम्बन्धित भुगतान की गई राशि 24860.00रूपये की उचित माध्यम से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

{घ} सातवें चलत बिल की मद संख्या 11/13 {हि0प्र0 मानक दर अनुसूची 1987 मद संख्या 10.4सी} अंकित द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 2698.75 वर्ग मीटर का भुगतान 230रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 643 पृष्ठ 10 पर किया गया। उपरोक्त कार्य मात्रा में शामिल 489.64 वर्ग मीटर कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 622 पृष्ठ 59 पर दर्ज थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि हाफ ब्रीक मैशनरी की कार्य मात्रा की गणना करने पर कार्य मात्रा 479.64 वर्ग मीटर गणी गई थी जबकि भुगतान करते समय मापन पुस्तिका संख्या 643 पृष्ठ 10 पर कार्य मात्रा 479.64 वर्ग मीटर के स्थान पर 489.64 वर्ग मीटर दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 10 वर्ग मीटर कार्य मात्रा के लिए 230 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि 2300रूपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

22(11) वाउचर संख्या 82 दिनांक 26.9.97 राशि 46788.00रु.
निर्माण कार्य का नाम :- रेजीडेंसियल कम्पलैक्स सिलौ बी.सी.
फा.फे-II सैप्टीक टैंक का निर्माण।
संविदाकार का नाम :- श्री श्याम सिंह
अनुबन्ध संख्या :- 11 वर्ष 1997-98
माप पुस्तिका सं0 :- 624 व 274
बिल सं0 :- चतुर्थ चलत बिल

उपरोक्त वाउचर द्वारा अनुबन्ध की अतिरिक्त कार्य मद संख्या 6 डिमोलिशन आफ ब्रीक वर्क सिलौ जी.एल.के करवाए गए 22.40घन मी. कार्य हेतु 198.15रूपये प्रति घन मीटर की दर से 4439.00रूपये का भुगतान किया गया। किए गए भुगतान की जांच करने पर पाया गया कि उक्त करवाए गए कार्य से 10640 ईंटें (475x22.40) प्राप्त होनी आपेक्षित थी परन्तु अभिलेख से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उक्त मात्रा को एम.ए.एस. रजिस्टर में लेखाबद्ध किया गया है कि नहीं। एम.ए.एस. रजिस्टर में 10,640ईंटों की ली गई मात्रा से सम्बन्धित प्रविष्टी दिखाई जाए अन्यथा वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

22(12) वाउचर सं0 16 दिनांक 4.9.97 राशि 43690.00रु.
कार्य का नाम :- कम्यूनिटी सैन्टर के प्रथम फ्लोर में टायलेट बनाने के बारे में।
माप पुस्तिका :- 620,624 व 549
संविदाकार का नाम :- श्री ज्ञान चन्द
अनुबन्ध संख्या :- 8 वर्ष 1997-98
बिल सं0 :- तृतीय व अन्तिम बिल

उपरोक्त वर्णित वाउचर संख्या द्वारा संविदाकार को तृतीय एवं अन्तिम बिल के रूप में 43690.00रूपये का भुगतान किया गया उक्त बिल के साथ संलग्न विचलन विवरण के अनुसार यह कार्य 1,27,778.00रूपये में पूर्ण किया गया। मण्डल द्वारा पत्र सं0 एच.पी.एम.डी.पी.(डी-II) -एकाउंटस-7/97-2063-70

दिनांक 16.6.97 के अनुसार यह कार्य 74414.00 रुपये में पूर्ण किया जाना था। अतः उक्त निर्माण कार्य में 53364.00 रुपये अर्थात 71.71% की बढ़ोतरी हुई, जो कि अधिशाषी अभियन्ता द्वारा ही अनुमोदित की गई थी जबकि नियमानुसार अधिशाषी अभियन्ता 25% तक की बढ़ोतरी की ही स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम है। अतः अनियमित रूप से अनुमोदित की गई बढ़ोतरी /विच -लन विवरण को अधिशाषी अभियन्ता द्वारा ही अनुमोदित करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक नियमितिकरण सक्षम प्राधिकारी से करवाया जाए।

22§13§ वाउचर संख्या 67 दिनांक 24.3.98 राशि 56118.00 रुपये

कार्य का नाम :- पांचवी आंशिक स्वतः वित योजना फेस-2 जाव नं. 5, स्टोन मेसनरी टू प्लाट नं. ~~280~~ 280 से 282 तक

संविदाकार का नाम :- श्री सुभाष चौहान
अनुबन्ध सं0 :- 26 वर्ष 97-98
बिल सं0 :- प्रथम चलत बिल

उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा अनुबन्ध की अतिरिक्त कार्य मद सं0 7§ए§ प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सी.सी. 1:2:4 इन फाउंडेशन फूटिंग के ~~बक~~ करवाए गए 0.65 घन मी. कार्य है, 1594.75 रुपये प्रतिघन मीटर की दर से 1037.00 रुपये का भुगतान किया गया। उक्त मात्रा की माप पुस्तिका सं0 683 के पृष्ठ 3 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की गणना की जांच करने पर पाया गया कि सही गणनानुसार मात्रा 0.55 घन मी. बनती है जिसका विवरण निम्न वर्णित है। अतः 0.10 घन मी. की अधिक ली गई मात्रा हेतु 1594.75 रुपये प्रति घन मी. की दर से 159.47 रुपये का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

की गई गणना	सही गणना	अधिक ली गई मात्रा
1.30×1.30×0.20= 0.34	1.30×1.30×0.20 = 0.34	---
0.30 § 1.69+0.09 + 1.78 § =0.31	0.30/3 § 1.69+0.09 + 0.05 § =0.21 घनमी.	0.10 घनमी.
0.65 घनमी.	0.55 घनमी.	

22(14) वाउचर संख्या 28 दिनांक 9.9.97 राशि 8147.00 रुपये

उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा वर्क आर्डर सं0 5 वर्ष 1997-98 के अन्तर्गत कार्य मद सं0 1 कटिंग इन अर्थ वर्क के करवाए गए कार्य 74.06 घन मीटर हेतु 110.00 रुपये प्रति घन मीटर की दर से 8147.00 रुपये का भुगतान प्रथम व अन्तिम बिल के रूप में किया गया। उक्त बिल की जांच करने पर पाया गया कि संविदाकार के बिल से 2% बिक्री कर की कटौती नहीं की गई थी। बिक्री कर की कटौती न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए 2% की दर से मु0 163.00 रुपये की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

22(15) वाउचर संख्या 14 दिनांक 5.3.98 राशि 1,22,945.00 रुपये

उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा अनुबन्ध सं0 27 वर्ष 1997-98 की प्रतिस्थापित कार्य मद सं0 5(डी) प्रोवाईडिंग सी.सी. 1:1½:3 इन कालम पीलर के करवाए गए 3.54 घन मी. कार्य हेतु 1649.00 रुपये प्रति घन मीटर की प्रोवीजनल दर से 5837.00 रुपये का भुगतान किया गया। उक्त मद के भुगतान हेतु मण्डल द्वारा 2198.00 रुपये प्रति घन मीटर की दर निर्धारित की गई थी जिसकी जांच करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की क्लाज 12(1)(ii) के अनुसार सही दर का निर्धारण 2138.60 रुपये प्रति घन मीटर बनता था, जिसका विवरण निम्न प्रकार वर्णित है। दर का निर्धारण करते समय मैकेनिकल मिक्सड व वाइब्रेटिड सी.सी. हेतु 10.00 रुपये मूल दर में जोड़े गए थे जबकि माप पुस्तिका सं0 679 के पृष्ठ 9 पर इसके प्रयोग बारे कोई उल्लेख नहीं था। अतः उक्त मद हेतु 59.40 रुपये प्रति घन मी. की अधिक निर्धारित की गई दर से प्रथम चलत बिल तक करवाए गए 3.54 घन मीटर के कार्य हेतु 210.27 रुपये का भुगतान आगामी चलत बिलों में अधिक किया जाना सम्भावित है। आगामी चलत बिलों में उक्त कार्य मद का भुगतान 2138.60 रुपये प्रति घन मीटर की दर से किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ....

हि०प्र० मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं० 9.32(सी) के अनुसार मानक दर — 686.00 रूपये प्रति घन मी.

+ समरूप श्रेणी के कार्य के लिए संविदाकार का प्रिमीयम 211.75% — 1452.60

दर जो निर्धारित की जानी थी = 2138.60 रू. प्रतिघनमी.

22(16) वाउचर संख्या 35/ दिनांक 10.3.98 राशि 32,332.00 रूपये
कार्य का नाम :- तृतीय व चतुर्थ स्वत: आंशिक वित्त योजना फेस नं. 1 जाव नं. 6, ब्लाक नं. 14, 8 नं. टाईप "ए" फ्लैट, शेष कार्य ।

संविदाकार का नाम :- श्री अब्दुल अजीज ।

माप पुस्तिका सं० :- 511, 436, 536

बिल सं० :- तृतीय व अंतिम बिल

अनुबन्ध सं० :- 20 वर्ष 1995-96

उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा अनुबन्ध की अतिरिक्त कार्य मद सं० 20 प्रोवाइडिंग व फिक्सिंग कास्ट आयरन फ्लोर ट्रेप आफ सैल्फ क्लीनिंग के करवाए गए 72 नं. कार्य हेतु 151.10 रू. प्रत्येक की दर से 10879.00 रूपये का भुगतान किया गया । किये गए भुगतान की जांच करने पर पाया गया कि मण्डल द्वारा 151.10 रूपये की दर निर्धारित की गई थी जबकि सही गणनानुसार दर का निर्धारण 148.23 रूपये प्रत्येक निर्धारित किया जाना अपेक्षित था । अत: 2.87 रूपये प्रत्येक के अधिक निर्धारित किए गए दर से 206.64 रूपये का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली करके जमा करवाया जाए ।

हि.प्र. मानक दर अनुसूची 1993 (आई.पी.एच.) के अनुसार मद सं० 9.83 (11) की मानक दर — 64.90 रू.

+ संविदाकार का ओवर आल प्रिमियम 128.41% — 83.33

	148.23 रू.

22(17) निम्नलिखित विवरणानुसार विभिन्न अनुबन्धों की रु0 86933.00 रुपये की अतिरिक्त व बदली हुई मदों का निष्पादन सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति एवं दरों का अनुमोदन करवाए बगैर ही करवाया गया । अतः इस अनियमितता बारे कारणों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए अतिरिक्त मदों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विश्लेषण दर आगामी अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाए जाए ।

अनुबन्ध सं.	कार्य मद सं.	कार्यमात्रा	आंकित दर	भुगतान की गई राशि (रु.)
12वर्ष 1996-97	19/ अतिरिक्त	4.51घनमी.	4000.00प्रति घन मी.	18040.00
11वर्ष1997-98	4/अतिरिक्त	46.53घनमी.	972.07प्रति घनमी.	45230.00
	6/अतिरिक्त	22.40घनमी.	198.15प्रति घनमी.	4439.00
31वर्ष 97-98	4/प्रतिस्थापित	76.12वर्गमी.	200.00 प्रतिघनमी.	15224.00
21वर्ष96-97	2/52(1)अतिरिक्त	16नं.	250.00प्रत्येक	4000.00
			योग:	86933.00

22(18) निर्माण मण्डल में संविदाकार की खाता वही सही प्रकार से तैयार नहीं की जा रही थी । अनेक प्रकरणों में खाता वही में प्रविष्टियां की ही नहीं गई थी । यदि की भी गई थी तो तिथिवार क्रम में दर्ज नहीं की गई थी व माह के अन्त प्रत्येक संविदाकार के खाते का अन्तशेष नहीं किया जा रहा था । निम्न वर्णित प्रकरणों में खाता वही में प्रविष्टियां ही गलत की गई थी या की ही नहीं गई थी । संविदाकार खाता वही का निर्माण मण्डल द्वारा सही प्रकार से तैयार न किया जाना अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है । खाता वही को सही प्रकार से रखे जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में खाता वही नियमानुसार सही प्रकार से तैयार की जाए ।

संविदाकार का नाम	अनुबन्ध सं०	लेजर पृ.सं.	चलत बिल सं.	टिप्पणी
श्री अखिल गुप्ता	12 वर्ष 1996-97	172	12	क्रेडिट पक्ष में 658499/= रु. की प्रविष्टी के बजाए 4289110.00 रु. की गई थी।
-- "-----	12 वर्ष 1997-98	173	2	क्रेडिट पक्ष में 209911.00 रु. की राशि की प्रविष्टी नहीं की गई थी।
श्री अब्दुल अजीज	19 वर्ष 1995-96	71	2 व अन्तिम	क्रेडिट पक्ष में 158100/= रु. के स्थान पर 99741/= रु. की प्रविष्टी की गई थी
श्री थाल सिंह	11 वर्ष 1997-98	123	चतुर्थ	क्रेडिट पक्ष में 82894.00 रु. की राशि के स्थान पर 148958.00 रु. की प्रविष्टि की गई।
मै. कपिल कन्स्ट्रक्शन	21 वर्ष 1996-97	43	आठवां	क्रेडिट पक्ष में 570629/= रु. के स्थान पर 522968.00 रु. की प्रविष्टी की गई थी
मै. देवेन्द्र जस्टा	वर्कआर्डर 199 वर्ष 96-97	162	प्रथम व अन्तिम	कोई प्रविष्टि नहीं।
श्री अब्दुल अजीज	20 वर्ष 95-96	—	तृतीय व अन्तिम	कोई प्रविष्टी नहीं।
मै. कपिल कन्स्ट्रक्शन	21 वर्ष 96-97	41	पांचवां	डैबिट पक्ष में 741321.00 रु. के स्थान पर 745941.00 रु. की प्रविष्टी की गई थी। अन्य चलत बिल भी इसी प्रकार गलत दर्ज किए गए पाए गए।

22(19) संविदाकारों से कुल 68,890.00 रुपये की राशि की कम वसूली:-

हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल नं. 2 के लेखाओं माह 9/97 व 3/98 के भिन्न-2 कार्यों बिलों का विश्लेषण करने पर पाया गया कि इन कार्यों के लिए भण्डार से जारी सीमेन्ट बैगों की [illegible] प्राप्त होने वाले खाली सीमेन्ट बैगों को कार्य अनुबन्ध की जनरल स्पैसीफिकेशन एण्ड कण्डीशन्स नं. 48 के अनुसार नगर विकास प्राधिकरण को वापिस करना था लेकिन भिन्न-2 कार्यों जिनका विवरण

निम्न वर्णित है, पर कुल 76545 बोरियों की जप्त की गई। शर्त नं. 48 के अनुसार जप्त किए गए सीमेन्ट की बोरियों के 90% भाग को संविदाकारों द्वारा प्राधिकरण को वापिस लौटाना था। अंकेक्षण के दौरान कोई भी ऐसा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे जप्त किए गए सीमेन्ट बैगों के 90% भाग के बराबर सीमेन्ट की खाली बोरियों की प्राप्ति का सत्यापन किया जा सके। विभाग में प्रचलित प्रथा के अनुसार यदि कोई संविदाकार उपरोक्त शर्तों के अनुसार कुल जप्त किए गए सीमेन्ट बैगों के 90% भाग के बराबर खाली बोरियों को नहीं लौटाता तो उस संविदाकार के कार्य बिल की देय राशि में से जप्त किए गए सीमेन्ट बोरियों के 90% भाग के बराबर बोरियों की कीमत एक रुपये प्रति खाली बोरी की दर से वसूल की जाती है लेकिन निम्न वर्णित निर्माण कार्यों में विभिन्न कार्य के लिए जारी जप्त की गई 76545 सीमेन्ट की बोरियों से, विभाग को प्राप्त होने वाली 90% खाली बोरियों की कीमत उपरोक्त प्रचलित प्रथा के अनुसार एक रु. प्रति बोरी की दर से वसूल नहीं की गई थी और न ही विभाग द्वारा खाली बोरियों की प्राप्ति की गई थी। अतः कुल राशि 68890 रुपये की वसूली सम्बन्धित संविदाकारों से करना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में कार्य अनुबन्ध की समस्त शर्तों का पूर्ण पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त अन्य इसी प्रकार के सभी प्रकरणों की जांच प्राधिकरण अपने स्तर पर करें करने के बाद वसूली योग्य राशि यदि कोई हो तो वसूल करने हेतु कार्यवाही अमल में लाए तथा यह प्रमाणित करें कि उन्होंने यह प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

वर्ष	वाउ.सं.	दिनांक	संविदाकार का नाम	सिमेन्ट की बोरियों की संख्या।	90% भाग हेतु 1 रु.की दर से वसूली योग्य राशि रु.में
92-93	55	18.9.97	मै.अग्रवाल एण्ड कं.	24168	21751.00
95-96	59	18.9.97	मै.हिम इंजीनियरएण्ड कन्सलटेंटस	5724	5152.00
95-96	74	24.9.97	श्री एम.के.मिगलानी	11344	10210.00
97-98	82	26.9.97	श्री बाल सिंह.	300	270.00
96-97	2	2.3.98	श्री गिरीश गुप्ता	3041	2737.00
97-98	14	5.3.98	मै.हिम इंजिनियरिंग एण्ड कन्सलटेंट	359	323.00
96-97	53	19.3.98	मै.कपिल कन्सट्रक्शन	4906	4415.00
97-98	67	24.3.98	श्री सुभाष चौहान	150	135.00
96-97	69	24.3.98	मै.एम.एल.गुप्ता एण्ड एसोसिएटस	8400	7560.00
95-96	75	27.3.98	श्री.एम.के.मिगलानी	11897	10707.00
96-97	77	27.3.98	श्री अनिल गुप्ता	6256	5630.00
			योग:	76545	68,890.00

22[20] वाउचर सं० 10 दिनांक 4.9.97 राशि 3500.00 रु.

उपरोक्त वाउचर द्वारा श्री डी.के.शर्मा को प्रतिभूति राशि की वापसी के रूप में 3500.00 रुपये का भुगतान किया गया उक्त भुगतान की जांच करने पर पाया गया कि श्री डी.के.शर्मा से दिनांक 4.7.97 को प्रतिभूति राशि के रूप में 2000.00 रुपये ही प्राप्त हुए है। रु 1500.00 रुपये की राशि श्री डी.के.शर्मा द्वारा दिनांक 12.8.97 के लिए 300 नं. प्लेटों की बुकिंग हेतु जमा करवाई गई थी। दिनांक 12.8.97 के पश्चात श्री डी.के. शर्मा द्वारा यह कहने पर कि मेरे द्वारा प्लेटों का प्रयोग नहीं किया गया है तथा रु 1500.00 रुपये की राशि वापिस कर दी जाए। मण्डल द्वारा यह राशि जो कि वापिस नहीं की जानी थी, वापिस कर दी गई। अतः अनियमित रूप से लौटाई गई 1500.00 रुपये की राशि [illegible] वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से [illegible] अनुपालना [illegible] आगामी [illegible]

......4..

22(91)

मण्डल द्वारा सम्बन्धित मार्गों के मस्टर रोल के भुगतानों की जाँच करने पर पाया गया कि मस्टर रोल पर तैनात किए गए मजदूरों द्वारा मण्डल/उपमण्डल कार्यालयों में कार्य किया जा रहा था परन्तु मजदूरों को किए गए भुगतानों का लेखांकन कार्यालय व्यय में न दर्शा कर लेखा शीर्ष स्टाक स्टोरेज तथा अन्य निर्माण कार्यों को अनियमित रूप से दर्शाया गया था। जिसका विवरण निम्न वर्णित है। रु० 91036-00 रु के व्यय को सही लेखा शीर्ष में न दर्शा कर अन्य लेखा शीर्षों को अनावश्यक व्यय दर्शाए जाने की स्थिति स्पष्ट करते हुए सही लेखा शीर्ष में लेखांकन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता को न दोहराया जाए।

दिनांक	मस्टर रोल सं०	मजदूर का नाम	अवधि	भुगतान राशि	लेखा शीर्ष जिसमें व्यय दर्शाया	लेखा शीर्ष जिसमें दर्शाया जाना था
6-3-98 / 3-2-98	1	श्री दीपक कुमार स्टोर कीपर	जनवरी 98	1796-00	स्टाक स्टोरेज	कार्यालय व्यय
31-3-98 / 3-3-98	36	-"-	फरवरी 98	1623-00	-"-	-"-
23-3-97 / 3-9-97	265	-"-	अगस्त 98	1796-00	-"-	-"-
6-3-98 / 3-2-98	1	[illegible]	जनवरी 98	1098-00	-"-	-"-
31-3-98 / 3-3-98	36	-"-	फरवरी 98	1281-00	-"-	-"-
23-3-97 / 3-9-97	265	-"-	अगस्त 98	1418-00	-"-	-"-

1	2	3	4	5	6	7	8
20/3	6-3-98 / 3-2-98	3	श्री विचित्र सिंह कार्यनिरीक्षक सर्वश्री ओमप्रकाश शर्मा, सतीश कुमार, नरेश, राजपाल, तिलक राज, बंसी लाल, प्रवीण सिंह, राजेन्द्र — बेलदार	जनवरी 98	1309.50	[illegible] निर्माण जारी-1	कार्यरत [illegible]
			-"-	फरवरी 98	1187.00	-"-	-"-
93/5	31-3-98 / 3-3-98	40					
20/4	6-3-98 / 3-2-98	4	श्री रघुप्रकाश चौकीदार, बेलदार	जनवरी 98	1418.00	-"-	-"-
93/6	31-3-98 / 3-3-98	41	-"-	फरवरी 98	1281.00	-"-	-"-
70/5	23-9-97 / 3-9-97	266	-"-	अगस्त 97	1418.00	-"- जारी-2	-"-
20/11	6-3-98 / 3-2-98	12	सर्वश्री विजय कुमार, बेलदार राम स्वरूप, बेलदार	जनवरी 98	2836.00	-"- [illegible]	-"-
93/10	31-3-98 / 3-3-98	45	-"-	फरवरी 98	1281.00	-"-	-"-
70/14	23-9-97 / 3-9-97	275	-"-	अगस्त 97	2745.00	[illegible] जारी-6	-"-
20/15	6-3-98 / 3-2-98	17	श्री देश राज, मजदूर	जनवरी 98	1418.00	[illegible]	-"-
93/15	31-3-98 / 3-3-98	50	-"-	फरवरी 98	1281.00	-"-	-"-
20/6	6-3-98 / 3-2-98	6	सर्व श्री [illegible] कार्यनिरीक्षक [illegible] सिंह कार्यनिरीक्षक	जनवरी 98	6310.00	[illegible]	-"-
93/7	31-3-98 / 3-3-98	39	-"-	फरवरी 98	5978.00	-"-	-"-
70/7	23-9-97 / 3-9-97	268	-"-	अगस्त 97	~~[illegible]~~ [illegible]		

1	2	3	4	5	6	7	8
16/16	6-3-98 / 3-2-98	17	श्री ओम प्रकाश मजदूर	जनवरी-98	1418-00	[illegible]	[illegible]
93/15	31-3-98 / 3-3-98	50	—"—	फरवरी 98	1281-00	—"—	—"—
70/11	23-9-97 / 3-9-97	212	—"— [illegible] राज	अगस्त 98	2836-00	[illegible]	—"—
93/15	31-3-98 / 3-3-98	50	श्री [illegible] सिंह मजदूर	फरवरी 98	1281-00	—"—	[illegible]
93/19	3 —"—	68	श्री [illegible] मजदूर	—"—	4120-00	[illegible]	[illegible]
70/3	23-9-97 / 3-9-97	264	सर्व श्री [illegible] सिंह [illegible] इन्सपैक्टर [illegible], बेलदार सतीश कुमार, बेलदार महेश —"— राजमल	अगस्त 97	7468-00	[illegible] निर्माण	—"—
70/9	30-9-97 / 3-9-97	210	सर्व श्री [illegible] सिंह, बेलदार तीलकराज, बेलदार [illegible] राम, बेलदार राजेन्द्र कुमार बेलदार	अगस्त 97	5672-00	[illegible]	—"—
70/12	23-9-97 / 3-9-97	213	श्री मनोहर लाल, चौकीदार	—"—	1418-00	[illegible] रोड [illegible]	—"—
100/3	30-9-97 / 3-9-97	283	श्री बंशी लाल, बेलदार	—"—	1418-00	[illegible]	—"—
100/16	30-9-97 / 3-9-97	286	श्री [illegible]	—"—	1418-00	[illegible]	—"—
				योग	91036-00		

22{22} **वाउचर संख्या 57 दिनांक 19.3.98 राशि 4050.00 रुपये**

उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा मै. आतिथ्याना रेस्टोरेंट छोटा शिमला को उनके बिल सं0 8750 दिनांक 26.2.98 द्वारा 50 स्नैक्स{चाय समूसा, काजू, बादाम, पाइनेपल, पैस्ट्री बिस्कुट इत्यादि} 75.00 रुपये +8% बिक्री कर =81 रुपये प्रत्येक की दर से 4050 रुपये का भुगतान किया गया। परन्तु भुगतान वाउचर स्वतः स्पष्ट न होने के कारण यह पता नहीं चल पाया कि किया गया भुगतान किस कार्य से किया गया था तथा न ही सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति का ही कोई उल्लेख वाउचर पर या संलग्न पाया गया। माप पुस्तिका पर किए गए इन्दराज के अवलोकन पर पाया गया कि यह भुगतान विदेशी डैलीगेट को दी गई रिफ्रैशमैंट से सम्बन्धित था। परन्तु अभिलेख में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कितने डैलीगेट आए थे तथा कितने डैलीगेट्स को रिफ्रैशमैंट दी गई तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति भी अभिलेख में नहीं दिखाई। किए गए भुगतान का औचित्य स्पष्ट करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए अन्यथा वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से करके जमा करवाई जाए।

22{23} **वाउचर सं0 20 दिनांक 6.3.98 राशि 1,32,528.00 रुपये**
वाउचर सं0 93 दिनांक 31.3.98 राशि 95,263.00 रुपये

उपरोक्त वर्णित वाउचरों के साथ वाउचर सं0 11 दिनांक 3.2.98 व 15 दिनांक 3.3.98 द्वारा क्रमशः मस्टररोल सं0 12 व 30 के अन्तर्गत 2 नं. मजदूर व एक नं. मजदूर को 2836.00 रु0 व 1281.00 रु0 कुल भुगतान 4117.00 रुपये स्टोरेज चार्जिज की उगाही हेतु किया गया। स्टोरेज चार्जिज की उगाही हेतु रखे गए मजदूरों को किया गया यह भुगतान माह फरवरी, व मार्च, 1998 से सम्बन्धित था पर इन माह में स्टोरेज चार्जिज के रूप में केवल 60.00 रु0 ही एकत्रित/जमा करवाए गए हैं तथा अंकेक्षण अवधि में केवल 2080.00 रुपये की ही राशि एकत्रित की गई

मण्डल द्वारा 2080.00 रुपये के बिल दो मजदूरों की नियमित तैनाती हेतु किए जा रहे हजारों रुपये के किये जा रहे व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में इस प्रकार के अलाभकारी /अनियमित व्यय से परिहार किया जाए ।

22§24§ वाउचर सं० 71 दिनांक 24.3.98 राशि 24,337.00 रुपये

उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा मै. विकास एन्टर-प्राईजिज को प्रतिभूति राशि की वापिसी के रूप में 24,337.00 रुपये का भुगतान किया गया जिसकी जांच करने पर पाया गया कि किए गए भुगतान में 3095.00 रुपये की राशि भी सम्मिलित थी, जो कि वाउचर सं० 77 दिनांक 23.9.97 के द्वारा मण्डल लेखों में प्राप्त हुई दर्शाई गई थी परन्तु रोकड़ वही में दिनांक 23.9.97 को वाउचर सं० 77 द्वारा कोई भी राशि मै. विकास एन्टरप्राईजिज से प्राप्त नहीं हुई थी जिस कारण किया गया भुगतान अधिक में मान्य नहीं था । किए गए 3095.00 रुपये के भुगतान के सन्दर्भ में, मण्डल द्वारा पूर्व में प्राप्त हुई प्रतिभूति राशि को सही प्रकार से स्पष्ट किया जाए अन्यथा वसूली करके राशि जमा करवाई जाए ।

22§25§ वाउचर सं० 22 दिनांक 5.9.97 राशि 20760.00 रुपये
वाउचर सं० 46 दिनांक 16.3.98 राशि 23231.00 रुपये

रेस्टहाउस में बिजली के सम्भावित हजारों रु. के दुरुपयोग बारे

उपरोक्त वाउचरों द्वारा सहायक अभियन्ता, विद्युत उप मण्डल, हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड, कटीनी को रेस्ट हाउस के बिजली के बिलों हेतु माह 7/97 व 8/97 तथा 1/98 व 2/98 में बिजली के 2560 व 3470 यूनिट के किए गए उपयोग के लिए क्रमशः 12464.00 रुपये व 14100.00 रुपये कुल भुगतान 26,564.00 रुपये का किया गया । रेस्टहाउस के बिलों की जांच करने पर पर पाया गया कि बिजली के बिलों का किया गया भुगतान उक्त मासों में 26564.00 रुपये किया गया जबकि उक्त अवधि में यूनिटों व दरों के आधार पर 1100+ 360 [illegible] रु. की राशि

ही प्राप्त हुई । प्राप्त आय को ध्यान में रखते हुए उक्त मासों में बिजली के बिलों का भुगतान अत्यधिक ही नहीं आपत्तिजनक भी था तथा बिजली के दुरुपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता । अंकेक्षण में मण्डल द्वारा बिजली के अत्यधिक बिल दिए जाने बारे कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई तथा न ही अभिलेख में इस बारे कोई टिप्पणी ही दर्ज की गई पाई गई ऐसा प्रतीत होता है कि अंकेक्षण अवधि में रेस्टहाउस में बिजली का अत्यधिक दुरुपयोग कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा किया गया है । जिसके लिए नगर विकास प्राधिकरण को हजारों रुपये का भुगतान अनावश्यक/अनियमित रूप से करना पड़ा है । मामला उचित छानबीन हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है ।

इसके अतिरिक्त बिजली के बिलों का भुगतान रजिस्टर मण्डल द्वारा तैयार नहीं किया जा रहा है तथा बिजली के बिलों का भुगतान रजिस्टर में बिना प्रविष्टियां किए ही किया जा रहा है बिजली के बिलों का भुगतान रजिस्टर तैयार न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सम्बन्धित रजिस्टर तैयार करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

22§26§ वाउचर संख्या 100 दिनांक 30.9.97 राशि 64828.00 रुपये

उपरोक्त वाउचर के सब वाउचर सं० 15 दिनांक 3.9.97 द्वारा मस्टररोल सं० 295 द्वारा विकासनगर की पहाड़ियों पर प्लांटेशन करने हेतु लगाए गए 9 नं० मजदूरों 11942.00 रुपये का भुगतान किया गया परन्तु मुख्य प्रशासक, नगर विकास प्राधिकरण, शिमला-9 के पत्र सं० एन.वी.पी.-एफ०(न)§ए§ डेलीवेजिज/97-3895, दिनांक 3.7.93 द्वारा प्लांटेशन के उक्त कार्य हेतु केवल चार मजदूरों हेतु ही स्वीकृती मुख्य प्रशासक द्वारा प्रदान की गई थी अतः पांच मजदूरों को बिना स्वीकृति के ही उक्त कार्य पर रखे जाने के परिणामस्वरूप 6269§11942-5673.00§ रु० का भुगतान अनियमित रूप से किया गया है जिसके बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक

नियमितिकरण सक्षम प्राधिकारी से करवाया जाए अन्यथा अनियमित रूप से व्यय की गई राशि की वसूली करके मण्डल लेखा में जमा करवाई जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

22{27} {ख} वाउचर सं0 23 दिनांक 5.9.97 राशि 500.00 रुपये

उपरोक्त वाउचर द्वारा श्री जितेन्द्र एस.भोगल, वकील को उनके बिल दिनांक 4.12.96 के सन्दर्भ में यात्रा भत्ता के रूप में 500.00 रुपये का भुगतान किया गया । यह भुगतान उन्हें नगर विकास प्राधिकरण बनाम सीमिका कन्स्ट्रक्शन कं0 के प्रकरण में में किया गया । उक्त भुगतान की जांच करने पर पाया गया कि स्वीकृती पत्र सं0 एच.पी.एन.वीपी-डी-{डी-II} बारक-सीमेन्ट कन्स्ट्रक्शन कं0 केस नं. 183/95/96- 3696, दिनांक 6.12.96 में उक्त वकील को यात्रा भत्ता के रूप में कोई भी राशि भुगतान नहीं की जानी थी । अतः मण्डल द्वारा श्री एस.भोगल, वकील, को यात्रा भत्ता के रूप में 500.00 रुपये का अनियमित भुगतान किया गया है जिसकी वसूली करके राशि मण्डल लेखा में जमा करवाई जाए ।

{ग} वाउचर संख्या 33 दिनांक 11.9.97 राशि 7710.00 रु.

उपरोक्त वाउचर द्वारा डिवीजनल मैनेजर, हि0प्र0 स्टेट फारेस्ट कारपोरेशन लि0 शिमला को 30 क्विंटल हार्ड-फ्यूलवुड की की सप्लाई हेतु 7710.00 रुपये का भुगतान किया गया। उक्त भुगतान की जांच करने पर पाया गया कि यह भुगतान हि0प्र0 वन निगम के प्रोफार्मा बिल सं0 1195 दिनांक 5.9.97 के लिए किया गया था तथा अभिलेख में वन निगम द्वारा जारी बिल का कोई सन्दर्भ नहीं पाया गया । प्राधिकरण द्वारा प्रोफोर्मा बिल पर ही पूर्ण भुगतान कर दिया जाना तथा अभिलेख में मूल बिल का न पाया जाना नियमानुसार उत्पन्न आपत्ति-जनक है । मण्डल द्वारा प्रोफार्मा बिल पर ही पूर्ण भुगतान कर दिए जाने व तत्पश्चात मूल बिल न लिए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा हि0प्र0 वन निगम से बिल तथा राशि [illegible] प्राप्त करके आगामी

कैशबुक में इनका अंकन उपलब्ध कराया जाए। 18

22 (8) प्रस्तर संख्या

निम्न वर्णित भुगतानों की जाँच करने पर पाया गया कि उनके आगे वर्णित अभिलेख अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण किए गए भुगतानों की जाँच नहीं की जा सकी। सम्बन्धित अभिलेख आवश्यक रूप से आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

वाउचर सं० / सब वाउचर सं०	दिनांक	व्यय विवरण	अभिलेख जो दिखाया नहीं गया
70/10	23-9-17 / 3-9-17	15 नं० मजदूरों को 18663-00 रु० का भुगतान	2 लीटर पेंट 1 लीटर प्राइमर व 2 ब्रश का प्रयोग किया गया दर्शाया गया परन्तु स्टाक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं दिखाई।
70/20	23-9-17 / 5-9-17	250-00 रु० का स्टेशनरी का सामान	स्टेशनरी रजिस्टर में स्टाक प्रविष्टी नहीं दिखाई।
70/5	23-9-17 / 18-9-17	100-00 रु० की इन्डेंट बुक का क्रय	स्था० ए०एस० रजिस्टर में स्टाक प्रविष्टी नहीं दिखाई।
	23-9-17 / 18-9-17	~~[illegible]~~ ट्रक नं० एच.पी.-01-8822 रु० 252-00 का भुगतान	लाग बुक में प्रविष्टी नहीं दिखाई।
	26-9-17	गाड़ी नं० एच.पी.-03-1023 व एच.पी.-03-1003 के लिए 175 लीटर पैट्रोल रु० 3867.656 का क्रय	गाड़ी की लाग बुक में प्रविष्टि नहीं दिखाई।

1.	2.	3.	4.
100/21	30.9.97/5.9.97	237.00 रु. मूल्य का स्टेशनरी के सामान का क्रय ।	स्टेशनरी रजिस्टर में स्टाक प्रविष्टियां नहीं दिखाई ।
100/23 से 25	30.9.97 से 5.9.97	गाड़ी नं. एच.पी. 07-822 की मुरम्मत हेतु 2715.00 रु. का व्यय ।	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति नहीं दिखाई
93/21	31.3.98/16.3.98	1 नं. कुकिंग गैस सिलैण्डर की रीफिलिंग पर 415.00 रु. का व्यय ।	स्टाक रजिस्टर में स्टाक प्रविष्टि नहीं दिखाई
93/36	31.3.98/20.3.98	टैलीफोन काल हेतु 59.00 रु. का व्यय	टैलीफोन रजिस्टर में में प्रविष्टी नहीं दिखाई
23	6.3.98	गाड़ी नं. एच.पी. 52-0075 को इन्श्योरेन्स पालिसी का नवीनीकरण करवाने हेतु 6636.00 रु. का व्यय	मै. रख रखाव रजिस्टर में प्रविष्टी नहीं दिखाई ।
42	11.3.98	20 लीटर पैंट व 6 नं. ब्रश के क्रय हेतु 3332.00 रु. का व्यय ।	कुटेशन व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति नहीं दिखाई ।
43	11.3.98	20 लीटर पैंट के क्रय हेतु 7040.00 रु. का व्यय ।	---"-----
58 व 59	11.3.98	3200 नं. [illegible]रनामेंट के क्रय हेतु 32000.00 रु. का व्यय ।	सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति नहीं

1	2	3	4
33	9-3.98	22428-00	माप पुस्तिका सं. 538 अंकेक्षण में प्रस्तुत न किये जाने के कारण आवश्यक कार्य बिल की जाँच नहीं की जा सकी
37	10-3.98	3048-00 3098-00	समायोजन पुस्तिका सं. 135 व 439 अंकेक्षण में प्रस्तुत न किये जाने के कारण आवश्यक जाँच नहीं की जा सकी।
57	18-3.97	12608-00	माप पुस्तिका सं. 648 अंकेक्षण को प्रस्तुत न किए जाने के कारण आवश्यक जाँच नहीं की जा सकी।
80	28-3.98	11505-00	माप पुस्तिका सं. 565 व 339 अंकेक्षण को प्रस्तुत न किए जाने के कारण आवश्यक जाँच नहीं की जा सकी।
समायोजन वाउचर सं. 4	97-98	9315-00	सम्बन्धित माप पुस्तिका अंकेक्षण में उपलब्ध न कराए जाने के कारण आवश्यक जाँच नहीं की जा सकी।
समायोजन वाउचर सं. 6	97-98	2132-00	
समायोजन वाउचर सं. 7	97-98	2411-00	

22)29) मण्डल -2 के उप मण्डल, कुल्लू के भुगतान वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि उपमण्डल द्वारा किए जा रहे व्यय को सही लेखा शीर्ष में न दर्शाकर अन्य लेखा शीर्षों को गलत प्रकार से दर्शाया जा रहा है। चयनित मास में पाए गए इस प्रकार के प्रकरणों का ब्यौरा निम्न वर्णित है। मण्डल द्वारा सही लेखा शीर्षों को व्यय न दर्शाए जाने के कारण प्राधिकरण के लेखे सही स्थिति को नहीं दर्शाते। 11,172.00 रुपये की राशि सही लेखा शीर्षों में न दर्शाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व मण्डल द्वारा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों का विवरण तैयार करके लेखों में आवश्यक सुधार किया जाए।

वा.सं./सब वा.सं.	दिनांक	व्यय विवरण	व्यय राशि रु.	व्यय जिस लेखा शीर्ष में दर्शाया गया	व्यय जिस लेखा शीर्ष में दर्शाया जाना अपेक्षित था।
91/4	31.3.98 / 6.3.98	कार्यालय के बिजली का बिल	613.00	शापिंग सैन्टर कुल्लू	कार्यालय व्यय
91/7	31.3.98 / 6.3.98	पैंट व ब्रश	149.00	स्टाक स्टोरेज	शापिंग काम्प. लैक्स कुल्लू।
91/9 से 13	31.3.98 / 6.3.98	स्टोर में सीमेन्ट की बोरियों की उतराई।	720.00	--"--	स्टाक लेखा
68/6	23.9.97 / 18.9.97	पैंट	140.000	--"--	शापिंग सैन्टर कुल्लू।
68/12 से 15	23.9.97 / 18.9.97	सीमेन्ट की बोरियों की उतराई	720.00	--"--	स्टाक लेखा
78	26.9.97	कार्यालय किराया बिल [illegible] 8/97	4415.00	शापिंग सैन्टर कुल्लू।	कार्यालय व्यय।
40	11.3.98	--"-- [illegible] 2/98	4415.00	--"--	--"--
		योग:	11,172.00 रु.		

22(30) सहायक अभियन्ता, उप मण्डल कुल्लू द्वारा माह 9/97 व 3/98 में प्रस्तुत किये गए समायोजन लेखा की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दूरभाष, बिजली व कार्यालय किराया के बिलों का भुगतान किया गया परन्तु उप मण्डल द्वारा दूरभाष व बिजली व किराया बिल रजिस्टर में की गई प्रविष्टियाँ नहीं दिखाई गई अंकेक्षण में यह बताया गया कि यह रजिस्टर तैयार नहीं किए गए हैं। दूरभाष, बिजली व किराया बिल रजिस्टर तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाए व कि भविष्य में उक्त रजिस्टरों में आवश्यक प्रविष्टियाँ करने के पश्चात ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

वाउ.सं. व दिनांक	सब.वा.सं. व दिनांक	व्यय विवरण	व्यय राशि
68/23.9.97	3 से 5/18.9.97	दूरभाष काल	259.00
91/31.3.98	4/6.3.98	बिजली बिल	613.00
91/31.3.98	3,5,6,8 व 13 6.3.98 से 9.3.98	दूरभाष काल	468.00
78/26.9.97	----	कार्यालय किराया बिल माह 8/97	4415.00
40/11.3.98	----	-- "----- माह 2/98	4415.00
		योग	10170.00 रु.

22(31) वाउचर संख्या 93 दिनांक 31.3.98 राशि 95263.00 रु.

सहायक अभियन्ता, उपमण्डल-4 द्वारा उपरोक्त वार्षिक वाउचर के साथ वाउचर सं. 27 से 35 दिनांक 20.3.98 द्वारा मै. [illegible] ट्रेडर, [illegible] से 9 लीटर एल्यूमिनियम पेंट का क्रय कुल 1584.00 रुपये में किया गया। उपमण्डल द्वारा 9 लीटर एल्यूमिनियम पेंट अनेक बिलों से द्वारा एक-एक लीटर एल्यूमिनियम पेंट की खरीद दिनांक 15.11.97 से 6.12.97 तक की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि उपमण्डल द्वारा [illegible] खरीद कई बिलों में विभक्त करके कोटेशनों को नजर अन्दाज करने [illegible]

प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त न किए जाने के कारण से की गई जिस कारण बाजार प्रतियोगिता के लाभ से वंचित होना पड़ा। 9 लीटर एल्यूमिनियम पैंट की खरीद सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति तथा अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक नियमितिकरण सक्षम प्राधिकारी से करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता को न दोहराया जाए।

बिल सं.	दिनांक	पैंट की मात्रा लीटर में।	व्यय राशि
1102	15.11.97	1 लीटर	176.00
1103	20.11.97	1 -"-	176.00
1108	22.11.97	1 -"-	176.00
1109	17.11.97	1 -"-	176.00
1114	5.12.97	1 -"-	176.00
1115	6.12.97	1 -"-	176.00
1117	8.12.97	1 -"-	176.00
1122	10.12.97	1 -"-	176.00
1123	11.12.97	1 -"-	176.00
		योग :-	1584.00 रु.

22}32} वाउचर संख्या: 95 दिनांक 31.3.98 राशि 442.00 रु.
वाउचर सं0 96 दिनांक 31.3.98 राशि 6171.00 रु.

उपरोक्त वर्णित वाउचरों द्वारा पंजाब नेशनल बैंक, बलुम्पटी को क्रमश: 442.00 रुपये व 6171.00 रुपये का भुगतान किया गया। रोकड़ बही में यह भुगतान बैंक विवरण में भिन्न तिथियों को दर्शाए गए डेबिट के आधार पर बिना उन्हें स्पष्ट किए हुए ही मण्डल द्वारा दर्शाया गया था जो अनियमित/अनुचित था। मण्डल द्वारा प्रत्येक भुगतान की पूर्णतया स्पष्ट करते हुए तथा बैंक द्वारा लिए गए बैंक चार्जिज को उनके द्वारा सत्यापित करवाया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए। भविष्य में इस प्रकार का व्यय पूर्णतया स्पष्ट करने के पश्चात ही रोकड़ बही में दर्शाया जाए।

22(33) (क) वाहन संख्या एच॰पी॰03-1623 मारुती जिप्सी की लाग बुक की जांच करने पर पाया गया कि वाहन की औसत खप्त दर पत्र संख्या-जी॰ए॰डी॰-ए (डी) 1-1/96 हिमाचल प्रदेश सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (क) अनुभाग दिनांक, शिमला 21॰01॰97 द्वारा निर्धारित की गई 8 कि॰मी॰ प्रति लीटर की दर से बहुत कम है, जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। औसत खप्त दर का वांछित खप्त दर से इतना कम होने के कारण स्पष्ट किए जाए अन्यथा 956 लीटर 22॰26 रुपए प्रति लीटर की दर से 21,280॰00 रुपये दोषी व्यक्ति से वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए।

माह	तय की गई दूरी	पैट्रोल की खपत	औसत खपत दर	वांछित खपत दर	वांछित खप्त दर से पैट्रोल की खपत	अन्तर
4/97	1116	186	6॰00	8	140	46
5/97	1717	334	5॰14	8	215	119
6/97	700	117	5॰96	8	88	29
7/97	471	79	5॰98	8	59	20
8/97	406	74	5॰49	8	51	23
9/97	1210	220	5॰50	8	151	69
10/97	1822	331	5॰50	8	228	103
11/97	1819	331	5॰50	8	227	104
12/97	1774	343	5॰67	8	222	121
1/98	2147	390	5॰50	8	268	122
2/98	1666	303	5॰50	8	208	95
3/98	1835	334	5॰50	8	229	105
					कुल पैट्रोल	956 लीटर

(ख) वाहन संख्या एच॰पी॰51-1240 की लाग बुक की जांच करने पर पाया गया कि वाहन की औसत खपत दर पत्र संख्या: जी॰ए॰डी॰-ए (डी) 1-1/96 हि॰प्र॰ सरकार सामान्य प्रशासन विभाग (क) अनुभाग दिनांक शिमला 21॰01॰97 द्वारा निर्धारित

की गई 8 कि॰मी॰ प्रति लीटर की दर से बहुत कम है, जो कि एक गम्भीर अनियमितता है । औसत खपत दर का वांछित खपत दर से इतना कम होने के कारण स्पष्ट किए जाए अन्यथा 291•31 लीटर 22•26 रुपये प्रति लीटर की दर से 6484 रुपये की वसूली दोषी व्यक्ति से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए ।

माह	दूरी	पेट्रोल की खपत	औसत खपत दर	वांछित खपत दर	वांछित खपत दर से पेट्रोल की खपत	अन्तर
9/97	804	161	4•99	8	100•50	60•50
10/97	1370	274	5•00	8	171•25	102•25
11/97	309	61•80	5•00	8	38•62	23•18
12/97	282	56	5•03	8	35•25	20•75
1/98	454	91	4•99	8	56•75	34•25
2/98	143	29	4•93	8	17•87	11•13
3/98	526	105	5•00	8	65•75	39•25
					कुल पेट्रोल	291•31 लीटर

(ग) अवधि 4/97 से 3/98 के दौरान निम्नवर्णित गाड़ियों की लाग बुक का निरीक्षण करने पर पाया गया कि 303•11 लीटर पेट्रोल का दुरुपयोग किया गया है, जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है ।

वाहन संख्या:	माह	अथ शेष	प्राप्ति लीटर	कुल	खपत	शेष	प्रभारी द्वारा सत्यापित शेष की शेष मात्रा	अन्तर
1623	6/97	10	154	164	117	47	35	12
~~3x98~~	7/97	35	94	129	79	50	24	26
	9/97	40	242	282	220	62	28	34
	11/97	42	357	399	3[illegible]1	60	60	8
	12/97	50	363	413	343	70	50	20
एच•पी• 52-0075	3/97	15	185	200	106	94	4	90
	7/97	20	105	125	83	42	15	27
	2/98	67	--	67	5	62	50	12

....93.

एच.पी. 51-1245	11/97	14.91	107.00	121.91	61.80	60.11	40	20.11	
	1/98	39	105	144	91	53	40	13	
	2/98	40	35	75	29	46	40	6	
	3/98	40	140	180	105	75	40	35	
							कुल	303.11	

अतः इस मामले की पूर्ण छानबीन करने के उपरान्त राशि 303.11 लीटर x 22.26 रु. =6747.00 रुपये की वसूली दोषी कर्मचारी/अधिकारी से करना सुनिश्चित किया जाए ।

(6) वाहनों की लॉग बुक का अवलोकन करने पर पाया गया कि कुछ अधिकारियों द्वारा वाहन का प्रयोग किया गया था, लेकिन यात्रा का स्थान केवल लोकल शिमला दर्शाया गया था, जो कि पूर्ण विवरण का उल्लेख न किए जाने के कारण उचित प्रतीत नहीं होता है तथा यात्रा की दूरी भी अधिक है । अतः इसका स्पष्टीकरण पूर्ण तथ्यों सहित आगामी अंकेक्षण में दर्शाया जाए तथा लॉग बुक में नियमानुसार प्रविष्टियाँ न करने के कारण स्पष्ट किए जाए व भविष्य में यात्रा के स्थानों को स्पष्ट रूप से लिखना भी सुनिश्चित किया जाए ।

वाहन सं.	दिनांक	दूरी कि.मी.में	उद्देश्य	गाड़ी प्रयोग करने वाला अधिकारी
एच.पी. 03-1623	24.3.98	50 कि.मी.	सरकारी	वरिष्ठ वास्तुकार
एच.पी. 03-2003	3.9.97 से 6.9.97	164	-"-	अधिशासी अभियन्ता II
	10.9.97	59	-"-	-"-
	13.9.97	51	-"-	-"-
	17.9.97	50	-"-	-"-
	18.9.97	65	-"-	-"-
	20.9.97 से 30.9.97	469	-"-	-"-
	4.3.98 से 6.3.98	152	-"-	-"-
	7.3.98 से 11.3.98	233	-"-	-"-

	20.3.98 से 21.3.98	69	सरकारी	सहायक अभियन्ता 5
	24.3.98 से 25.3.98	100	सरकारी	अधिशाषी अभियन्ता II
	27.3.98 से 31.3.98	159	सरकारी	-"-
एच.पी. 52-0075	19.3.98	78	सरकारी	मुख्य प्रशासक
	26.3.98	47	-"-	-"-
एच.पी. 51-1245	12.9.97	23	-"-	-"-
	16.9.97 से 20.9.97	135	-"-	-"-
	23.9.97 से 30.9.97	133	-"-	-"-
	3.3.98 से 20.3.98	304	-"-	-"-
	24.3.98 से 25.3.98	49	-"-	-"-
	27.3.98 से 28.3.98	103	-"-	-"-
	30.3.98 से 31.3.98	27	-"-	-"-

वाहनों की लाग बुक की जांच करने पर पाया गया कि वाहन नं. एच.पी. 51-1245 की लाग बुक में अवधि 9/97 से 3/98 तक प्रति लीटर पेट्रोल प्रति कि.मी. औसत सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं करवाई गई है। इन अनियमितताओं का शीघ्र निपटारा करके अनुपालना आगामी निरीक्षण पर दिखाई जाए। तथा भविष्य में भी समय-समय पर वाहनों की औसत दर की जांच की जानी सुनिश्चित की जाए।

22(34) मुख्य प्रशासक के पत्र संख्या एन.पी.एन.डी.पी. कम्युनीटी सैन्टर/96-5432-36 दिनांक 7.9.96 के अनुसार कम्युनिटी सैन्टर की बुकिंग हेतु निम्न दरें निर्धारित की थी।

फार मेन हाल — 2500.00 रु. प्रति दिन

फार यूज आफ लान आउट
साइड फार पार्टिंग शामियाना
यूजिंग इट फार सिटिंग डाइनिंग 200.00 रुपये प्रतिदिन

फार डोरमेट्री (3 नं.) 25.00 रुपये प्रति बैड/प्रतिदिन

फार रूम्स (डब्बल बैड) 100.00 रुपये प्रति दिन

फार गैस (कमर्शियल साइज) 543.00 पर सिलन्डर

इलैक्ट्रीसिटी एक्सपेन्सिस फार
एक्सिसिटिंग लाइटस (प्रतिदिन) 400.00

फार एच सैट आफ प्लेटस 5.00 रु. प्रति प्लेट

पत्र संख्या: एन.पी.एन.डी.पी.-एडमन (ए) लेबर कम्पलैंट/97-6664-68 दिनांक 20.10.97 के अनुसार 15% उक्त दरों में छूट केवल उन व्यक्तियों को जो कि न्यू शिमला के स्थायी निवासी हों, जिनकी जमीन नगर विकास प्राधिकरण ने ले रखी हो तथा वैलफेयर सोसायटी के मेम्बर हों तथा नगर विकास प्राधिकरण के मजदूर हों को प्रदान की जानी थी। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्न मामलों में उक्त आदेशों की अवहेलना करने हेतु वांछित छूट प्रदान की गई थी। जिसके फलस्वरूप 4625.00 रुपये की राशि कम वसूल की गई थी।